सर्व शिक्षा अभियान

पर्सपेक्टिव प्लान

2002-2007

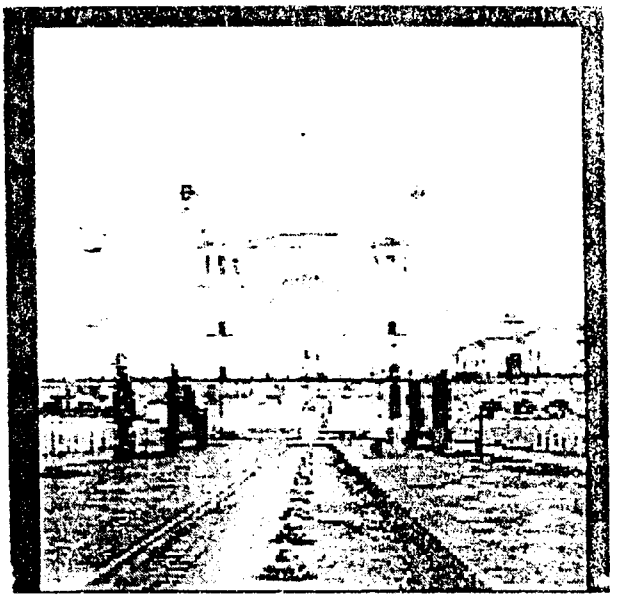

जनपद - आगरा

जनपद – आगरा

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	जिले की पृष्ठ भूमि	01–05
2.	शैक्षिक परिदृश्य	06–21
3.	नियोजन प्रक्रिया	22–38
4.	लक्ष्य एवं उद्देश्य	39–45
5.	समस्याएं एवं रणनीतियां	46–57
6.	शिक्षा की पहुंच का विस्तार–1 (नवीन विद्यालय)	58–63
7.	शिक्षा की पहुंच का विस्तार–2 (ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0)	64–73
8.	ठहराव में वृद्धि	74–91
9.	गुणवत्ता सम्वर्द्धन एवं अकादमिक क्षमताओं का विकास	92–155
10.	परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण	156–179

अध्याय–1

आगरा जनपद का परिदृश्य

आगरा जनपद का अपना गौरवशाली इतिहास है जो आज भी विश्व के मानचित्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाये हुये है। यह दीर्घकाल तक मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप मे विख्यात रहा। आज भी गौरवशाली धरोहर विरासत को समेटे हैं। महाभारत काल में आगरा को अग्रवन के नाम से जाना जाता था -- पुराणों मे आगरा की प्राचीनता घने वनों से आच्छादित एवं प्राकृतिक सुषमा से मण्डित मनोहर प्रदेश के रूप में की गई है।

1080 में महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया उस समय आगरा का किला पहाडियों पर बना था – बाद में अकबर ने लाल पत्थरों से निर्माण कर इसे वर्तमान स्वरूप प्रदान किया – 1504 ई0 में सिकन्दर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया, बाबर ने पानीपत के युद्ध 1526 ई0 में अन्तिम लोदी सुल्तान इब्राहीम लोदी को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नीव रखी। आगरा उत्तर भारत की राजधानी बना रहा। यमुना के बायें तट पर भवन, बाग आदि का निर्माण कराया। 1530 ई0 में हुमायू आगरा की गद्दी पर बैठा। कछपुरा गॉव में निर्मित मस्जिद पर उसका आलेख अंकित है। शेरशाह सूरी ने भी आगरा को राजधानी का स्वरूप प्रदान किया। महान सम्राट अकबर के शासन काल (1566 1605) मे आगरा विश्वभर में विख्यात था। अकबर ने अनेकों इमारतों का निर्माण कराया। प्रसिद्ध लाल किया परिसर बनाये गये भवनों में जहागीरी महल, दीवाने ए आम, दीवाने ए–खास, मच्छी भवन, जोधाबाई का महल तथा प्रशासकीय भवनो की प्रसिद्ध इमारतें हैं। 1556 ई0 में फतेहपुर सीकरी नगर को भी बसाया गया। आगरा में ईसाई मत का पहला चर्च का निर्माण अकबर काल में हुआ था। जहांगीर काल की इमारतो में सिकन्दरा एव एत्मादद्दौला प्रसिद्ध है। शाहजहॉ ने अपनी बेगम मुमताज महल की यादगार मे ताजमहल बनवाकर आगरा को अमर कीर्ति दिलायी। मुगलो का शासन काल भवन निर्माण कला तथा सास्कृतिक विरासत का स्वर्ण युग रहा। सम्पूर्ण विश्व के लिए आगरा एक पर्यटन स्थल है।

भौगोलिक स्थिति :

जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4027 वर्ग किलोमीटर है. नगरीय क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रफल 3913 वर्ग किलोमीटर है। इस जनपद की समुद्र तल से ऊँचाई 169 मीटर है। जनपद उत्तर प्रदेश के दक्षिणी कोने पर 27.44 डिग्री व 24.44 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 77.28 व 78.54 डिग्री पूर्व देशान्तर रेखाओं के बीच स्थिति है। जनपद की प्रमुख नदियां यमुना, चम्बल तथा ऊटगन हैं:-

प्रशासनिक इकाईयॉ

सारणी–1

ग्रामीण क्षेत्र	संख्या
तहसील	06
विकास खण्ड	15
न्याय पंचायत	115
ग्राम सभायें	637
राजस्व ग्राम	939
ग्राम वस्तियों की संख्या	2270
नगरीय क्षेत्र	15
नगर निगम	01
नगर महापालिका	. . . . .
नगर पालिका	05
टाउन एरिया	07
छावनी क्षेत्र	01
सेन्सस टाउन	01
वार्ड	154

प्रशासनिक सरचंना

विकास खण्डवार

सारणी 1.2

क्र सं	विकास खण्ड का नाम	न्याय पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	राजस्व की संख्या	ग्रामों की संख्या
1	करौली अहीर	10	56	73	207
2	शमशाबाद	08	55	70	267
3	फतेहाबाद	10	64	96	278
4	खन्दौली	08	38	50	80
5	अछनेरा	07	49	66	105
6	ऐत्मादपुर	08	40	60	125
7	सैया	09	39	54	115
8	खेरागढ़	07	35	50	129
9	फतेहपुर सीकरी	07	52	77	109
10	वाह	08	45	80	195
11	अकोला	07	34	41	102
12	जैतपुर कला	08	41	80	198
13	विचपुरी	07	27	39	73
14	पिनाहट	06	34	53	181
15	जगनेर	05	08	50	106
	योग	115	637	939	2270

जनसंख्या :

विकासखण्ड वार / नगर क्षेत्र की जनसंख्या

सारणी—2

क्र0सं0	विकास खण्ड	कुल जनसंख्या—2001			अनुसूचित जाति की जनसंख्या		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	ब0आहीर	114849	96047	210896	30092	24972	55064
2	शमशाबाद	98624	78887	177511	18738	14988	33726
3	फतेहाबाद	96322	76918	173240	18301	13845	32146
4	खंदोली	89456	73314	162770	20574	16862	37436
5	अछनेरा	88922	72576	161498	19562	16592	36254
6	ऐत्मादपुर	81321	65890	147211	18703	15154	33857
7	सैया	82241	64693	646934	18093	14232	32325
8	खेरागढ	77596	62493	140089	17071	13748	30819
9	फ0सीकरी	74556	60746	135302	16402	13364	29766
10	बाह	72082	60053	132135	15858	13211	29069
11	अकोला	67631	55585	123216	12985	10727	23712
12	जैतपुर	64648	55547	120195	14222	12221	26443
13	बिचपुरी	62751	52197	114958	11925	9917	21842
14	पिनाहट	61395	50558	111953	13506	11122	24628
15	जगनेर	53593	42382	95975	11790	9324	21114
16	नगरक्षेत्र	763788	693640	1457428	200112	183120	383232
	योग	1949775	1661526	3611301	457934	393399	851333

वर्ष 1991 में जनपद आगरा की कुल जनसंख्या 2751021 थी तथा वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 3611301 है। अर्थात 10 वर्ष में जनपद आगरा की जनसंख्या में कुल वृद्धि 860280 हुयी है जो 31.27 प्रतिशत है।

विकासखण्ड वार बाल गणना वर्ष –2001

क्र0	विकासखण्ड	6–11 वय वर्ग के बच्चो की संख्या			11–14 वय वर्ग के बच्चो की संख्या		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	बौलीअहीर	17618	15796	33414	10277	9033	19310
2	शमशाबाद	13963	10784	24747	8417	7448	15865
3	फतेहाबाद	22325	15283	37608	7597	7129	14726
4	खंदौली	13924	12475	26399	8753	7580	16333
5	अछनेरा	15283	13400	28683	8826	8502	17328
6	एत्मादपुर	10832	9929	20761	6568	5716	12284
7	सैया	10638	9904	20542	6452	5467	11919
8	खेरागढ	9240	9929	18169	6578	5850	12428
9	फतेह0सी0	13032	10629	23661	7848	6318	14166
10	बाह	9905	8088	17993	6519	5067	11586
11	अकोला	9166	8809	17975	5831	5355	11186
12	जैतपुर	7187	6355	13452	4990	4420	9410
13	बिचपुरी	7836	7627	15463	4989	4506	9495
14	पिनाहट	9874	8127	18001	5732	4586	10318
15	जगनेर	6328	6197	12525	4153	3754	7907
16	नगरक्षेत्र	79251	66151	145402	54822	44162	98984
	योग	256402	218483	474885	158352	134893	293245

उपरोक्त बालगणना सारणी के आकडे स्कूल चलो अभियान माह जुलाई 2001 में डोर टू डोर सर्वेक्षण के अनुसार विकासखण्ड वार सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों से संकलित कराये गये है। 6 11 वय वर्ग के बच्चो की संख्या कुल आबादी का लगभग 13.2 प्रतिशत है तथा 11 14 वय वर्ग की संख्या कुल आबादी का लगभग 8 प्रतिशत है।

अध्याय–2

जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

वर्ष 2000 से जनपद मे सभी के लिए जिला प्राथमिक शिछा कार्यकम चलाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को विद्यालय में शत प्रतिशत नामांकन कराना एवं विद्यालय में उनका ठहराव सुनिश्चित करना तथा न्यूनतम अधिगम स्तर की सम्प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करना– इसकी पूर्ति हेतु नवीन विद्यालय 48 अति0 कक्षा कक्ष–134, न्याय पचायत संसाधन केन्द्र–45 तथा ब्लॉक संसाधन केन्द्र 15 का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को विविध प्रकार के सेवारत/पुर्नवोधात्मक प्रशिक्षण दिये गये हैं इन प्रयासों के बाद भी वांछित लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो पाया जिसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा।

साक्षरता :

2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल साक्षरता दर 64.97 प्रतिशत है जिसमें पुरूषों की दर 79.32 प्रतिशत तथा महिलाओं का 48.15 प्रतिशत है। जनपद की साक्षरता का विवरण निम्न लिखित सारणी में दिया गया है।

सारणी 2.1

जनपद की साक्षरता

क्रमांक	मद	प्रतिशत
1	कुल साक्षरता	64.97
2	ग्रामीण साक्षरता	54.40
3	नगरीय साक्षरता	78.80
4	कुल पुरूष साक्षरता	79.32
5	कुल महिला साक्षरता	48.15
6	कुल ग्रामीण पुरूष साक्षरता	69.60
7	कुल ग्रामीण महिला साक्षरता	37.90
8	नगरीय पुरूष साक्षरता	88.20
9	नगरीय महिला साक्षरता	65.70

स्रोत जिला सांख्यिकीय कार्यालय, आगरा

सारणी – 2.2

विकास खण्ड वार साक्षरता

क्र स	विकास खण्ड का नाम	वर्ष 2001
1	बरौली अहीर	50.6
2	शमशाबाद	48.8
3	फतेहबाद	42.1
4	खंदौली	58.1
5	अछनेरा	54.8
6	एत्मादपुर	66.0
7	सैंया	52.1
8	खेरागढ़	53.4
09	फतेहपुर सीकरी	54.2
10	वाह	60.0
11	अकोला	58.5
12	जैतपुर कला	67.3
13	विचपुरी	56.2
14	पिनाहट	50.9
15	जगनेर	48.5
	योग	54.4
	नगर क्षेत्र	78.8

स्रोत जिला सांख्यिकीय कार्यालय आगरा

विकास खण्डों मे सबसे कम साक्षरता विकास खण्ड जगनेर जिनमें साक्षरता दर 48.5 प्रतिशत है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला विकास खण्ड जैतपुर कला जहा साक्षरता दर 67.3 प्रतिशत है।

जनपद की महिला साक्षरता दर 48.75 प्रतिशत है। महिला साक्षरता के न्यूनतम दर वाले विकास खण्ड फतेहाबाद है। सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला विकास खण्ड है जैतपुर कला है।

नगर क्षेत्र की कुल साक्षरता 78.8 प्रतिशत है। जिसमें पुरूषा की साक्षरता 88.2 प्रतिशत और महिलाओं की साक्षरता 63.7 प्रतिशत है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र की कुल साक्षरता 54.4 में पुरूषों की साक्षरता 69.6 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता 37.9 प्रतिशत है।

सारणी-2.3

शैक्षिक संस्थानों की उपलब्धता

क्र. सं.	विवरण	परिषदीय / आश्रमीय			मान्यता प्राप्त विद्यालय			कुल योग			गैर मान्यता प्राप्त		
		ग्रा0	नग0	योग	ग्रा0	नग0	योग	ग्रा0	नग0	योग	ग्रा0	नग0	योग
1	प्राथमिक विद्यालय	1361	198	1559	412	1621	2033	1773	1819	3592	183	78	261
2	माध्यमिक विद्यालय से संबद्ध प्राइमरी अनुभाग	–		–	12	131	143	12	131	143	–	–	–
3	उच्च प्राथमिक विद्यालय	201	21	222	155	533	688	356	554	910	61	45	106
4	मा0 विद्यालय से संबद्ध उच्च प्राथमिक विद्यालय	02	06	08	81	155	236	83	161	244	–	–	–
5	केन्द्रीय विद्यालय		3	3		26	26		29	29	–		–
6	नवोदय विद्यालय	1		1			–	1		1			–
7	हाई स्कूल	1	2	3	46	75	121	47	77	124	–	–	–
8	इंटरमीडिएट	5	5	10	51	82	133	56	87	143	–	–	–
9	स्नातकोत्तर महाविद्या0	–	–	–	–	8	8	–	8	8	–	–	–
10	विश्वविद्यालय		2	2					2	2			
11	तकनीकी संस्थान आई आई.टी / पालीटेक्निक	1	4	5	1	–	1	2	4	6	–	–	–

12	कम्पूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थायें	--	6	6	1	13	14	1	19	20			
13	ऑगनवाडी केन्द्र की स0	699	1035	1734	-	--	--	699	1035	1734	--		
14	मकतब / मदरसे	.	7	7	4	6	10	4	13	17	–		
15	संस्कृत पाठशाला	.	2	2	1		1	1	2	3	--		
16	विकलांग बच्चों की स0	–	1	1	--	–	–	–	1	1	–	–	–
17	बाल श्रमिक विद्यालय	--	--	--	1	–	1	1	--	1	–	–	–
18	जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–
19	बी0 आर0 सी0	15	–	15	–	–	–	15	–	15	–	–	–
20	एन0 पी0 आर0 सी0	115	–	115	–	–	–	115	–	115	–	–	–

सारणी–2.4

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय)

	सृजित पद	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृतशिक्षा मित्रों की संख्या
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	5052	4032	1020	1311
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	1103	745	358	–

स्त्रोत -- विभागीय ऑकडे बी.एस.ए.

विद्यालय सुविधा/वस्तियाँ :

विकास खण्ड वार असेवित वस्तियों की संख्या को देखते हुए यह तथ्य निकल कर आते हैं कि जनपद में निर्धारित मानक (300 आबादी एवं 1.5 कि0मी0 दूरी) पूरा करने वाली बस्तियों में औपचारिक विद्यालयों की स्थापना के साथ–साथ कम आबादी वाले क्षेत्रों के लिए ई.जी.एस.; वैकल्पिक शिक्ष ाकेन्द्र अथवा अन्य प्रकार के वैकलिपक शिक्षा केन्द्र अन्य प्रकार के अनौपचारिक केन्द्रों की भी आवश्यकता हे। विकास खण्ड बार असेवित वस्तियों का विवरण तथा दूरी के अनुसार विद्यालयी सुविधा उपलब्ध वस्तियों की संख्या निम्नवत है, जो जनपद स्तर पर सारणी 2.5 एवं ब्लाक स्तर पर 2.5.1 द्वारा प्रदर्शित है। ई0जी0एस0 के अंतर्गत खोले जाने वाले विद्या केन्द्र सारिणी 2.5.2 द्वारा प्रदर्शित है।

सारिणी–2.5

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

विवरण विद्यालय से दूरी एवं आवादी	1 किमी0 सं कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 किमी0 से अधिक किन्तु 1.5 किमी0 से कम दूरी पर उपलब्ध	1.5 किमी0 से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	प्रस्तावित प्राथमिक विद्या0/ ई0जी0 एस0
ऐसे ग्रामों की सं0 जिनकी आबादी 300 से अधिक है	1366	478	0	0
ऐसी बस्तियों की सं0 जिनकी आबादी 300 से कम है	292	131	103	103

सारणी–2.5.1

सेवित तथा असेवित वस्तियाँ

ऐसी बस्तियों की सं0 जिनकी आबादी 300 से अधिक है

क्रम सं0	नाम विकास खण्ड	1 किमी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 से अधिक तथा 1.5 किमी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 किमी0 से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	डी0पी0ई0पी0 से प्रस्तावित विद्यालय	सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नवीन विद्यालय की मॉग
1	बरौली अहीर	109	46	0	0	0
2	शमाशावाद	120	50	0	0	0
3	फतेहावाद	135	55	0	0	0
4	खन्दौली	82	40	0	0	0
5	अछनेरा	76	18	0	0	0
6	ऐत्मादपुर	111	26	0	0	0
7	सैयां	84	21	0	0	0
8	खैरागढ़	84	50	0	0	0
9	फतेह0सीकरी	83	30	0	0	0
10	बाह	91	31	0	0	0
11	अकोला	84	12	0	0	0
12	जैतपुर कला	107	27	0	0	0
13	विचपुरी	60	13	0	0	0
14	पिनाहट	74	37	0	0	0
15	जगनेर	66	22	0	0	0
	योग	1366	478	0	0	0

सारणी–2.5.2

विद्या केन्द्रो हेतु मॉग

ऐसी बस्तियो की सं0 जिनकी आबादी 300 से कम है

क्र0 सं0	नाम विकास खण्ड	1 किमी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 से अधिक 1.5 किमी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 किमी0 से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	डी0पी0ई0पी0 से प्रस्तावित ई0जी0एस0 केन्द्र	सर्व शिक्षा अभि0 के अंतर्गत नवीन ई0जी0एस0 केन्द्रो की मॉग
1	बरौली अहीर	34	14	09	06	03
2	शमशाबाद	47	39	17	17	–
3	फतेहाबाद	60	29	13	13	–
4	खन्दौली	19	17	–	–	–
5	अछनेरा	03	07	06	06	–
6	ऐत्मादपुर	04	02		·	–
7	सैंया	05	03	09	09	–
8	खैरागढ़	09	13	07	07	–
9	फतेहपुर सीकरी	06	08			–
10	बाह	26	35	09	09	–
11	अकोला	06	05	2	02	–
12	जैतपुर कलां	33	31	12	12	–
13	बिचपुरी	03	02	–	–	–
14	पिनाहट	34	36	07	07	–
15	जगनेर	03	08	12	10	02
	योग	292	131	103	98	05

103 बस्तियों ऐसी है जिनकी आवादी 300 से कम तथा प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता 1.5 किमी0 से अधिक है।ऐसी वस्तियों में ई0जी0एस0 केन्द्र खोले जाने है जिनमे से 98 केन्द्र जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत खोले जाने है तथा 05 केन्द्र सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत खोले जाने प्रस्तावित है।

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता (सारणी–2.6)

विवरण आवादी एवं दूरी	3 किमी0 से कम दूरी पर परिषदीय/मान्यता प्राप्त उच्च प्रा0 विद्यालय उपलब्ध	3 किमी0 से अधिक दूरी पर परिषदीय/मा0प्रा0 उच्च प्रा0 विद्यालय उपलब्ध	प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालय [illegible]
ऐसे ग्रामों की सं जिनकी आबादी 800 से अधिक है	536	0	0
ऐसी बस्तियों की सं0 जिनकी आबादी 800 से कम है	1656	78	78

ऐसी बस्तियों की सं0 जिनकी आबादी 800 से अधिक है (सारणी 2.6.1)

क्रम सं0	नाम विकास खण्ड	3 किमी0 से कम दूरी पर परिषदीय मान्यता प्राप्त उच्च प्रा0 विद्यालय उपलब्ध	3 किमी0 से अधिक दूरी पर परिषदीय मान्यता प्राप्त उच्च प्रा0 विद्यालय उपलब्ध	उच्च प्रा0 तथा प्रा0 विद्यालय अनुपात 1:2 करने हेतु आवश्क अतिरिक्त उच्च प्रा0 विद्यालय की सं0	जिला योजना अंतर्गत प्रस्तावित उच्च प्रा0 विद्यालय	सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उच्च प्रा0 विद्यालय की मॉग
1	बरौली अहीर	54	10	21	–	10
2	शमाशाबाद	42	09	23	–	09
3	फतेहाबाद	44	13	34	01	12
4	खन्दौली	29	06	17	01	05
5	अछनेरा	42	06	18	02	04
6	ऐत्मादपुर	38	06	18	–	06
7	सैया	28	06	18	–	06
8	खैरागढ़	39	10	15	–	10
9	फते0सीकरी	29	05	15	–	05
10	बाह	43	07	17	01	06
11	अकोला	27	04	16	–	04
12	जैतपुर कला	33	06	22	–	06
13	बिचपुरी	31	03	13	01	02
14	पिनाहट	31	06	10	–	06
15	जगनेर	26	08	14	–	08
	योग	536	105	271	06	99

ऐसी बस्तियों की सं0 जिनकी आबादी 800 से कम है (सारणी 2.6.2)

क्रम सं0	नाम विकास खण्ड	3 किमी0 से कम दूरी पर परिषदीय मान्यता प्राप्त उच्च प्रा0 विद्यालय उपलब्ध	3 किमी0 से अधिक दूरी पर परिषदीय मान्यता प्राप्त उच्च प्रा0 विद्यालय उपलब्ध	जिला योजना अंतर्गत प्रस्तावित ए0आई0ई0के न्द्र	सर्व शिक्षा अभि0 में प्रस्तावित ए0आई0ई0 केन्द्र
1	बरौली अहीर	151	02	–	02
2	शमाशाबाद	212	12	–	12
3	फतेहाबाद	226	08	–	08
4	खन्दौली	48	04	–	04
5	अछनेरा	62	03	–	03
6	ऐत्मादपुर	85	02	–	02
7	सैयां	83	04	–	04
8	खैरागढ़	84	05	–	05
9	फते. सीकरी	73	06	–	06
10	बाह	145	06	–	06
11	अकोला	73	02	–	02
12	जैतपुर कला	155	10	–	10
13	बिचपुरी	41	02	–	02
14	पिनाहट	144	06	–	06
15	जगनेर	74	05	–	05
	योग	1656	78	–	78

सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण करने पर यह बात स्पष्ट हुई कि शेष असेवित बस्तियों को सेवित करने के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता होगी परन्तु नगरीय क्षेत्र में भूमि की अनुपलब्धता के कारण मात्र ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकतानुसार कुल 105 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता है।

नामांकन :

जनपद आगरा में 6.11 वय वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या 486476 है। जिसमें बालक 271466 तथा 215010 बालिका हैं तथा 11.14 वय वर्ग के कुल संख्या 322043 है। जिसमे 175523 बालक 146520 बालिका हैं। 6.11 वय वर्ग के प्राथमिक स्तर के 262780 बालक तथा 192749 बालिकाएं कुल 455529 बच्चे विद्यालय जाते है । 11.14 वय वर्ग के कुल 7646 बालक 17993 बालिकाएं कुल 26639 बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं। विकास खण्ड वार विवरण की सूची संलग्न है -

परिषदीय विद्यालयों का ट्रान्जीशन दर

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों से कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों में से परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या निम्न सारणी में प्रदर्शित है -

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्रान्जीशन दर
2000 01	29116	8909	30.6
2001-02	29895	10395	34.77

विकासखण्ड वार बाल गणना एवं नामांकन आगरा वर्ष 2002

क्र0	विकासखण्ड	6–11 वय वर्ग के बच्चे									11–14 वय वर्ग के बच्चे								
		कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय जाने वाले बच्चे			विद्यालय न जाने वाले बच्चे			कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय जाने वाले बच्चे			विद्यालय न जाने वाले बच्चे		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	आगरा	9472	8325	17797	9124	7799	16923	348	526	874	6126	5263	11389	5944	4893	10837	182	370	552
2	बरालीअहीर	17917	15866	33783	16975	14121	31096	942	1745	2687	10953	9226	20179	10375	8313	18688	578	913	1491
3	बिचपुरी	8342	7053	15395	7964	6281	14245	378	772	1150	4857	4325	9182	4647	3909	8556	210	416	626
4	शमशाबाद	16324	8548	24872	15030	6049	21079	1294	2499	3793	10522	6642	17164	9769	5156	14925	753	1486	2239
5	फतेहाबाद	22416	14625	37041	20714	12446	33160	1702	2179	3881	9226	6721	15947	8149	5541	13690	1077	1180	2257
6	बाह	10082	7809	17891	9681	7207	16888	401	602	1003	6857	5026	11883	6683	4708	11391	174	318	492
7	पिनाहट	10265	7625	17890	9689	6811	16500	576	814	1390	5246	4965	10211	4981	4521	9502	265	444	709
8	जैतपुरकलाँ	8595	7032	15627	8306	6508	14814	289	524	813	5063	4828	9891	4973	4517	9490	90	311	401
9	एत्माद्पुर	10936	10096	21032	10510	9275	19785	426	821	1247	9516	7916	17432	9322	7503	16825	194	413	607
10	खंदौली	14028	11906	25934	13322	10665	23987	706	1241	1947	9326	8048	17374	8953	7393	16346	373	655	1028
11	खेरागढ़	10957	9853	20810	10329	8729	19058	628	1124	1752	6826	5916	12742	6474	5276	11750	352	640	992
12	जगनेर	6820	5746	12566	6212	4641	10853	608	1105	1713	4527	3886	8413	4150	3306	7456	377	580	957
13	खेरागढ़	9632	8646	18278	9176	7893	17069	456	753	1209	6553	5026	11579	6289	4637	10926	264	389	653
14	अछनेरा	16246	13132	29378	15460	11947	27407	786	1185	1971	9052	8420	17472	8627	7821	16448	425	599	1024
15	फतेहपुरसीकरी	16668	10232	26900	15852	8169	24021	816	2063	2879	7843	6621	14464	7407	5543	12950	436	1078	1514
16	नगर क्षेत्र	82766	68516	151282	79717	61934	141651	3049	6582	9631	63030	53691	116721	61134	45490	106624	1896	8201	10097
	योग	271466	215010	486476	258061	190475	448536	13405	24535	37940	175523	146520	322043	167877	128527	296404	7646	17993	25639

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कुल छात्र नामांकन तथा ड्राप आउट

वर्ष	कक्षा- 1			कक्षा 2			कक्षा–3			कक्षा -4			कक्षा--5			कुल ड्रापआउट		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1996-97	32492	28416	60908	27254	21356	48610	19752	15424	35176	13641	12561	26202	10359	9563	19922	-	-	-
1997-98	32342	29015	61357	31612	27896	59508	23590	18963	42553	15378	13054	28432	10985	9857	20842	-	-	-
1998-99	30410	26547	56957	31673	28562	60235	23143	20564	43707	15161	13685	28846	11132	9925	21057	-	-	-
1999-00	35390	32741	68131	28021	26487	54508	23673	20887	44560	15557	13852	29409	11243	10225	21468	-	-	-
2000-01	46409	42938	89347	35390	31264	66654	28471	25221	53692	22694	19539	42233	16547	12569	29116	49 07	55.77	52.20
2001-02	41892	38588	80480	33364	30839	64203	27678	24018	51696	21398	18941	40339	16829	13677	30506	47.97	52.86	50.28
2002-03	44963	38521	83484	34213	32588	66801	28891	26897	55788	20836	18888	39724	16076	13819	29895	47 14	47.95	47.51

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति छात्र नामांकन तथा ड्राप आउट

वर्ष	कक्षा–1			कक्षा--2			कक्षा–3			कक्षा--4			कक्षा–5			कुल ड्रापआउट		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1996-97	14056	12273	26329	9879	8148	18027	6972	5517	12489	4879	3888	8767	3167	2455	5622	-	-	-
1997-98	13282	10822	24104	10947	9385	20332	7182	6009	13191	4967	3846	8813	3548	3330	6878	-	-	-
1998-99	12187	10753	22940	10772	9450	20222	7437	5762	13199	5654	5019	10673	4256	3745	8001	-	-	-
1999-00	13969	12672	26641	11178	10104	21282	7919	6785	14704	5916	5053	10969	4837	3535	8372	-	-	-
2000-01	17736	16832	34568	13692	11870	25562	11065	9900	20965	9349	7711	17060	6201	4850	11051	55.88	60.48	58.03
2001-02	14238	13232	27470	12143	11320	23463	10053	9229	19282	8013	7197	15210	5952	4904	10856	55.19	54.68	54.96
2002-03	14061	12321	26382	10871	11349	22220	10469	9860	20329	7433	7140	14573	5895	5075	10970	51.63	52.80	52.18

छात्र नामांकन प्राथमिक स्तर – सितम्बर 2002

छात्र नामांकन सारिणी 2.7.1

6–11 वय वर्ग में बच्चों की सं0			नामांकन						योग		
			परिषदीय			मान्यता प्राप्त					
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
271466	215010	486476	144979	130713	275692	117801	62036	179837	262780	192749	455529

छात्र नामांकन--उच्च प्राथमिक स्तर – सितम्बर 2002

(राजकीय हाईस्कूल/इंटरमीडिएट के साथ संबद्ध स्कूल भी सम्मिलित

छात्र नामांकन सारिणी 2.7.2

11–14 वय वर्ग में बच्चों की सं0			नामांकन						योग		
			परिषदीय			मान्यता प्राप्त					
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
175523	146520	322043	16488	11139	27627	149489	109543	259032	165977	120682	286659

भौतिक सुविधाऐं :

विद्यालयों में बालक बालिकाओं के धारण तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि विद्यालय का वातावरण मनोहारी हो वहां पर बच्चों को पीने का पानी की व्यवस्था हो, शौचालय, तथा उपयुक्त संख्या में कक्षा कक्ष, चाहर दीवारी की समुचित व्यवस्था हो, जनपद आगरा की भौतिक स्थिति का समग्र अवलोकन करने के पश्चात भौतिक सुविधाओं की स्थिति को निम्न सारीण से प्रदर्शित किया गया है।

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें (परिषदीय विद्यालय 30.09.2002 की स्थिति)

(प्राथमिक स्तर) सारिणी 2.8

क्रमांक	प्रा0 विद्यालय भवनहीन/जर्जर पुनर्निर्माण	ग्रामीण	नगर	योग
1	प्रा0 विद्यालय भवनहीन/जर्जर पुनर्निर्माण	38	52	90
2	एक कक्षीय विद्यालयों की सं0	62	–	62
	दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	983	89	1072
	तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	196	38	234
	चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	51	18	69
	पॉच कक्षीय तथा पॉच कक्ष से अधिक विद्यालयों की संख्या	31	01	32
	योग	1361	198	1559
3	मरम्मत योग्य विद्यालय लघु मरम्मत	342	83	425
	मरम्मत योग्य विद्यालय वृहद मरम्मत	173	37	210
4	शौचालय विहीन विद्यालय	0	–	0
5	हैण्ड पंप विहीन विद्यालय	79	–	79

(उच्च प्राथमिक स्तर) सारणी 2.9

क्रमांक	उच्च प्रा0 विद्यालय भवनहीन/जर्जर पुनर्निर्माण	ग्रामीण	नगर	योग
1	मरम्मत योग्य लघु मरम्मत	33	12	45
2	बृहद मरम्मत	19	—	19
3	एक कक्षीय विद्यालयों की सं0	02	01	03
	दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या	08	03	11
	तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या	46	01	47
	चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या	107	02	109
	पॉच कक्षीय तथा पॉच कक्ष से अधिक विद्यालयों की संख्या	34	—	34
	योग	197	07	204
4	शौचालय विहीन विद्यालय	29	05	34
5	हैण्डपंप विहीन विद्यालय	18	02	20

18 भवनहीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में से 12 नगर क्षेत्र तथा शेष 6 ग्रामीण क्षेत्र में हैं।

सारणी – 2.10

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी/आवश्यकता

क्रमांक	मद/सुविधा का नाम	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर		
		कमी	डी.पी.ई.पी.–III एवं वित्त आयोग जिला योजना अंतर्गत प्राइमरी विद्यालय	माँग	कमी	डी.पी.ई.पी.–III एवं वित्त आयोग जिला योजना अंतर्गत उच्च विद्यालय	माँग
1.	नवीन विद्यालय	0	0	0	0	06	0
2.	भवनहीन/जर्जर	128	84	44	28	07	21
3.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष प्रति प्रति प्राथमिक वि0 तीन/ प्रति उ0प्रा0वि0 4 के आधार पर	1196	134	1062	78	–	78
4.	पेयजल सुविधा	252	235	17	20	–	20
5.	शौचालय	1074	1057	17	42	08	34

अध्याय–3

नियोजन प्रक्रिया

शिक्षा विकास का आधार है और बेसिक शिक्षा मानव के समग्र विकास की आधारशिला है, यही कारण है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार बेसिक शिक्षा को जन-जन तक सुलभ कराने हेतु निरन्तर प्रयत्नशील रही है जनपद आगरा में 2001 से पूर्व यद्यपि 6.11 वय वर्ग की बेसिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्ता परख बनाने हेतु सरकार द्वारा आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा परियोजना आदि विभिन्न परियोजनायें चलायी गयीं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना वर्ष 1963-64 से लागू होने पर परिवार सर्वेक्षण कराया गया और सूक्ष्म नियोजन द्वारा अनेकानेक कार्य किये गये।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना :

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को विशेष महतव दिया गया, इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6.11 वय वर्ग बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आकलन किया जाए। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिए इसके उददेश्यों तथा विधियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूचिया तैयार की गई बस्तियों की सूची परिशिष्ट में दी गयी है।

इस जनपद में सर्वप्रथम 1998-99 में तथा दूसरा चरण 2000-01 तक सभी ग्राम वासियों के सहयोग से बस्ती प्रत्येक परिवार से सम्बन्धित सभी सूचनाओं का एकत्रीकरण किया गया और एकत्रित सूचनाओं/आकडों का विश्लेषण करके समस्याओं/आवश्यकताओं की पहचान की गई।

सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिए निम्नलिखित सूचनाये एकत्रित की गई :-

1 ग्राम मे 6 11 वय वर्ग के कुल बच्चो की संख्या।

2 विद्यालय न जाने वाले की संख्या।

3 शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र न जाने का कारण।

4 यदि ग्राम मे विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र नही है तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है।

5 यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते है।

6 क्या ग्राम मे स्थित प्रा0 विद्यालय के भवन में उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त है। यदि नही तो इनके सुधार के लिए ग्रामवासियों के क्या सुझाव है।

7 यदि विद्यालय में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुपात है तथा छात्र अध्यापक अनुपात क्या है। क्या अध्यापक नियमित रूप से आते हैं?

8 शिक्षण कार्य की स्थिति/शिक्षा की गुणवत्ता के विषय मे ग्रामवासियो के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्राम वासियों के सहयोग से किये गये?

1 परिवार सर्वेक्षण

2 स्कूल का मानचित्रण शैक्षिक मानचित्र

3 सूचनाओं का विश्लेषण

4 ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण।

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों उत्साही युवक–युवतियों, शिक्षकों, शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गॉव की शैक्षिक समस्याओं के साथ–साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गइ। समूहों द्वारा सर्वक्षण प्रपत्रो के माध्यम से गॉव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया। इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गॉव की सम्पूर्ण स्थिति की परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एव स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्राम वासियो के सहयोग से गॉव की उत्तम व्यवस्था के लिए ग्राम शिक्षा योजना बनाई गई।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के निम्नलिखित सूचनायें एकत्र की गई –

1. बस्ती की पूरी जनसंख्या
2. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या
3. स्त्री पुश्च की जनसंख्या
4. पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की सख्या
5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी
6. विकलाग बच्चों के विषय में जानकारी
7. **बालिका शिक्षा की स्थिति।**

उपरोक्त सभी तथ्यों समस्याओ आदि पर बस्ती के लोगो व समुदाय के सभी सदस्यों की विचार–विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परिवारों/बस्तियों के विवरण को समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गई। इस योजना को अध्यावधिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 पुन: उपरोक्त सारी प्रक्रिया दोहराई गई ताकि बस्तीवार शैक्षिक ऑकड़े उपलब्ध हो सके। इन सभी योजनाओ का रिकार्ड पूर्व में विकास खण्ड स्तर पर रखा गया किन्तु इनका समुचित उपयोग नही किया जा सका।

फलस्वरूप वर्ष 1998–99 में माइक्रोप्लानिंग डाटा के अधावधिक बनाने के साथ ही जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गई उन्हे ग्राम स्तर पर ही विद्यालय में रखा गया ताकि इनका प्रयोग गॉव स्तर पर आसीन हो सके। वर्ष 1998 2000 तक माइक्रोप्लानिंग के जो ऑकड़े एकत्र किये गये थे। उन्हें जनपद स्तर पर सकलित किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इसी को आधार बनाया गया है।

माइक्रो प्लानिंग से प्राप्त सारणी 3.1 में प्रदर्शित परिवारवार/वस्तीवार ऑकडों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तंगत उपयोगी बनाने हेतु विकास खण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता से वगीकृत व विकास खण्ड वार सकलित किया गया। 6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमो को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की सख्या 6–8 वर्ष तथा 9–14 वर्ष समूहों में आंकतित की गयी। इन बच्चो में बालक बालिकाओं की संख्या पृथक–पृथक ज्ञात की गयी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की सख्या भी आंकलित की गयी जो कामकाजी है। पैतृक व्यवसाय में माता–पिता की सहायता करते हैं अथवा सड़क छाप बच्चे (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) है।

30 सितम्बर 2002 के अनुसार

क्र0	ब्लाक	बालगणना वयवर्ग 6-11			बालगणना वयवर्ग 11-14			[illegible]		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अकोला	9472	8325	17797	6126	5263	11389	15598	13588	29186
2	बरोलीअहीर	17917	15866	33783	10953	9226	20179	28870	25092	53962
3	बिचपुरी	8342	7053	15395	4857	4325	9182	13199	11378	24577
4	शमशाबाद	16324	8548	24872	10522	6642	17164	26846	15190	42036
5	फतेहाबाद	22416	14625	37041	9226	6721	15947	31642	21346	52988
6	वाह	10082	7809	17891	6857	5026	11883	16939	12835	29774
7	पिनाहट	10265	7625	17890	5246	4965	10211	15511	12590	28101
8	जैतपुरकलॉ	8595	7032	15627	5063	4828	9891	13658	11860	25518
9	ऐत्मादपुर	10936	10096	21032	9516	7916	17432	20452	18012	38464
10	खंदोली	14028	11906	25934	9326	8048	17374	23354	19954	43308
11	सैंया	10957	9853	20810	6826	5916	12742	17783	15769	33552
12	जगनेर	6820	5746	12566	4527	3886	8413	11347	9632	20979
13	खेरागढ	9632	8646	18278	6553	5026	11579	16185	13672	29857
14	अछनेरा	16246	13132	29378	9052	8420	17472	25298	21552	46850
15	फतेहपुरसी0	16668	10232	26900	7843	6621	14464	24511	16853	41364
16	नगर क्षेत्र	82766	68516	151282	63030	53691	116721	145796	122207	268003
	योग	271466	215010	486476	175523	146520	322043	446989	361530	808519

जनपद– आगरा।

	6 14 आयुवर्ग के कुल बच्चों की संख्या														
	सामान्य			पिछड़ी			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
नगरक्षेत्र	72659	42829	115488	36802	38358	75160	36335	41020	77355	0	0	0	145796	122207	268003
ग्रामीण क्षेत्र	137502	103670	241172	82167	68503	150670	81524	67150	148674	0	0	0	301193	239323	540516
योग	**210161**	**146499**	**356660**	**118969**	**106861**	**225830**	**117859**	**108170**	**226029**	**0**	**0**	**0**	**446989**	**361530**	**808519**

	6 14 आयुवर्ग के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों की संख्या														
	सामान्य			पिछड़ी			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
नगरक्षेत्र	71243	35810	107053	34470	27489	61959	33902	27564	61466	0	0	0	139615	90863	230478
ग्रामीण क्षेत्र	134232	98884	233116	78218	62466	140684	76692	61218	137910	0	0	0	289142	222568	511710
योग	**205475**	**134694**	**340169**	**112688**	**89955**	**202643**	**110594**	**88782**	**199376**	**0**	**0**	**0**	**428757**	**313431**	**742188**

	6 14 आयुवर्ग के स्कूल न जाने वाले कुल बच्चों की संख्या														
	सामान्य			पिछड़ी			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
नगरक्षेत्र	1416	7019	8435	2332	10869	13201	2433	13456	15889	0	0	0	6181	31344	37525
ग्रामीण क्षेत्र	3270	4786	8056	3949	6037	9986	4832	5932	10764	0	0	0	12051	16755	28806
योग	**4686**	**11805**	**16491**	**6281**	**16906**	**23187**	**7265**	**19388**	**26653**	**0**	**0**	**0**	**18232**	**48099**	**66331**

schoolchalosheet/8/1

सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी है जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते है तथा विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी हैं। जिनमे शिक्षा गारण्टी केन्द्र / वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस सर्व शिक्षा अभियान के प्लान की संरचना मे अधिक से अधिक वस्तीवार सूचना एकत्र कर उपयोग में लायी गयी है तथा विद्यालय न जाने वाले की संख्या का आकलन करते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम रखे गये है। इस सूचनाओं का विस्तृत विवरण पुस्तिका के अध्याय–7 में दर्शाया गया है।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अधावधिक चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना 2002–2003 के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायेगा।

इसके द्वारा प्राप्त ऑकड़ों / सूचनाओं का उपयोग वार्षिक योजना 2002–03 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायेगा।

जहॉ तक नगरीय क्षेत्रों के सुसगत शैक्षिक ऑकडों का सम्बन्ध हैं इन क्षेत्रों में परियोजना पूर्व गतिविधियों (प्री–प्रोजेक्ट एक्टीविटीज) के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जो प्रगति पर है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त ऑकडों का सारिणीय व सकलन किया जायेगा तथा निष्कर्षों का उपयोग वर्ष 2002–03 की वार्षिक कार्ययोजना एव बजट तैयार करते समय किया जायेगा।

स्कूल चलो अभियान –

शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 6.14 वय वर्ग के बच्चो को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने के परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0 सरकार के निर्देशन पर जिलाधिकारी अमरोहा के सरक्षण मे बेसिक शिक्षा विभाग, जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिनाक 01 जुलाई 2002 से 15 जुलाई 2002 तक चलाया गया और द्वितीय चरण 16 जुलाई 2002 से 31 जुलाई 2001 तक चलाया गया।

प्रथम चरण –

इस चरण में मुख्यतः से बच्चों के चिन्हांकन का कार्य किया गया. अभियान का शुभारम्भ मुख्यालय पर जिलाधिकारी आगरा द्वारा किया गया इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया तथा उनके बीच समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को सफल बनाने का आव्हान किया गया उसी समय विकास खण्ड स्तर पर ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्यों तथा विद्यालय स्तर प्रधानाध्यापकों द्वारा नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों एवं सदस्यों के माध्यम से स्कूल चलो अभियान का शुभारम्भ किया गया।

"स्कूल चलो अभियान" के लिये उ0प्र0 सरकार/शासन द्वारा नामित प्रभारी मत्री, उ0प्र0 सरकार की उपस्थिति में "स्कूल चलो अभियान के संदर्भ जनजागरण हेतु हरी झण्डी दिखाकर बच्चों की विशाल रैली को रवाना किया। इसके पूर्व अपने सम्बोधन में उन्होंने बच्चों के विद्यालय में नामांकन के साथ ठहराव भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। साथ ही बालिका शिक्षा पर विशेष बल देने का आव्हान किया। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड एवं विद्यालय स्तर पर भी रैली एवं प्रभात फेरियाँ निकाल कर जन–जागरण किया गया।

बच्चों के चिन्हांकन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर अध्यापकों/ऑगनबाडी कार्यकृक्षियों/स्वास्थ्य कार्यकृत्रियों/बहुद्देश्यीय कर्मचारियों के ग्रुप का सेक्टर बनाकर एक ही सान प्रत्येक ग्राम पंचायत में घर–घर घूमवार बच्चों का चिन्हासंन लिया गया जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में

द्वितीय चरण –

इस चरण में प्रात 10.00 बजे से 2.00 बजे तक चिन्हांकन बच्चों का नामांकन किया गया तथा 2.00 बजे से 4.00 बजे तक अभिभावकों से सम्पर्क कर बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित किया गया. इसमें संकुल प्रभारियों द्वारा प्रभारियों द्वारा प्रवेक्षण का कार्य किया गया तथा समय समय पर जनपदीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा गांवों का भ्रमण भी किया विद्यालय न जाने वाले बच्चों को विशेष रूप से दाखिला। प्रवेश

कराने हेतु प्रत्येक ब्लॉक में गोष्ठियों की गयी एवं गॉव स्तर पर जागरूक व्यक्तियों की टीम/ग्राम शिक्षा समिति द्वारा जनसम्पर्क किया गया जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय चरण के समाप्त होने तक 6–11 वय वर्ग के न पढ़ने जाने वाले चिन्हाकित बच्चों में से बच्चों का नामांकन कराया गया इसी प्रकार 11–14 वय वर्ग के न पढ़ने वाले चिन्हांकित बच्चों में से नामांकन कराया गया। जिसकी स्थिति निम्नवत् है –

योजना निर्माण में स्कूल चलो अभियान का योगदान लिया गया। सभी सचालित कार्यक्रमों की सबसे बडी त्रुटि यह रही है कि इनके नियोजन की प्रक्रिया या तो ऊपर से थोप दी गयी – या जनपद स्तर पर किंचित लोगों के पारस्परिक विचार–विमर्श से निर्मित की गई। फलस्वरूप लक्ष्य दूर होता चला गया। ऐसी स्थिति में यह अनुभव किया जाना स्वाभाविक हो गया कि नियोज्य की प्रक्रिया नीचे से प्रारम्भ होकर ऊपर तक जाय, और नियोजन की योजना निचले स्तरीय बस्तियों ग्रामों, विशेषता, अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति, अल्पसख्यक महिलायें एवं बाल श्रमिक, स्ट्रीट चाइल्ड आदि परिवारो के अभिभावकों से वैचारिक परामर्श कर बनाई जाये इसी वैचारिक परिणीत सर्व शिक्षा अभियान के रूप में हुई। और यह योजना, भारत सरकार द्वारा 2001 में चालू की गई, सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6–14 वय वर्ग समस्त बच्चों को 2003 तक नामकित कराना, 2007 तक अनिवार्यता पाचवी कक्षा तक शिक्षा पदान कराना तथा 2010 तक आठवीं कक्षा तक की शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गॉव स्तर की आवश्यकताओं को चिन्हित करने हेतु निर्मित 2001 से जन जागरण अभियान जनपद स्तर से लेकर गॉव स्तर तक चलायें गये सहभागिता परख प्रक्रिया के माध्यम से विकास खण्ड स्तर पर विकेन्द्रीकृत नियोजन को अपनाया गया इसके अन्तर्गत विकास खण्ड को इकाई मानते हुए (151 विकास खण्डों में) प्रत्येक विकास खण्ड 4 सैक्टरों में विभाजित किया गया और प्रत्येक सैक्टर में नियोजन प्रक्रिया को सुदृढ, व्यावहारिक एवं फलापेक्षी बनाने के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया गया इतना ही नहीं नोडल अधिकारियों के कार्यों का सुपर विजन हेतु पत्येक ब्लॉक में एक जोनल अधिकारी को नामित किया गया और इन्हें पत्येक न्याय

पचायत के त्रिस्तरीय एव त्रिदिवसीय कार्यक्रम को प्रभावी बनाने क दायित्व सौंपा गया।

1. सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से वातावरण सृजित करना

2. ग्राम सभा की खुली बैठकें आहूत करना और सर्व शिक्षा की विशिष्टाओं और लक्ष्य की जन सामान्य में प्रभावित ढंग से प्रसारित करना।

3. शिक्षकों, बहुद्देशीय कर्मियों के द्वारा बाल गणना कराना।

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी का अध्यक्षता में 2 समितियों का गठन किया गया –

1 कोर समिति

2 अभियान समिति (कैम्पेन कमेटी)

1. **कोर समिति –**

कोर समिति का मुख्य कार्य जनपद में सर्व शिक्षा अभियान को प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना।

2 **अभियान समिति –**

अभियान समिति का मुख्य कार्य जनपद मे सर्व शिक्षा अभियान का व्यापक प्रचार, प्रसार कराना विद्यालय न जाने वाले एवं ड्राप आउट बच्चों एवं उनके अभिभावकों की समस्याओं पर विचार करना तथा समस्याओं के निराकरण का विकन्द्रीकरण उपाय ढूढना ही इस समिति का मुख्य उद्देश्य है।

इस प्रकार जनपद आगरा में सर्वशिक्षा अभियान को साथक एवं सफल बनाने के उद्देश्य से विकेन्द्रीकृत नियोजन के माध्यम से बस्ती स्तर से शैक्षिक योजना तैयार करना तथा उसके पश्चात विकास खण्ड और जिला स्तर की समेकित योजना तैयार करने की प्रकिया प्रारम्भ की गयी है ताकि स्कूल से बाहर के सभी बच्चो को विद्यालय मे लाया जा सके इस प्रकार जिले में परियोजना नियोजन हेतु

1 विकास खण्ड स्तर पर टीम का गठन किया गया

2. बस्तियों में फोकस ग्रुप डिसकसन किया गया –

3. जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठकों का आयोजन किया गया।

बिन्दु 2 और 3 के द्वारा यह प्रयास किया गया कि समुदाय विशेष की विशिष्ट समस्यायें उभर कर आ सकें और उन्हीं के परामर्श से इन समस्याओं का समाधान भी ढूंढा जा सके। इसमें सामान्य रूप से निम्नलिखित समस्यायें एव सुझाव उभर कर सामने आये।

1. भौतिक संसाधनों की कमी
2. अध्यापकों की कमी
3. अध्यापकों की अनुपस्थिति
4. अध्यापकों से शिक्षा कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों का लिया जाना।
5. शिक्षकों में शिक्षण के प्रति उदासीनता।
6. प्रभावी निरीक्षण पर्यवेक्षण का अभाव, शैक्षिक गुणवत्ता का अभाव एव जीवनोपयोगी शिक्षा का अभाव
7. विद्यालय प्रबन्धन में सामुदायिक सहभागिता का अभाव
8. शिक्षा में बढ़ता राजनैतिक हस्तक्षेप
9. फोकस ग्रुप डिसकसन में विभिन्न क्षेत्रों/वर्गों से प्राप्त विशिष्ट समस्यायें व सुझाव

नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता हेतु कार्यवाही का विवरण

दिनांक 5/11/2001 से 6/11/2001 तक राज्य शैक्षिक एव प्रबन्धन संस्थान इलाहाबाद में सर्व शिक्षा अभियान के पर्सपेक्टिव प्लान हेतु कोर टीम के सदस्यों डा0 अरूण कुमार दुबे विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री ए0के0सक्सैना सहायक वित्त एव लेखाधिकारी,श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री जमुना प्रसाद प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा श्रीमती स्नेह प्रभा प्रवक्ता डाइट आगरा ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।दिनांक 08/11/2001 को कोर टीम द्वारा समस्त

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों /प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों को सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों से अवगत कराया गया और पर्सपेक्टिव प्लान हेतु वांछित सूचनायें मांगी गयीं तथा निर्देशित किया गया कि आप ब्लाक स्तर न्याय पंचायत स्तर ग्राम सभाओं में सर्व शिक्षा अभियान ग्राम वासियों के साथ बैठक कर क्षेत्र विशेष की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के आधार पर निराकरण हेतु सुझावों से कोर टीम को अवगत करावें। यह बैठक जिलाधिकारी आगरा श्री कुमार कमलेश की अध्यक्षता में सर्किट हाउस आगरा में आयाजित की गयी थी जिसमें जिलाधिकारी आगरा तथा मुख्य विकास अधिकारी आगरा श्रीमती रीता सिंह द्वारा अनेक महत्वपूर्ण सुझाव एवं मार्ग निर्देशन दिए गये जिसका समुचित समावेश पर्सपेकिटव प्लान में किया गया है।

विभिन्न क्षेत्रों में हुयी बैठकों का विवरण निम्नप्रकार है

नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता हेतु कार्यवाही का विवरण

तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण व संख्या	बैठक विचार-विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
16 11 2001	प्रा0वि0 नगला कली	ग्राम प्रधान, वी0डी0सी0 सदस्य प्र0अ0, एवम् अन्य शिक्षित नागरिक – 26	जूते का अपर एवं पॉरिटंग करने वाले बच्चों के लिए सायं 5 बजे से 8 बजे तक वैकल्पित शिक्षा विभाग
27 11 2001	प्रा0वि0 कसाजखेडिया	ग्राम प्रधान, प्र0अ0, पूर्व प्रधान वी0डी0सी0 सदस्य एवम अन्य पंचायत सदस्य आदि	ब्लैक बोर्ड के खडिया ने चाक बनाने वाले बच्चों के लिए साय 5 बजे से 8 बजे तक वैकल्पिक शिक्षा की मांग का जोरदार प्रस्ताव किया।
08 12 2001	प्रा0वि0 बिसौराकलां	ग्राम प्रधान पू0अ0 वी0डी0सी0 सदस्य अन्य शिक्षित गणमान्य नागरिक – 28	गलीचा कालीन के कार्य करने वाले बाल-श्रमिकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए वैकल्पिक व्यवस्था साय 5 बजे से की जाय।
10 12 2001	प्रा0वि0 सलेमाबाद	ग्राम प्रधान वी0डी0सी0 सदस्य, अध्यापकगण एवम् ग्राम के शिक्षित नागरिक अन्य ग्रामीण।	गलीचा कालीन के कार्य करने वाले बाल श्रमिक की शिक्षा व्यवस्था के लिए वैकल्पिक शिक्षा सायं 5 बजे से मॉग की गयी

14.12.2001	प्रा0वि0 छीपीटोला ताजगंज–वार्ड प्रातः 9 बजे	समाजसेवी श्री सन्दीप शर्मा तथा माननीय जन प्रतिनिधि एवं विभिन्न पार्टियों के महिला / अनु0जाति पिछड़ी जाति के प्रकोष्ठ के वार्ड अध्यक्ष मंत्री एवं श्रीमती स्मिता शर्मा ,व श्री राजेन्द्र सिंह नगर शिक्षा अधिकारी स0न0शि0अ0 शंकर लाल शर्मा स0न0शि0अ0 श्री अभय सिंह स0न0शि0अ0 श्री विश्वम्भरप्रसाद स0न0शि0अ0श्री देवी नन्दन अग्रवाल स0न0शि0अ0 शिक्षा विदुश्री यादव नाथ शर्मा विभिन्न विद्यालयों के अध्यापक अध्यापिका	मीटिंग के प्रतिभागियों के माध्यम से आगरा नगर के ताजगंज वार्ड के विद्यालय छोंडने वाले बालकों के अविभावकों की समस्याओं के बारे में निम्न सुझाव उनकी पूर्ति हेतु आये। 1. मुहल्ले स्तर पर मुहल्ला वासियों से उनकी समस्याओं के अनुसार कार्य योजना तैयार की जाय। 2. स्कूल न जाने वाले बच्चों को हितैषी अविभावकों को प्रेरित कर 6 से 14 वर्ष के बालकों को नामांकन किया जाय 3. मुहल्लेवार बाल गणना पत्रिका तैयार की जाय 4. विद्यालय में 1:40 केअनुपात में शिक्षकों की कमी की पूर्ति कर शिक्षकों की नियुक्ति की जाय 5. हर दो माह बाद शिक्षा अभियान चलाकर ड्राप आउट बच्चों को स्कूल लाया जाय
18.12.2001	प्रा0वि0 अम्बेडकर कटरा वजीरखॉ छत्ता–वार्ड	श्री वच्चू सिंह बैद्य अध्यक्ष नवचेतना जाग्रति संस्थान नगलाठीकरी श्री गौरीशंकर चौहान शिक्षा प्रमी श्री गाधी विचारवादी मंच के अध्यक्ष आर0पी0 मौर्य महिला उत्थान समिति की अध्यक्ष श्रीमती कमलेश कुमारी राना नगला बड श्री अल्पसंख्यक उत्थन समिति के अध्यक्ष श्री अहमद	1. समस्त उपस्थितो के विचारोपरानत प्रत्येक विद्यालय हेतु कम से क्रम एक शिक्षीका नियुक्ति करना। 2. 1:40 के मानक पर शिक्षकों की नियुक्ति करना 3. शिक्षकों का समय से स्कूल न आना
		कुरेशी / प्रा0शि0स0 के अध्यक्ष जी श्री मैराजुददीन व मंत्री श्री द्वारिका सिंह त्यागी।	4. शिक्षकों को अन्य क्रियाकलापों में लगाये [illegible]। 5. विद्यालय भवन का [illegible]।

25.15.2001	ईश्वरी प्रसाद जू0हा0स्कूल नाला अजीता वार्ड–लोहामण्डी	श्री अगन स्वरूपति चरवा पूर्व जि0बे0शि0अ0 श्री सूबेदार कदर्म उप बे0शि0अ0 श्री ओ0पी0 भास्कर उप प्राचार्य डाइट आगरा, श्री आर0पी0 सिंह अध्यक्ष शिक्षण परिषद संस्थान श्री महेश चन्द्र अग्रवाल प्रबन्धक ग्रीन कुलीन महाविद्यालय आगरा जन प्रतिनिधि पार्षद श्रीमती विद्यादेवी श्री गिर्राज सिंह पार्षद नालापदी कु0 शोभान बौद्ध श्री इकबाल पार्षद सैयदपाडा पार्षद तगि नगर शिक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह श्रीमती रिमिता शर्मा सहायक नगर शिक्षा अधिकारी श्री अभय सिह राघव व शंकर लाल शर्मा श्री ललित नारायण शर्मा प्रबन्धक ईश्वरी प्रसाद उ0मा0वि0 नगला अजीता गौरक्षा प्रीभारी	1. [illegible] छात्र व अध्यापको के प्रोत्साहन पुरष्कार का अभाव 2. छात्रों को मासिक त्रैमासिक अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में मुदित प्रश्न पत्र न देना। 3. छात्रों को शिक्षा विभाग द्वारा उत्तर पुस्तिका मासिक त्रैमासिक अर्द्धवार्षिक परीक्षा में न देना। 4. विद्यालय में मातृ–शिशु सम्मेलन की व्यवस्था न होना। 5. विद्यालय में खेल व उद्यम शिक्षक का अभाव 6. विद्यालय में संस्कृत विषय के न पढ़ाये जाना। 7. कक्षा में अंग्रेजी पाठ्यक्रम का संचालित न होना
		श्री संतोष पराशर बजरंग दल अध्यक्ष सुनील पराशर मुहल्ले के गणमान्य व्यक्ति व अविभावक	8. विद्यालय में शिक्षा व तत सामग्री का आभावा

30.12.2001	चाहशोर प्रा0वि0 गुड़ की मण्डी आगरा वार्ड–कोतवाली	सत श्री नित्यानन्द सचिदानन्द प्रकाश के माननीय संत श्री वार्ड के गणमान्य नागरिक श्री मुकुट बिहारी लाल उपाध्याय पूर्व मत्री पू0मा0वि0 क्षेत्रीय पार्षद सामान्य समाज संगठनों से जुड़े कार्यकर्त्ता महिला समाज उत्थान समिति की अध्यक्षा श्री द्वारिका प्रसाद पाठक प्र0अ0 श्री अमर सिंह अध्यक्ष पू0मा0वि0श्रीमती सीताराम श्री राजेन्द सिंह शि0अ0 श्री अभय सिंह राघव व श्री शंकर लाल शर्मा स0नि0शि0अ0 आदि।	1. अन्य विभागों की भॉति शिक्षकों की व्यायाम प्रतियोगिताओं का अभाव 2. विद्यालय में मान्यता प्राप्त विद्यालयों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए वैकल्पिक शिक्षा का अभाव 3. विद्यालयों मे कम्प्यूटर शिक्षा का अभाव। 4. छात्रों के बैठने हेतु मेज कुर्सी फर्नीचर का अभाव 5. शिक्षा सामग्री रखने हेतु अलमारियों का अभाव
31.12.2001	पू0मा0वि0 बजीरपुरा वार्ड हरीपर्वत	श्री आर0सी0 अग्रवाल व्यवसायक दल के मन्त्री पूर्व स0न0शि0अ0 श्री मुहम्मद इस्माइल श्री राम भरोसीलाल फौजार श्री चोखे लाल उपाध्याय सेवा निवृत नगर शिक्षा अधिकारी श्री कृष्ण शर्मा उपनगर अधिकारी श्री अनिल कुमार श्री फौरन सिंह यादव प्र0अ0 एवं अम्बेडकर विचार मंच एवम् उत्थन समिति के अध्यक्ष श्री आर0 पी0 मौर्या मजदूरदल के नेता श्री के0पी0 धाकरे तथा वर्तमान व भूतपूर्व पार्षद अविभावक शिक्षक परिषदीय व मान्यता प्राप्त।	1. बाल श्रमिक विद्यालयों का अभाव 2. छात्रों को सेवक द्वारा लाने का अभाव 3. रोजगार पूर्ण शिक्षा का अभाव 4. खुले व रोशनीदार विद्यालय भवन का अभाव **सुझाव** 1. बाल श्रमिक विद्यालय खोले जायेगे। 2 प्रत्येक विद्यालय मे सेवक की नियुक्ति की जायेगी 3 रोजगार पूर्ण शिक्षा दी जायेगी। 4 खुले एवं रोशनीदार विद्यालय भवनों का निर्माण किया जायेगा।

23.11.2001	एन0पी0 आर0सी0 रूनकता	ग्राम प्रधान 03 प्र0 अ012 आँगनबाडी कार्यकत्री 03 स्वयंसेवी 10	रू 5000/– के सामान क्रय करने में विद्यालय स्तर पर मानक के अनुसार परेशानी। बालिका शिक्षा हेतु पृथक विद्यालयों का आभाव। नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम का आभाव
24.11.2001	एन0पी0 आर0सी0 पुरामना	ग्राम प्रधान 6, प्र0अ0 8, स्वय सेवी 11, स0अ0 5, जिला पचायत सदस्य 1	विद्यालयों की चहारदीवारी निर्माण की विशेष आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित। विद्यालयों में शिक्षामित्रों के चयन एवं आचार्यों के चयन कराने की आवश्यकता। विद्यालय में शिक्षकों की कमी। जर्जर भवनों का पुन: निर्माण

तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण व सख्या	बैठक विचार–विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
26.11.2001	खण्ड विकास अधिकारी बाह का सभागार क्षेत्र पचायत की बैठक	खण्ड विकास अधिकारी श्री शैलेन्द व्यास ब्लाक प्रमुख श्रीमती राधा देवी, ज्येष्ठ उपजिला प्रमुख श्री लाखन सिह, ग्राम पचायत विकास अधिकारी 18, क्षेत्र पचायत सदस्य 20, ग्राम प्रधान 33, सहायक शिक्षा अधिकारी	1 विकास खण्ड की विद्यालयों प्राथमिक व उच्च प्राथमिक में अध्यापकों की कमी। 2 अशक्षित बस्तियों में नवीन विद्यालयों की स्थापना।
		1 कुल सख्या 77	3 सामुदायिक सहभागिता हेतु अध्यापक व समाज की सक्रिय भूमिका। 4 अध्यापकों में कर्त्तव्य बोध की भावना का ह्रास। 5 शिक्षित बेरोजगार युवकों को विद्यालय समय में गुणवत्ता सुधार हेतु सक्रिय भागीदारी। 6 छात्र में प्रतियोगिता की भावना विकसित करने हेतु सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित करना व पुरस्कार की व्यवस्था होना।

तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण व संख्या	बैठक विचार–विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
28.11.2001	ब्लाक संसाधन केन्द्र खदौबी	एन0पी0आर0सी0 समन्वयक प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख, विपणन अधिकारी, ए0डी0ओ0 पंचायत, कुल संख्या 85	1. शिक्षक वर्ग को प्राथमिकता के आधार पर शिक्षण कार्य ही दिया जाय। 2. छात्रवृत्ति का आधार जातीय न रखकर पात्र की आवश्यकता हो। 3. बाल पोषाहार वितरण समाप्त किया जाय क्योंकि इससे सामान्य नागरिक में हीन भावना का अनुभव होता है
29.11.2001	ब्लाक केन्द्र अकोला	ग्राम प्रधान बी0डी0ओ0 सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, ग्राम प्रधान एन0पी0आर0सी0 समन्वयक प्रधानाध्यापक एवं सम्भ्रान्त नागरिक	1. कक्षावार अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए। 2. कमजोर छात्रों का चिन्हांकन कर उनकी शिक्षा की व्यवस्था अलग से की जाय। 3. अध्यापकों द्वारा सहायक सामग्री का प्रयोग पर बल दिया जाय तथा शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ाई जाय। 4. विद्यालय प्रबन्ध का उचित रख रखाव किया जाय। 5. छात्रों के बैठने हेतु उचित व्यवस्था की जाय

अध्याय–4

लक्ष्य एवं उद्देश्य

4.1 सर्व शिक्षा अभियान स्कूल शिक्षा पद्धति के कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय आधारित केटिपरक प्रारम्भिक शिक्षा को मिशन रूप में प्रदान करने सम्बन्धी जरूरत पूरा करने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्त्री–पुरूष असमानता तथा सामाजिक उत्तर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गयी है।

सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से 6–14 वर्ष वर्ग के बालक बालिकाओं की प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना है। अभियान को मूर्त रूप देने की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये है।

4.2 **सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य:**

- वर्ष 2003 तक स्कूल शिक्षा गारन्टी केन्द्र, विद्या केन्द्र बैक टू स्कूल शिविर के माध्यम से सार्वभौमिक नामाकन
- सभी बच्चे वर्ष 2007 तक पॉच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।
- सभी बच्चे वर्ष 2010 तक 8 वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर लें।
- सन्तोष जनक कोटि की प्रारम्भिक शिक्षा, जिसमें जीवनोपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया हो, पर बल देना।
- बालक बालिका असमानता तथा समाज के विभिन्न वर्गों में व्याप्त असमानताओं को 2007 तक प्राथमिक स्तर तक वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों का शत प्रतिशत ठहराव सुनिश्चित करना।

जनपद आगरा में उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर पर लक्ष्यगत वर्ग के बच्चों को विद्यालयी सुविधा प्रदान कर, उनके शालात्याग की दर को कम करने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनेक सुनियोजित प्रयास किये गये है और इनमें हमें सफलता भी मिली है। तथापित शत प्रतिशत नामांकन को पूर्ण करने तथा शाला त्याग की दर को शून्य करते हुए गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु सघन प्रयास की आवश्यकता है।

सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित को प्राप्त करने की दृष्टि से जनपद आगरा के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये है।

उद्देश्य:

क **पहुँच** - मानक के अनुसार असेवित वस्तियों में नवीन विद्यालय विद्या केन्द्र / विद्या केंद्र / नवाचार शिक्षा की व्यवस्था करना।

ख. **नामांकन** -- वर्ष 20030 तक प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत नामांकन सुनिख्ति करना एवं 2007 तक उच्च **प्राथमिक स्तर पर** शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना।

4.3 विशिष्ट उद्देश्य

4.3.1 प्राथमिक स्तर

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर 2003 तक 100 प्रतिशत शुद्ध नामांकन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में जनपद आगरा में प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन का दर 94 प्रतिशत है।

जनपद आगरा में 2002-2003 में 6-11 वर्ष वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 486476 है इनके आगे वर्षो में अनुमानित बच्चों की संख्या का आगणन हेतु 2.0 प्रतिशत की वार्षिक वृहद दर का प्रयोग किया गया है। जहां तक नामांकन का प्रश्न है वर्ष 2003-04 में 100 प्रतिशत के हिसाब से 496206 बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में नामांकित करने का लक्ष्य है। वर्ष 2003-04 के पश्चात नामांकित बच्चों की संख्या का 2.0 प्रतिशत वार्षिक

वृद्धि दर पर प्रक्षेपित किया गया है–

इस प्रकार 2003 के आगे के वर्षो में भी सकल नामांकन = 100 प्रतिशत प्रदर्शित किया गया है। चूँकि 6–11 का वर्ग के बच्चों तथा नामांकित बच्चों की संख्या एक ही वृद्धि पर 2.0 प्रतिशत के आधार पर निकाली गयी है। निम्न सारणी 4.1 में प्रदर्शित है।

सारिणी संख्या – 4.1

प्राथमिक विद्यालय
आगरा

क्र० सं०	वर्ष	6–11 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता / गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय नामांकित बच्चों की संख्या	[illegible]	जी०ई० आर०	बालिका + अनु जाति बालकों की संख्या (परिषदीय)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2002-03	486476	455529	179837	275692	30947	93.7	318870
2	2003-04	496206	496206	185297	310909	0	100	355849
3	2004-05	506130	506130	189002	317128	0	100	387766
4	2005-06	516252	516252	192782	323470	0	100	359827
5	2006-07	526577	526577	196638	329931	0	100	367018

4.3.2 उच्च प्राथमिक स्तर :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2007 तक उ0प्र0 स्तर पर शत प्रतिशत नामांकन करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान मे जनपद आगरा का उ0प्र0 स्तर पर सकल नामांकन अनुपात 93.61 प्रतिशत है। बाल गणना के अनुसार जनपद मे 11 14 का वय वर्ग के 322043 बच्चे हैं इनके सापेक्ष 286659 बच्चे नामांकित है। वर्ष 2002 2003 से 2006 07 तक 11 14 वर्ग के बच्चे की संख्या 2.0 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर प्रक्षेपित की गयी है। जिसका विवरण सारणी 4.2 मे दिया गया है।

सारिणी संख्या – 4.2

11 – 14 वय वर्ग के अनुमानित बच्चे व नामांकन

उच्च प्राथमिक विद्यालय

आगरा

क्र स	वर्ष	11–14 वर्ष के कुल बच्चों की सख्या	कुल नामांकित बच्चों की सख्या	मान्यता / गैर मान्यता प्राप्त नामाकित बच्चे	परिषदीय उच्च प्राथमिक वि० मे नामांकित बच्चों की सख्या	जो बच्चे विद्यालय में नही जा रह हैं। (वर्षवार)	जी०ई० आर०	बालिका + अनु. जाति बालकों की सख्या
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2002.03	322043	286659	259032	27627	35384	89	215771
2	2003.04	328483	302204	265337	36867	26279	92	220084
3	2004.05	335052	318299	271083	47216	16753	95	223261
4	2005.06	341753	331501	282327	49174	10252	97	228974
5	2006.07	348785	348587	296879	51708	0	100	233557

4.4 धारण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत यह लक्ष्य रखा गया कि प्राथमिक स्तर पर 2004 तथा उच्च प्रा0 स्तर पर वर्ष 2005 तथा 100 प्रतिशत धारण प्राप्त किया जाये। जनपद आगरा में वर्ष 2002--2003 में 6–11 वय वर्ग के बच्चों का ड्रॉप आउट रेट 47.51 प्रतिशत है तथा अनुसूचित जाति का ड्रॉप आउट रेट 52.18 प्रतिशत है। 11 -14 वय वर्ग में ड्रॉप आउट रेट 8.19 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति का ड्रॉप आउट रेट 9.5 प्रतिशत है जिसे निम्न सारणी अनुसार अग्रिम वर्षो में शून्य कर लिया जायेगा।

वर्ष	ड्रॉप आउट रेट प्राथमिक स्तर पर		ड्रॉप आउट रेट उच्च प्राथमिक स्तर पर	
	कुल	अनुसूचित जाति	कुल	अनुसूचित जाति
2002-2003	47.51	52.18	8.19	9.5
2003-2004	40	42	7.5	8
2004-2005	30	30	6	7.5
2005-2006	15	15	5	6
2006-2007	5	5	4	5

4.5 गुणवत्ता संवर्धन:

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा मे गुणात्मक सुधार को दृष्टिगत रखते हुऐ शैक्षिक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण एव सहयोग हेतु प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 तथा जिला स्तर पर पूर्व मे स्थापित डायट को अधिक सुदृढ एव क्रियाशील बनाया जायेगा। शिक्षा सम्बन्धी समस्यायें एव उनके निवारण के लिए विद्यालय, एनपीआरसी बी0आर0सी डायट मे समन्वय स्थापित किया जायेगा। इसके अन्तर्गत प्रत्येक

स्तर पर निरीक्षण, पर्यक्षेक्षण, कार्यशालाए, गोष्ठियों बैठकें व अभिनव प्रयासों का आदान प्रदान करने के लिए पूर्ण रूप से संस्थागत क्षमता सवर्धन व भौतिक रूप से और अधिक सुदृढ किया जायेगा।

समस्यायें व रणनीतियॉ

सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन की प्रक्रिया पूर्णतया विकेन्द्रीकृत रूप से अपनायी गयी है। बस्ती आधारित कार्यक्रम का नियोजन किया गया। शिक्षा से जुडे हुए व्यक्तियों, समुदायों के विभिन्न वर्गों, शिक्षकों ग्राम प्रधानों, अभिभावकों आदि के साथ ग्राम पंचायत न्याय पंचायत विकास खण्ड तथा जनपद स्तर पर बैठकें कर ली गयी है। इन बैठकों में विचार विमर्श के बाद प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य समस्यायें व मुद्दे निम्नवत उभर कर आये इन समस्याओं के सुझाव हुतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत अपनायी जानी वाली रणनीतियॉ इस प्रकार है।

क. शिक्षा की पहुँच

क्र.सं.	समस्याएं / मुद्दे	रणनीति
1	असेवित बस्तियों में विद्यालय उपलब्ध नहीं	परिवार सर्वेक्षण के आधार पर 300 से अधिक आबादी वाले 112 असेवित बस्तियों मे नवीन विद्यालय खोले जायेंगे तथा 800 से अधिक आबादी वाली बस्तियों में 105 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे।
2	बिखरी बस्तियों में शैक्षिक सुविधा नही है।	300 से कम आबादी वाली बिखरी बस्तियों में विद्या केन्द्र तथा 800 से कम आबादी वाली बस्तियों में ए. आई.ई केन्द्र खोले जायेंगे।
3	कामकाजी बच्चों के लिए शिक्षा की विशेष सुविधा नहीं है।	समस्त कामकाजी बच्चों को शिक्षा से जोडने हेतु शिक्षाघर, ग्रीष्मकालीन शिविर शीतकालीन शिविर का आयोजन किया जायेगा।

ख. नामांकन सम्बन्ध

क्र.सं.	समस्याएं / मुद्दे	रणनीति
1.	समुदाय में बच्चों के नियमित पठन–पाठन प्रक्रिया के प्रति जागरूकता नहीं	ग्राम शिक्षा समतियों को सकिय करते हुए मासिक बैठकोका आयोजन कराया जायेगा विद्यालयों द्वारा रैली काआयोजन शिक्षा सप्ताह का आयोजन करते हुए जनजाग्रति तथा सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित किया जायेगा।

अध्याय–5

अध्याय–5

समस्याएं एवं रणनीतियाँ

सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्यायें होती हैं जो सभी बच्चों के लिये होती हैं। जैसे छात्र अनुपात में अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की व्यवस्था न होना, आवश्यकतानुसार भवन न होना, जीर्ण–शीर्ण भवन, हैण्डपम्प, शौचालय व चहारदीवारी का न होना इत्यादि इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा की अनेक विशिष्ट एवं गम्भीर समस्याएँ हैं। जा निम्नवत् है।

	समस्यायें	रणनीति
1–	दूरस्थ विद्यालय–	दूरस्थ विद्यालय होने के कारण अधिकतम बालिकाओंकोविद्यालयनहीभेजते, सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6 14 वर्ष वर्ग के बच्चों के लिये के अनुसार प्राथमिक स्तर एवं पूर्व माध्यमिक स्तर के विद्यालय की व्यवस्था प्रस्तावित है। तथा मानक की पूर्ति न करने वाले ग्राम एवं मजरों में विद्या केन्द्र की व्यवस्था की जायेगी।
2–	भौगोलिक कठिनाई	ऐसे स्थानों पर ई0जी0एस0 एवं केन्द्र खोले जायेंगे। जहाँ नदी, नाले पहाड़ जगल आदि है।
3-	आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन	माताओं, पिताओं एवं बच्चों की सोच मे बदलाव लानेके लिये सामाजिक जागरूकता एवं जन–चेतना केसभी प्रयास किये जायेगे। माता शिक्षक सघ, महिला मगलदल महिला प्रेरक समूह, महिला समाख्या बाल विकास योजना की

		कार्यकर्ती, ए0एन0एम0 कलाजत्था तथा ग्राम शिक्षा समितियों की सहभागिता एव जागरुक व्यक्तियों के सहयोग से अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त की प्राप्ति की जायेगी।
4–	अंध विश्वास–	प्रायः सुनने को मिलता है कि लडकियों को पढ़ाने से क्या फायदा है यह तो पराये घर का धन हैं, इनका कार्य तो पुरुषों की सेवा करना है। इस अंधविश्वास को समाप्त करने के लिये जन–चेतना के सभी प्रयास किये जायेंगे।
5–	लिंग भेदीकरण–	लिंग भेदीकरण को समाप्त करने के लिये जेण्डर संवेदीकरण का प्रशिक्षण सभी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को, एम0टी0ए0, डब्ल्यू0एम0जी0 को प्रदान कर जन–जन की सोच में परिवर्तन लाया जायेगा।
6–	शालात्यागी–	बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये/अभियान चलाये जायेंगे। जैसे–कला जत्था, ग्रीष्मकालीन शिविर, ब्रिजकोर्स, किशोरी केन्द्र, माता शिक्षक संघ, महिला प्रेरक समूह तथा ठहराव परिक्रमा एव तारांकन के माध्यम से बालिकाओं के [illegible] को रोका जायेगा।
7	व्यस्तता–	बालिका के ऊपर काम का अधिक बोझ लाद दिया जाता है, व्यस्तता के कारण बालिका या तो विद्यालय नही जाती या फिर बीच में विद्यालय छोड देती है सामुदायिक सहयोग एव

महिला संगठनों द्वारा समाज में जन जागृति की क्रान्ति लाकर बालिका को पूरे समय के विद्यालय भेजा जायेगा।

8– **शिक्षा के महत्व की अज्ञानता** – शिक्षा का मूल उद्देश्य विकास है, न कि रोजगारजबकि अभिभावक सोचता है कि नौकरी तो मिलती नहीं, पढ़ा-लिखा के क्या करेंगे, समाज को शिक्षा का सही अर्थ एवं महत्व बताने के लिये, ग्राम सभा में सेमीनार, कार्यशालाएँ आयोजित की जायेंगी। इस अज्ञानता को ज्ञानता में बदलकर समाज में शिक्षा के क्षेत्र में नयी क्रान्ति लायेगी।

9– **शिक्षा की उपादेयता संदिग्ध**– पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की बालिकाओं के लियेव्यवसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को जोडा जायेगा, जिससे छात्राएं स्वावलम्बी बन सकें तथा पिछड़ापन दूर हो सके, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के लिये सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्थानीय क्राफ्ट तथा नगरक्षेत्र के समीप ग्रामीण बालिकाओं के लिये सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्थानीय क्राफ्ट तथा नगर क्षेत्र के समीप ग्रामीण बालिकाओं के लिये सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेंहदी, फाइन आर्ट ब्यूटी पार्लर आदि सिखाने का प्रबन्ध किया जायेगा।

10– **छात्राओं के गणवेशों को उपेक्षित करना**– अभिभावक बालिकाओं को गणवेश से उपेक्षित करताहै। अधिकतर बालक को महत्व देता है। जिससे बालिका के मन में हीन भावना पैदा होती है। उसका व्यक्तित्व

मुखरता नही है। सामुदायिक सहयोग से बालिका के व्यक्तित्व को मुखारना होगा।

11– पाठ्य पुस्तकों का अभाव– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक समस्त छात्र एव छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित हैं।

ग्रीष्मकालीन शिविर :–

ग्रीष्मकालीन शिविर क्षेत्र आधारित शिविर सड़क, प्लेटफार्म मलिन बस्ती, दुकानों, घुमन्तु बच्चों, नौकरी पेशा, कुलीगिरी करने वाले बच्चों, ऐसे बच्चों जिनके अभिभावक जेल में हैं अथवा बाल श्रमिक/खतरे के उद्योगो मे लगे बच्चे जिनका वय वर्ग 9–14 वर्ष है, के ग्रीष्मकालीन शिविर, ब्रिज कोर्स/क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविर सचालित किये जायेंगे।

डी0पी0ई0पी0 ॥ में भी 5–5 ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन किया जाना है। इन ग्रीष्मकालीन शिविर एव ब्रिज कोर्स/क्षेत्र विशिष्ट आधारित का मूल उद्देश्य औपचारिक विद्यालयों से वंचित रहे। इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने का प्रयास किया जायेगा। उक्त शिविरों 9–14 वय वर्ग के 40 बच्चे सम्मिलित किये जायेगे तथा ये आवासीय होंगे (शिविर)। इन शिविरों में बच्चे के रहने, खाने, पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क की जायेगी।

निर्धारित मानकों के अनुसार ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविर के लिये एक केयर टेंक, दो पैरा टीचर, एक कुक (रसोईया) एव एक चौकीदार की आवश्यकता होगी, इस पर चयन–प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

बालिकाओं के लिये विद्या केन्द्र :–

गामो, बस्तियो, मजरो, मौहल्लो, टीलो, पहाडी क्षेत्र (जैसे फतहपुर सीकरी एव जगनेर) में बालिका साक्षरता दर न्यूनतम है, ऐसे ग्रामो मे बालिका विद्या केन्द्र खोले जायेंगे तथा महिला अनुदेशिका की व्यवस्था की जायेगी। इसमे सामुदायिक सहभागिता

महिला सांसद, किशोरी जागृति दल आदि के सहयोग से चेतना, जागृति एवं बालिकाओं में रुचि बढ़ानें का प्रयास किया जायेगा। महिला साक्षरता दर में न्यूनतम के आधार पर ब्लॉक फतेहाबाद, सैंया, अकोला, एत्मादपुर आदि में प्राथमिकता के आधार पर खोला जाना प्रस्तावित है।

बालिकाओं की शिक्षा के अवरोधक तत्व :–

बालिकाओं के नामांकन एवं शाला त्यागी के कारण जटिल है। इनके संरचनात्मक कारण जैसे बस्तियों में स्कूलों का अभाव, महिला शिक्षकों का अभाव, आर्थिक बाध्यता और समाज में प्रचलित सांस्कृतिक धारणायें और अंधविश्वास जटिल कारण हैं। बालिकाओं के लिये शिक्षा की मांग न होना, उनके न्यूनतम नामांकन का मुख्य कारण हैं। जब कि यह दर्शाया जाता है कि बालिकाओं के लिये शैक्षिक सुविधायें अपर्याप्त हैं। स्कूल का वातावरण भी ऐसा है जो बालिकाओं को शिक्षा की ओर प्रेरित नहीं कर पाता और न उसकी विशेषताओं को उभारता है।

फसल की कटाई, शादी, त्यौहार, मेलों के अवसर पर भी इनको घर पर ही रोक लिया जाता है। जिसके कारण विद्यालय में उपस्थिति में भारी कमी होती है।

1– जागरुकता क्रिया–कलापों के द्वारा बालिकाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय वातावरण बनाये जाने पर रोक।

2– समाज में बालिकाओं की शिक्षा को समानता का अवसर देने के लिये 'जेण्डर' संवेदीकरण पर विशेष बल देना।

3– शिक्षकों को कक्षा में 'जेण्डर' भेदभाव रोकने के लिये।

4– शिक्षकों को प्रशिक्षित किये जाने के लिये प्रभावशाली मॉडयूल विकसित करना।

5– माता शिक्षक संघ एव महिला प्रेरक दल का गठन करना एवं उनको 'लिंग संवेदीकरण' का प्रशिक्षण प्रदान करना।

6 महिला तथा बालिका शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालने तथा जोर देने वाली सामग्री विकसित करना।

7– ई0सी0सी0ई0 केन्द्र स्थापित करना।

8– बालिका शिक्षा केन्द्र स्थापित करना।

9– प्राथमिक शिक्षा से उच्चस्तर के विद्यालयों में बालिकाओं को जोडे रखने की रणनीति एवं कार्य करना। कार्यानुभव पर आधारित शिक्षा को महत्व देना।

कार्यक्रम :–

बालिकाओं को शत–प्रतिशत शिक्षा दिलाने हेतु समुदाय के साथ दृढ संकल्प लेते हुए मिलकर कार्य करना है। प्राथमिक विद्यालय के सार्वजनीकरण के लिये सामाजिक सहभागिता अति आवश्यक है।

वर्तमान में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक संगठनात्मक नीतियों का क्रियान्वयन किया है। जिसका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता को एक नई दिशा देना है।

समाज के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति के साथ–साथ अन्य संगठनों में विभिन्न समुदाय की महिलाओं की भागीदारी को बात कही गयी है और होना भी जरूरी है।

बालिकाओं की शिक्षा के लिये सामुदायिक सहभागिता निम्नांकित होगी :–

1– बालिकाओं के नामांकन, ठहराव एवं विद्यालय प्रबन्धन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढावा।

2– ग्राम शिक्षा समिति, माता शिक्षक संघ, महिला प्रेरक समूह।

3– ग्राम शिक्षा समितियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

4– समय–समय पर उक्त संगठनों को प्रशिक्षण देना, जिससे बालिका शिक्षा को बल मिले।

मीना कैम्पेन :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज में नई चेतना लाने के लिये "यूनीसेफ" द्वारा विकसित मीना नामक बालिका पर तैयार भव्य दृश्य फिल्म का प्रयोग किया जाता है। इस फिल्म को देखने के पश्चात समुदाय बालिका को शिक्षा दिलाने हेतु

स्वय वचनबद्ध हो जाता है।

माँ–बेटी मेला एवं महिला संसद :–

शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव दूर कर बालिकाओं की शिक्षा के लिये महिलाओं को एक सूत्र में संगठित होकर आगे आना आवश्यक है। इस उद्देश्य से माँ–बेटी मेला और महिला संसदों का आयोजन किया जाता है।

इन मेलो का मुख्य उद्देश्य निम्न है :–

1– बालिका शिक्षा के प्रति महिला समुदाय को जागरुक करना।

2– सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा आत्म विश्वास एवं आत्म निभरता में एक नया आयाम देना।

3– बालिकाओं की शिक्षा के महत्व के बारे में माताओं को शिक्षित करना।

4– बेटे और बेटियों के प्रति व्यक्ति के विचार जानने के लिये 'जेण्डर' आधारित वार्ताओ का आयोजन करना।

5– शिक्षक और अभिभावक के बीच क्रियाशील सम्बन्ध स्थापित करना।

6– शिक्षा के प्रति कर्मठ एवं कार्यशील महिलाओं को उक्त कार्यक्रम में सम्मान देना। बालिका शिक्षा पर आधारित पुस्तकों द्वारा पुरुस्कृत करना।

7– बालिकाओं द्वारा अनुभव की गयी समस्याओ एवं कठिनाइयों के प्रति ध्यान आकर्षित करना।

8– महिला समूह को वर्तमान शिक्षा प्रणाली में व्यक्त की गयी आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी एव प्रभावशाली बनने पर विचार–विमर्श करना।

किशोरी केन्द्र :–

प्राय: देखा गया है कि अधिकतम लडकिया कक्षा पाचवी पास कर विद्यालय छोड जाती है। लेकिन उनके ज्ञान की जिज्ञासा को पूर्ण नही कर सकते। सघ की महिलाओं

स्वयं वचनबद्ध हो जाता है।

माँ–बेटी मेला एवं महिला संसद :–

शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव दूर कर बालिकाओं की शिक्षा के लिये महिलाओं को एक सूत्र में संगठित होकर आगे आना आवश्यक है। इस उद्देश्य से माँ–बेटी मेला और महिला संसदों का आयोजन किया जाता है।

इन मेलों का मुख्य उद्देश्य निम्न है :–

1– बालिका शिक्षा के प्रति महिला समुदाय को जागरुक करना।

2– सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा आत्म विश्वास एवं आत्म निर्भरता में एक नया आयाम देना।

3– बालिकाओं की शिक्षा के महत्त्व के बारे में माताओं को शिक्षित करना।

4– **बेटे और बेटियों के प्रति व्यक्ति के विचार जानने के लिये 'जेण्डर' आधारित वार्ताओ का आयोजन करना।**

5– शिक्षक और अभिभावक के बीच क्रियाशील सम्बन्ध स्थापित करना।

6– शिक्षा के प्रति कर्मठ एवं कार्यशील महिलाओं को उक्त कार्यक्रम में सम्मान देना। बालिका शिक्षा पर आधारित पुस्तकों द्वारा पुरुस्कृत करना।

7– बालिकाओं द्वारा अनुभव की गयी समस्याओं एवं कठिनाइयों के प्रति ध्यान आकर्षित करना।

8– महिला समूह को वर्तमान शिक्षा प्रणाली में व्यक्त की गयी आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी एवं प्रभावशाली बनने पर विचार–विमर्श करना।

किशोरी केन्द्र :–

पाय देखा गया है कि अधिकतम लडकिया कक्षा पाचवी पास कर विद्यालय छोड जाती है। लेकिन उनके ज्ञान की जिज्ञासा को पूर्ण नहीं कर सकते। सघ की महिलाओ

औपचारिक शिक्षा में भाग लेने के लिये प्रेरित करना. साथ–साथ औपचारिक पाठ्यक्रम को भी मदरसों / मकतबों में प्रारम्भ करना।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति

1– **समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण :**

(क) माता शिक्षक संघ : ऐसे गॉव जहॉ प्राथमिक विद्यालय हैं, उस गॉव की 10–15 सक्रिय माताओं के समूह का निर्माण कर उन्हें कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा. मुख्यतम संघ को लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण देकर ये माता संघ बालिकाओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेंगे।

(ख) महिला प्रेरक दल : जिन गॉव एव मजरों में विद्यालय नहीं हैं. उन गॉव में 10–12 सक्रिय माताओं के समूह का गठन किया जायेगा। ये संघ उस गॉव की बालिकाओं की उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित कर देंगे. तथा स्थानीय स्वर वै0शि0 केन्द्र / विधा केन्द्र तथा विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों का अनुसरण कर समस्याओं के निराकरण हेतु समुदाय तथा शिक्षा विभाग से सम्पर्क कर हल करने का हर सम्भव प्रयास करेंगे।

2– **ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन :**

(क) बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा माह में दो बार निकाली जायेगी (1–15 तारीख व 16–31 तारीख के बीच) जिसमें बच्चे, शिक्षक, अभिभावक शमिल होंगे तथा शैक्षिक नारे लगाते हुये, जो बच्चे विद्यालय कम आते है। उनके घर के सामने थोडी देर खडे होकर बच्चे को विद्यालय आने के लिये दबाव डालेंगे।

(ख) बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एव समाज को सचेत करने के लिये बच्चो का हरा, पीला व लाल तारा निशान उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा।

औपचारिक शिक्षा में भाग लेने के लिये प्रेरित करना, साथ–साथ औपचारिक पाठ्यक्रम को भी मदरसों / मकतबों में प्रारम्भ करना।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति

1– समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण :

(क) **माता शिक्षक संघ** : ऐसे गाँव जहाँ प्राथमिक विद्यालय हैं, उस गाँव की 10–15 सक्रिय माताओं के समूह का निर्माण कर उन्हें कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा, मुख्यतम संघ को लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण देकर ये माता संघ बालिकाओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेंगे।

(ख) महिला प्रेरक दल : जिन गाँव एवं मजरों में विद्यालय नहीं हैं, उन गाँव में 10–12 सक्रिय माताओं के समूह का गठन किया जायेगा। ये संघ उस गाँव की बालिकाओं की उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित कर देंगे, तथा स्थानीय स्वर वै0शि0 केन्द्र / विधा केन्द्र तथा विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों का अनुसरण कर समस्याओं के निराकरण हेतु समुदाय तथा शिक्षा विभाग से सम्पर्क कर हल करने का हर सम्भव प्रयास करेंगे।

2– **ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन** :

(क) बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा माह में दो बार निकाली जायेगी (1–15 तारीख व 16–31 तारीख के बीच) जिसमें बच्चे, शिक्षक, अभिभावक शमिल होंगे तथा शैक्षिक नारे लगाते हुये, जो बच्चे विद्यालय कम आते है। उनके घर के सामने थोडी देर खडे होकर बच्चे को विद्यालय आने के लिये दबाव डालेंगे।

(ख) बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एवं बच्चों को सचेत करने के लिये बच्चो का हरा, पीला व लाल तारा निशान उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा।

भेदभाव को दूर करने के साथ–साथ विद्यालय में बालिकाओं के ठहराव को काफी हरद तक सुनिश्चित करेगा।

अभिभावक सम्मेलन :–

शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक बुलाकर उनमें उन अभिभावकों को सम्मानित किया जाये जिनके बच्चे विद्यालय में उपस्थित रहकर उपलब्धि हासिल करते हैं। जिससे अन्य अभिभावक भी प्रेरित हों। इसी प्रकार सत्र के समाप्त में भी अभिभावक सम्मेलन बुलाया जाये तथा सम्मानित किया जाये तथा अगले सत्र में बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने का आह्वान किया जाये।

कार्यक्रम :–

1– **ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की स्थापना** :– प्राय: ग्रामों मे छोटे भाई–बहिनों की देखरेख में लगे रहने के कारण बालिकायें विद्यालय हेतु पर्याप्त समय नहीं दे पातीं जिससे विद्यालय में उनका ठहराव सुनिश्चत नहीं हो पाता। कुछ बालिकायें इन कार्यों में अधिक व्यस्त रहने के कारण विद्यालय छोड देती हैं।

इस अभियान के अन्तर्गत जनपद में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों को अधिक प्रभावी तथा 3–6 वर्ष के बच्चों को नामांकन कराने हेतु विशेष प्रयास किया जायेगा। केन्द्रों को अतिरिक्त मानदेय की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

जनपदो के जिन विकास खण्डों मे आंगनबाडी केन्द्रों का संचालन नहीं किया जा रहा है और महिला साक्षरता की दृष्टि से पिछड़े हैं। उन विकास खण्डों में एलॉटेड ।ससवजमकद्ध केन्द्र खोले जायेंगे। केन्द्रों हेतु ग्राम, विद्यालय का चयन न्यूनतम महिला साक्षरता, उच्चशाला त्याग दर एवं शैक्षिक पिछडापन होगा।

केन्द्रों हेतु कार्यकर्ताओं का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डो के आधार पर किया जायेगा।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में एन0जी0ओ0 की सहभागिता : बालिका शिक्षा को बढावा देने हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया

भेदभाव को दूर करने के साथ–साथ विद्यालय में बालिकाओं के ठहराव को काफी हरद तक सुनिश्चित करेगा।

अभिभावक सम्मेलन :–

शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक बुलाकर उनमें उन अभिभावकों को सम्मानित किया जाये जिनके बच्चे विद्यालय में उपस्थित रहकर उपलब्धि हासिल करते हैं। जिससे अन्य अभिभावक भी प्रेरित हों। इसी प्रकार सत्र के समाप्त में भी अभिभावक सम्मेलन बुलाया जाये तथा सम्मानित किया जाये तथा अगले सत्र में बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने का आह्वान किया जाये।

कार्यक्रम :–

1– **ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की स्थापना** :– प्राय: ग्रामों में छोटे भाई–बहिनों की देखरेख में लगे रहने के कारण बालिकायें विद्यालय हेतु पर्याप्त समय नहीं दे पातीं जिससे विद्यालय में उनका ठहराव सुनिश्चत नहीं हो पाता। कुछ बालिकायें इन कार्यों में अधिक व्यस्त रहने के कारण विद्यालय छोड देती हैं।

इस अभियान के अन्तर्गत जनपद में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों को अधिक प्रभावी तथा 3–6 वर्ष के बच्चों को नामांकन कराने हेतु विशेष प्रयास किया जायेगा। केन्द्रों को अतिरिक्त मानदेय की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

जनपदों के जिन विकास खण्डों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन नहीं किया जा रहा है और महिला साक्षरता की दृष्टि से पिछड़े हैं। उन विकास खण्डों में एलॉटेड ।ससवजमकद्ध केन्द्र खोले जायेंगे। केन्द्रों हेतु ग्राम, विद्यालय का चयन न्यूनतम महिला साक्षरता, उच्चशाला त्याग दर एव शैक्षिक पिछडापन होगा।

केन्द्रों हेतु कार्यकर्ताओं का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर किया जायेगा।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में एन0जी0ओ0 की सहभागिता : बालिका शिक्षा को बढावा देने हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया

अध्याय – 6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार –।

(नवीन औपचारिक विद्यालय)

1. नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना–

यह सर्वमान्य तथ्य है कि 6–11वय वर्ग के बालक छोटे होने के कारण दूरस्थ विद्यालयों में प्रवेश नहीं लेते और और विभिन्न अभियानों के माध्यम से प्रेरित करके उन्हे विद्यालय में नामांकित करा भी दिया जाय तो वे प्रतिदिन विद्यालय मे उपस्थित नही होते और कालान्तर में विद्यालय छोड देते है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा प्रति 1.5 किमी0 पर एक प्राथमिक विद्यालय खोलने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये जिला प्रा0 शि0 कार्यक्रम जनपद मे कुल 160 विद्यालय खोले जा रहे है। फिर भी वांछित संख्या में विद्यालय स्थापित नहीं हो पाये हैं सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जनपद आगरा में परिवार एवं बस्तीवार सर्वेक्षण तथा मानचित्रण करके 129 असेवित बस्तियाँ चिन्हित की गयी है और उनमें विद्यालयीय सुविधा सुलभ कराने का प्रस्ताव बनाया गया है।

जनपद आगरा मे बस्तियों की कुल संख्या 2270 हैं जिनमें 301 बस्तियाँ ऐसी है, जिनकी आबादी 300 से अधिक है और जिनके 1.5 किमी0 की परिधि में कोइ विद्यालय नहीं हैं सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन बस्तियों को सेवित करने की दृष्टि से देखा गया तो यह ज्ञात हुआ कि 17 विद्यालय खोले जाने पर आबादी वाली समस्त असेवित बस्तियों को विद्यालयीय सुविधा प्राप्त हो सकेगी जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिगत वर्ष 2005-06 मे 05 प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित किये जा रहे है जो कि आवश्यकतानुसार खोले जायेंगे।

अध्याय – 6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार –।

(नवीन औपचारिक विद्यालय)

1. नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना–

यह सर्वमान्य तथ्य है कि 6–11वय वर्ग के बालक छोटे होने के कारण दूरस्थ विद्यालयों में प्रवेश नहीं लेते और और विभिन्न अभियानों के माध्यम से प्रेरित करके उन्हें विद्यालय में नामांकित करा भी दिया जाय तो वे प्रतिदिन विद्यालय मे उपस्थित नहीं होते और कालान्तर में विद्यालय छोड देते है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा प्रति 1.5 किमी0 पर एक प्राथमिक विद्यालय खोलने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये जिला प्रा0 शि0 कार्यक्रम जनपद मे कुल 160 विद्यालय खोले जा रहे हैं। फिर भी वांछित सख्या में विद्यालय स्थापित नहीं हो पाये हैं सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जनपद आगरा में परिवार एवं बस्तीवार सर्वेक्षण तथा मानचित्रण करके 129 असेवित बस्तियॉ चिन्हित की गयी है और उनमें विद्यालयीय सुविधा सुलभ कराने का प्रस्ताव बनाया गया है।

जनपद आगरा में बस्तियों की कुल संख्या 2270 हैं जिनमें 301 बस्तियॉ ऐसी है, जिनकी आबादी 300 से अधिक है और जिनके 1.5 किमी0 की परिधि में कोई विद्यालय नहीं है। सर्वशिक्षा अभियान के अनतर्गत इन बस्तियों को सेवित करने की दृष्टि से देखा गया तो यह ज्ञात हुआ कि 17 विद्यालय खोले जाने पर आबादी वाली समस्त असेवित बस्तियों को विद्यालयीय सुविधा प्राप्त हो सकेगी जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिगत वर्ष 2005-06 में 05 प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित किये जा रहे हैं जो कि आवश्यकतानुसार खोले जायेंगे।

3. अध्यापन कार्य में महिलाओं की समान भागीदारी –

शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने एवं विशेष रूप से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता आवश्यक है। इसके लिए सर्वशिक्षा के तहत खोले जाने वाले विद्यालयों में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 50 प्रतिशत महिलाओं का चयन किया जायेगा।

4. वेतन मद में महिला अध्यापिकाओं की समान भागीदारी –

जन-जन तक विशेषकर समाज को सबसे निचले वर्ग तक शिक्षा को पहुँचाने का हमारा जो उद्देश्य है उसे हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब शैक्षिक गतिविधियों में महिलओं की समान भागीदारी सुनिश्चित की जाय। इसके लिए सर्वशिक्षा ज्ञान के अन्तर्गत खोले जाने वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 50 प्रतिशत महिला अध्यापिकाओं का चयन किया जायेगा तथा सम्पूर्ण वेतन मद की 50 प्रतिशत धनराशि महिला अध्यापिकाओं के वेतनमद में व्यय की जायेगी।

5. नवीन भवन निर्माण में मितव्ययिता:

सर्वशिक्षा अभियान में प्रति दो प्रा0 विद्यालय स्तर पर एक उ0प्र0 वि0 खोलने का प्राविधान है। ऐसी दशा में नयी भूमि न लेकर प्रा0वि0 परिसर में ही नवीन विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिससे हैण्डपम्प, शौचालय, चहारदीवारी, बागवानी इत्यादि के व्यय से बचा जा सकता है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु यह धनराशि क्रमशः 256 एवं 280 हजार रूपये निर्धारित प्राविधानित है।

3. अध्यापन कार्य में महिलाओं की समान भागीदारी –

शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने एवं विशेष रूप से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता आवश्यक है। इसके लिए सर्वशिक्षा के तहत खोले जाने वाले विद्यालयों में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 50 प्रतिशत महिलाओं का चयन किया जायेगा।

4. वेतन मद में महिला अध्यापिकाओं की समान भागीदारी –

जन-जन तक विशेषकर समाज को सबसे निचले वर्ग तक शिक्षा को पहुँचाने का हमारा जो उद्देश्य है उसे हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब शैक्षिक गतिविधियों में महिलओं की समान भागीदारी सुनिश्चित की जाय। इसके लिए सर्वशिक्षा ज्ञान के अन्तर्गत खोले जाने वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 50 प्रतिशत महिला अध्यापिकाओं का चयन किया जायेगा तथा सम्पूर्ण वेतन मद की 50 प्रतिशत धनराशि महिला अध्यापिकाओं के वेतनमद में व्यय की जायेगी।

5. नवीन भवन निर्माण में मितव्ययिता:

सर्वशिक्षा अभियान में प्रति दो प्रा0 विद्यालय स्तर पर एक उ0प्र0 वि0 खोलने का प्राविधान है। ऐसी दशा में नयी भूमि न लेकर प्रा0वि0 परिसर में ही नवीन विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिससे हैण्डपम्प, शौचालय, चहारदीवारी, बागवानी इत्यादि के व्यय से बचा जा सकता है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु यह धनराशि क्रमशः 256 एवं 280 हजार रूपये बजट प्राविधानित है।

टीचिंग मैटीरियल (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लाब, शब्दकोष, ज्ञान कोष, खिलौने, बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि) उपरोक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय में 1 प्रधानाध्यापक तथा 1 शिक्षा मित्र की व्यवस्था की जायेगी जिन्हें सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण दिया जायेगा।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की व्यवस्था की गई थी। इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन उ0 प्राथमिक विद्यालयों में साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। जो इस प्रकार है मेज, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा, लोआ, गिलास, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्वीपमेन्ट (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, बांसुरी आदि), क्रीड़ा सामग्री, फुटबाल, वालीबाल, स्कीपिंग रो, हवा भरने का पम्प, क्लास रूम, टीचिंग मैटेरियल (गणित किट, विज्ञान किट, विभिन्न प्रकार के मानचित्र, ग्लोब, टू इन वन आदि) तथा टीचर इक्वीपमेन्ट की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराई जायेगी।

टीचिंग मैटीरियल (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, शब्दकोष, ज्ञान कोष, खिलौने, बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि) उपरोक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय में 1 प्रधानाध्यापक तथा 1 शिक्षा मित्र की व्यवस्था की जायेगी जिन्हें सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण दिया जायेगा।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की व्यवस्था की गई थी। इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन उ0 प्राथमिक विद्यालयों में साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। जो इस प्रकार है मेज, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा, लोआ, गिलास, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्वीपमेन्ट (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, बांसुरी आदि), क्रीड़ा सामग्री, फुटबाल, बालीबाल, स्कीपिंग रो, हवा भरने का पम्प, क्लास रूम, टीचिंग मैटेरियल (गणित किट विज्ञान किट विभिन्न प्रकार के मानचित्र, ग्लोब, टू इन वन आदि) तथा टीचर इक्वीपमेन्ट की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराई जायेगी।

भवन निर्माण	लक्ष्य	सम्प्राप्ति वर्ष 2002-2003
1. नवीन भवन	160	160
2. अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	443	443
3. भवनहीन / जर्जर	58	82
4. ई0जी0एस0	117	117
5. वैकल्पिक विद्या केन्द्र	118	118

उपरोक्त से स्पष्ट है कि डी.पी.ई.पी.-III में प्राथमिक विद्यालयों में चाहरदीवारी निर्माण की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण ड्रॉप आउट रेट बढ़ने की सभावना बनी रही है। इसके अतिरिक्त डी.पी.ई.पी. योजना मे उच्च प्राथमिक विद्यालय मे किसी भी तरह के निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र नामांकन अपेक्षानुसार नही हो पाता। उपरोक्त व्यवस्थाएं सर्वशिक्षा अभियान मे प्रस्तावित की गई है।

7.3 परिवार सर्वेक्षण आंकड़ों का वार्षिक अद्यावधिकरण:-

जनपद में माइक्रोप्लानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 एवं 11-14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर आउट आफ स्कूल बच्चों को चिन्हित किया जाता है अन्डर ऐज व ओवर ऐज बच्चो को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र को संशोधित किया जाएगा ताकि वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आकड़ों को अद्यतन किया जाएगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रू0 5000 की वित्तीय व्यवस्था की गयी है।

7.4 सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रस्ताव

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6–14 वय वर्ग के सभी प्रकार के विद्यालय से बाहर, शालात्यागी तथा बाल श्रमिक / काम–काजी बच्चों के लिए एवं बालिकाओं के लिए वैकल्पिक शिक्षाकी व्यवस्था की गयी है इस व्यवस्था के अतर्गत इस बात पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है कि उक्त वय वर्ग की कोई भी बालक बालिका शिक्षा सुविधा से वंचित न रह जाये इस दृष्टि से बच्चों की विशिष्ट आवश्यकतानुसार प्राथमिक शिक्षा के अलग–अलग माडल दिये गये है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी लक्ष्यगत वय वर्ग के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा मिल सके, इस दृष्टि से क्षेत्रवार विशिष्टता की जानकारी प्राप्त की गयी है और तदनुसार वैकल्पिक शिक्षा के रूप में शिक्षा गारण्टी योजना, शिक्षा घर, विद्यालय वापस चलो, समर कैम्प तथा बृज कोर्स की सुविधा करने के प्रस्ताव पर जन–प्रतिनिधियों जनसमुदाय, सम्बन्धित शिक्षा अभिकर्मी और अन्य विभागों के साथ बात–चीत तथा विचार विमर्श करके निम्नलिखित व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

नवाचार–

विद्यालय में बच्चों के ठहराव हेतु तैयारी– प्राय: यह देखा जाता है कि माता–पिता या शिक्षक बच्चों को जोर–जबरदस्ती से विद्यालय में प्रवेश के लिये ले आते है। बच्चे विद्यालय में अनमने भाव से आते हैं या रोते हुए आते हैं इसका मुख्य कारण है कि विद्यालय का वातारवरण उनके घरेलू उन्मुक्त वातावरण से भिन्न होता है। घर में वे स्वतन्त्रतापूर्वक अपने सम–वयस्कों के साथ खेलते हैं और आनन्दित होते हैं, यदि विद्यालय में लगेगा। इसको ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तावित किया गया है कि सत्र के प्रारम्भ में लगभग एक से डेढ माह तक विशेषकर कक्षा एक के बच्चों के लिये ऐसे कार्यक्रम रखे जाएंगे जिनमे मनोरंजन अधिक हो, यह कार्यक्रम निम्नलिखित हो सकते हैं।

1 रिंग (छल्ले), गेंद से खेलना।

2 रंग बिरंगे गुब्बारों के साथ विभिन्न प्रकार की आकृतिया बनाना।

3. जानवरों, पक्षियों के चित्रों के कट आउट देकर उनको जुडवाना।

4. छोटे कागजों पर रंगीन पेंसिलों से चित्रों को बनवाना।

5. बाल सुलभ कविताओं को नाच, उछल–कूद द्वारा गाना और उनसे गवाना।

6. रंग बिरंगे चित्र युक्त पुस्तकों को देकर उनमें बने हुए चित्रों के विषय मे बच्चों से बातचीत करना।

7 मिट्टी की गोलिया, खिलौने, कागज की नाव, पतंग, हवाई जहाज आदि बनावाना।

इन वस्तुओं का प्रयोग करते हुए बच्चों को धीरे–धीरे लेखन की ओर आकर्षित किया जाएगा। इसके लिए विद्यलायों में निम्नलिखित सामग्री देने का प्रस्ताव है।

1. रिंग (छल्ले), गेंद, कूदने की रस्सी, डम्बल, लेजिम आदि।

2. ढोलक, हारमोनियम, झाझ मजीरा आदि।

3. विभिन्न प्रकार की आकृति बनाने हेतु प्लास्टिक के रंग बिरंगे गुटके, चित्रों के कटआउट।

4. चित्रों वाली बाल कहानी की पुस्तकें

5. पतंग कागज, चार्ट, कैंची, रंगीन पेन्सिले आदि।

इनके उपयोग को देखते हुए इसी प्रकार की अन्य मनोरंजन एव ज्ञानवर्द्धक वस्तुओ को उपलब्ध कराया जायेगा।

यह कार्य मुख्य रूप से कक्षा एक मे सत्र के प्रारम्भ में चलाया जाएगा इसे पी0टी0 व्यायाम से जुडे कार्यक्रम जो खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम के है उन्हें नियमित रूप से प्रतिदिन अन्तिम पीरिएड नें चलाया जाता रहेगा इन कार्यक्रमों क सकुशल संचालन के लिये प्रत्येक विद्यालय के एक अध्यापक को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

एस0 यू0 पी0 डब्ल्यू (सोसली यूज फुल प्रोडक्टिव वर्क) समाजोपयोगी कार्य

उच्च पाथमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन एव ठहराव म वृद्धि करने के लिये यह आवश्यक है कि वे कुछ ऐसे कार्य करे जिससे उनके कौशल का विकास हो और उनके द्वारा किये गये कार्यों से वे स्वय सतुष्टि पा सकें। कार्यों का चयन करते समय इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि कार्य उत्पादक हो और उनका दैनिक जीवन के लिये

उपयोगी तथा रूचिकर हों।

सामान्यतया उच्च प्राथमिक स्तर पर 11–12 वय वर्ग से लेकर14–15 वर्ष की बालिकायें शिक्षा ग्रहण करती है। इस उम्र में जहां उन्हें एक ओर हस्त कौशल युक्त कार्यों के करने में आनन्द आता है वही दूसरी ओर वे इन कार्यों को शीघ्रता से सीख भी लेती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुये निम्नलिखित कुछ कार्यों को प्रस्तावित किया गया हैं। इसके लिये सप्ताह में दो दिन अंतिम चक्रों में स्थान दिया जायेगा।

1. रद्दी कागज, कतरन से गुड़िया बनाना।
2. कागज की लुगदी से खिलौने बनाना।
3. सिलाई, कढ़ाई का कार्य करना।
4. जैम, जैली, अचार, मुरब्बा आदि बनाना।
5. गृह वाटिका लगाना, सजाना आदि।
6. मोमबत्ती बनाना।
7. अगरबत्ती बनाना।
8. चटाई, पंखे, टोकरी, बनाना।
9. पतंग बनाना।
10. बुके आदि बनाना।
11. बुक बाइन्डिग करना।

इन कार्यों के संचालनार्थ आवश्यक उपयोगी सामग्रियों यथा सिलाई, कढ़ाई फ्रेम, सुई–डोरा, सांचे इत्यादि क्रय किये जाने का प्रस्ताव है प्रथम चरण में प्रत्येक विकास खण्ड के पांच–पांच ऐसे विद्यालयों को सामग्री दी जायेगी जहां रख–रखाव एवं सुरक्षा की व्यवस्था हो। पर्याप्त कुशल शिक्षक हो और आस–पास इस प्रकार की शिक्षण की सुविधा सुलभ न हो। धीरे–धीरे इसका अग्रिम वर्षों में चरण बद्ध तरीके से विस्तार किया जायेगा।

शिक्षा गारंटी योजना (ई0जी0एस0 केन्द्र)–

ऐसे बच्चे जो 6–7 वर्ष के हैं और 1.5 किमी0 की दूरी तक स्थित प्राथमिक

विद्यालय में पढ़ने नहीं जा रहे हैं उनके लिए कक्षा 1 व 2 तक की शिक्षा ग्रहण करने हेतु ई0जी0एस0 केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है यह केंद्र प्रतिदिन चार घटे तक चलेंगे केन्द्रो पर पुस्तक शिक्षण सामग्री एवं साज-सज्जा की व्यवस्था अन्य प्राथमिक विद्यालयों की भांति होगी। ई0जी0एस0 केन्द्रों पर अध्ययनरत बच्चों द्वारा कक्षा 2 तक का स्तर प्राप्त करने के प्रश्चात उन्हें समीपवर्ती विद्यालय से जोड दिया जायेगा। इसके लिए उनको सतत प्रेरित किया जायेगा। और उनके शैक्षिक स्तर की जानकारी हेतु सतत मूल्याकन किया जायेगा। प्रतयेक केन्द में 30 बच्चे सम्मिलित किये जायेंगे।

ई0जी0एस0 में शिक्षण हेतु शिक्षा आचार्य का चयन ग्राम पचायत की खुली बैठक मे किया जायेगा और आचार्य को शिक्षण कार्य मे दक्ष बनाने हेतु प्रशिक्षण किया जायेगा।

जनपद 235 ई0जी0एस0 केन्द्रों की स्थापना डी0पी0ई0पी0 के प्रथम 3 वर्षा में की केन्द्रों की स्थापना करते समय इस बात का ध्यान दिया जायेगा कि दोनों वर्षा में सभी चिन्हित न्याय पचायतों में केंद्रों का वितरण अधिकाधिक समता क साथ हो ताकि सभी न्याय पचयतों में शिक्षा की सुविधा प्रथम वर्ष से ही सुलभ हो सकें सर्वशिक्षा के अन्तर्गत 5 ई0जी0एस0 केन्द्रों खोलने का प्रस्ताव है।

विकासखण्ड	ई.जी.एस. केन्द्र	ए.आई.ई. केन्द्र
बरौली अहीर	3	2
शमशाबाद	-	12
फतेहाबाद	-	8
खदौली	-	4
अछनेरा	-	3
ऐत्मादपुर	-	2
सैया	-	4
खैराबाद	-	5
फतेहपुर सीकरी	-	6

बाह	–	6
अकोला	–	2
जैतपुर कला	–	10
बिचपुरी	–	2
पिनाहट	–	6
जगनेर	2	5
योग	5	78

वर्षवार ए.आई.ई./ई.जी.एस. केन्द्रों को खोले जाने का विवरण निम्नवत् है–

वर्ष	2002–2003	2003–2004
ए.आई.ई. केन्द्र	30	48
ई.जी.एस. केन्द्र	–	5

ब्रिज कोर्स–

6–11 वय वर्ग के ऐसे बच्चे जो किसी कारण शलात्याग कर चुके हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स की विशिष्ट व्यवस्था है इसका यह उद्देश्य है कि बच्चों को 3 माह, 6 माह अथवा 9 माह तक शिविर मे रखकर उनको इस प्रकार शिक्षित किया जाये कि वे अपनी योग्यतानुसार प्राथमिक शिक्षा के किसी निश्चित स्तर को प्राप्त कर सकें कोर्स चलने की अवधि में बच्चों का नियमित रूप से मूल्याकन किया जायेगा। और जैसे ही वे किसी कक्षा में 3, 4 या 5 स्तर को प्राप्त कर लें उन्हें उस कक्षा विशेष में प्रवेश लेने के लिए अभिप्रेरित किया जायेगा इस कार्य में इस कोर्स द्वारा सभी बच्चों विशेषकर अनुसूचित तथा बालिकाओं के शलात्याग की समस्या का समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

जनपद के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ब्रिज कोर्स की आवश्यकता है इस बस्तियों को चिन्हित कर लिया गया हैं इन क्षेत्रों में बालिकाओं के शालात्याग की समस्या अधिक है इनके माता पिता बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं देते और कुछ समय तक विद्यालयों में भेजने के बाद उन्हे वापस ले लेते हैं साथ ही साथ कुछ बच्चे विद्यालय मे शैक्षिक दृष्टि से पिछड जाने के कारण निरुत्साह युक्त हो जाते है और शालात्याग देते हैं ऐसी स्थिति में कोर्स के द्वारा उनको विशेष उपचारात्मक शिक्षण देकर उनका स्तरोन्नयन

किया जाने का प्रस्ताव है, जिन्हें अभियान के वर्ष 2002 03 में 6 तथा 2003--04 में 6 ब्रिज कोर्स चलाये जायेंगे। इसकी अवधि 6 माह होगी। प्रत्येक ब्रिज कोर्स में 40 बच्चे होंगे।

वर्ष	2002–03	2003–04
ब्रिज कोर्स	6	6

विद्यालय वापस चलो शिविर

इस प्रकार के शिविरों का प्रमुख उद्देश्य शालात्यागी बच्चों विशेषकर अनुसूचित जाति बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है यह शिविर प्राथमिक एव उच्च प्राथमिक दोनों के ही लिए चलाये जाने हैं शिविरों का संचालन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में होगा इन शिविरों में उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से सभी बच्चों को जो शालात्याग कर चुके हैं और इसके कारण शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ गये हैं, शिक्षित करके उनके स्तर के अनुसार औपचारिक, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयो में प्रवेश लेने के लिए प्रोतसाहित किया जायेगा। शिविर की अवधि 10 दिन की होगी। इन शिविरों मे ऐसे बच्चों को भी प्रवेश दिया जायेगा जो विद्यालय से बाहर रहे हैं और अभिप्रेरणा के अभाव मे शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित रहे है इन शिविरों मे बालक बालिकाओं के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जायेगा और साहित्यिक तथा सांस्कृतिक तथा सास्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जायेगा।

जनपद समर कैम्प बस्तियों के निकटस्थ विद्यालयों मे कराने का प्रस्ताव है। जिसको वर्ष 2002--03 मे 15 तथा 2003--04 मे 15 कुल 30 समरकैम्प सचालित किये जायेंगे।

वर्ष	2002–03	2003–04
समरकैम्प	15	15

मकतबों का सुदृढ़ीकरण–

जनपद में कुल 17 मकतब मदरसे संचालित है। संख्यक बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने के लिये इनके सृदृढ़ीकरण का प्रस्ताव किया गया है।

हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित स्कूल न जाने वाले बच्चों का नामांकन

[illegible]	स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या							31 अगस्त 2003 तक नामांकित वाले बच्चों की संख्या						
	बालक			बालिका				बालक			बालिका			
	5+ से 6+	7 से 10+	11 से 14	5+ से 6+	7 से 10+	11 से 14	योग	5+ से 6+	7 से 10+	11 से 14	5+ से 6+	7 से 10+	11 से 14	योग
[illegible]	38	56	599	43	34	471	1241	33	55	540	41	27	421	1117
[illegible]	2851	46	19	2523	33	13	5485	1958	41	13	1563	26	8	3609
[illegible]	497	369	374	498	228	288	2254	370	302	321	442	221	254	1910
[illegible]	746	863	803	716	1245	701	5074	603	776	672	593	1199	621	4464
[illegible]	294	282	331	466	417	222	2012	257	271	305	421	394	198	1846
[illegible]	225	288	328	178	241	257	1517	201	204	279	163	204	201	1252
[illegible]	269	226	138	196	152	102	1083	209	195	111	185	111	78	889
[illegible]	2681	2476	257	2223	399	221	8257	2129	1947	199	1756	368	176	6575
[illegible]	356	329	385	293	181	291	1835	310	210	222	211	152	242	1347
[illegible]	1552	909	223	1243	658	149	4734	919	634	167	863	598	101	3282
[illegible]	753	262	866	598	211	620	3310	543	160	721	414	187	506	2531
[illegible]	63	285	173	65	227	121	934	58	159	129	51	197	108	702
[illegible]	234	663	162	184	520	121	1884	204	447	114	171	501	84	1521
[illegible]	1035	619	418	882	584	355	3893	918	276	348	824	526	321	3213
[illegible]	621	99	62	520	145	77	1524	480	72	48	402	112	56	1170
[illegible]	2017	819	1217	2012	817	932	7814	1609	719	1086	1703	541	917	6575
योग	**14232**	**8591**	**6355**	**12640**	**6092**	4941	**52851**	**10801**	**6468**	**5275**	**9803**	**5364**	**4292**	**42003**
	14232	8591	6355	12640	6092	4941	52851			5275			4292	

surveyreport sheet 9

जनपद में विभिन्न कारणों से विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण निम्नवत है –

क्र. सं.	कारण	5 से 6 वर्ष		7 से 10 वर्ष		11 से 14 वर्ष		योग		
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग
1.	अपने घर के कार्यों में लगे रहना	2975	3062	3278	2534	3171	3343	9424	8939	18363
2.	मजदूरी में लगे रहना	939	990	278	483	88	425	1305	1898	3203
3.	भाई–बहनों की देखभाल	3037	3824	3146	1980	175	2076	6358	7880	14238
4.	विद्यालय दूर होने के कारण	3181	2578	796	559	51	426	4028	3563	7591
5.	अन्य कारण	4100	2186	1093	532	2870	1329	8063	1393	9456
योग		**14232**	**12640**	**8591**	**5888**	**6355**	**12599**	**29178**	**23673**	**52851**

3. भाई–बहनों की देखभालः

परिवार के कुछ बड़े बच्चे छोटे बच्चों की देखभाल में लगे रहने के कारण विद्यालय नहीं जा पाते हैं ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विद्यालय परिसर में ही ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की व्यवस्था की गई है, साथ ही बालिकाओं के लिए ग्रीष्म कालीन शिविर भी चलाने का लक्ष्य है –

क्र. सं.	कोर्स	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
		संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
1.	ई.सी.सी.ई.	0	0	0	0	175	8750	175	8750
2.	समर कैम्प	0	0	05	250	05	250	05	250

4. अन्य कारण :

जनपद के उक्त मुख्य कारणों के अतिरिक्त अन्य कारण जैसे रूढ़िवादिता, गरीबी आदि के कारण बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं साथ ही कुछ बच्चे केवल दीनी तालीम प्राप्त करते हैं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मकतब/मदरसों की सुदृढ़ी करण की योजना है। इसके अतिक्ति विद्यालय दूर होने के कारण विद्यालय न जा पा रहे बच्चों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर अतिरिक्त ए.आई.ई. केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं–

क्र. सं.	कोर्स	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
		संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
1.	विद्या केन्द्र (मकतब/मदरसा)	–	–	25	1000	50	2000	50	2000
2.	ए.आई.ई.	30	1200	78	3120	78	3120	78	3120
3.	नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय	58	2320	58	2900	58	4000	58	4500

इन विद्यालयों को आकर्षक बना कर एवं मध्यान्ह भोजन तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कर बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

3. भाई–बहनों की देखभालः

परिवार के कुछ बड़े बच्चे छोटे बच्चों की देखभाल में लगे रहने के कारण विद्यालय नहीं जा पाते हैं ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विद्यालय परिसर में ही ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की व्यवस्था की गई है, साथ ही बालिकाओं के लिए ग्रीष्म कालीन शिविर भी चलाने का लक्ष्य हैं --

क्र. सं.	कोर्स	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
		संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
1.	ई.सी.सी.ई.	0	0	0	0	175	8750	175	8750
2.	समर कैम्प	0	0	05	250	05	250	05	250

4. अन्य कारण :

उपरोक्त के उक्त मुख्य कारणों के अतिरिक्त अन्य कारण जैसे रूढ़िवादिता, गरीबी आदि के कारण बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं साथ ही कुछ बच्चे केवल दीनी तालीम प्राप्त करते हैं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मकतब/मदरसों की सुदृढ़ी करण की योजना है। इसके अतिक्ति विद्यालय दूर होने के कारण विद्यालय न जा पा रहे बच्चों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर अतिरिक्त ए.आई.ई. केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं–

क्र. सं.	कोर्स	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
		संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
1.	विद्या केन्द्र (मकतब/मदरसा)	–	–	25	1000	50	2000	50	2000
2.	ए.आई.ई.	30	1200	78	3120	78	3120	78	3120
3.	नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय	58	2320	58	2900	58	4000	58	4500

इन विद्यालयों को आकर्षक बना कर एवं मध्यान्ह भोजन तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कर बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।'

ब्लाक वार जर्जर/भवनहीन विद्यालय की सारणी

क्रमांक	ब्लाक	प्राथमिक स्तर	पूर्व माध्यमिक स्तर	स्थापना वर्ष
1.	बरौलीअहीर	–	2	1968–69
2.	शमशावाद	–	1	1971–72
3.	फतेहाबाद	3	1	1967–68
4.	खंदौली	2	–	1966–67
5.	अछनेरा	–	–	–
6.	एत्मादपुर	1	1	1971–72
7.	सैंया	2	–	1971–72
8.	खैरागढ़	3	2	1966–67
9.	फतेहपुर सीकरी	1	–	1960–61
10.	बाह	3	1	1960–61
11.	अकोला	–	–	–
12.	जैतपुर	1	–	1966–67
13.	बिचपुरी	–	–	–
14.	पिनाहट	3	1	1965–66
15.	जगनेर	1	2	1964–65
16.	नगरक्षेत्र	24	10	1960–61
योग		44	21	

ब्लाक वार जर्जर/भवनहीन विद्यालय की सारणी

क्रमांक	ब्लाक	प्राथमिक स्तर	पूर्व माध्यमिक स्तर	स्थापना वर्ष
1.	बरौलीअहीर	–	2 –	1968–69
2.	शमशावाद	–	1	1971–72
3.	फतेहाबाद	3	1	1967–68
4.	खंदौली	2	–	1966–67
5.	अछनेरा	–	–	–
6.	एत्मादपुर	1	1	1971–72
7.	सैंया	2	–	1971–72
8.	खैरागढ	3	2	1966–67
9.	फतेहपुर सीकरी	1	–	1960–61
10.	बाह	3	1	1960–61
11.	अकोला	–	–	–
12.	जैतपुर	1	–	1966–67
13.	बिचपुरी	–	–	–
14.	पिनाहट	3	1	1965–66
15.	जगनेर	1	2	1964–65
16.	नगरक्षेत्र	24	10	1960–61
योग		44	21	

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:4 की दर से	वर्तमान कक्षा कक्ष	आवश्यक कक्षा कक्ष
	1	2	3	4	5	7
2.	2002–2003	200	41	964	772	13
3.	2003–2004	241	58	1196	964	75
4.	2004–2005	299	0	1196	1196	38
5.	2005–2006	299	0	1196	1196	40
6.	2006–2007	299	0	1196	1196	0

उच्च **प्राथमिक** में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का आगणन प्रति उच्च प्राथमिक 4 कक्षा कक्ष की दर से किया गया है।

अतिरिक्त कक्षा कक्षाओं का वर्ष वार निर्माण निम्नवत् कराया जायेगा

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक वि0	–	–	262	530	270
पूर्व0 मा0 वि0	13	75	38	40	–

8.1.3 शौचालय :–

वर्तमान में 217 प्राथमिक विद्यालय शौचालय युक्त नहीं है जबकि 34 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शौचालयों की आवश्यकता है।

वर्षवार निर्माण कराये जाने वाले शौचालयों का विवरण निम्नवत हैं:–

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005
प्राइमरी विद्यालय	–	–	117	100
उच्च प्राथमिक विद्यालय	–	–	34	–

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:4 की दर से	वर्तमान कक्षा कक्ष	आवश्यक कक्षा कक्ष
	1	2	3	4	5	7
2.	2002–2003	200	41	964	772	13
3.	2003–2004	241	58	1196	964	75
4.	2004–2005	299	0	1196	1196	38
5.	2005–2006	299	0	1196	1196	40
6.	2006–2007	299	0	1196	1196	0

उच्च प्राथमिक में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का आगणन प्रति उच्च प्राथमिक 4 कक्षा कक्ष की दर से किया गया है।

अतिरिक्त कक्षा कक्षाओं का वर्ष वार निर्माण निम्नवत् कराया जायेगा

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
प्राथमिक वि0	–	–	262	530	270
पूर्व0 मा0 वि0	13	75	38	40	–

8.1.3 शौचालय :–

वर्तमान में २। / प्राथमिक विद्यालय शौचालय युक्त हैं जबकि 34 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शौचालयों की आवश्यकता है।

वर्षवार निर्माण कराये जानें वाले शौचालयों का विवरण निम्नवत है

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005-2006
प्राइमरी विद्यालय	–	–	117	100
उच्च प्राथमिक विद्यालय	–	–	34	–

अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकताः–

भौतिक संसाधनों से युक्त विद्यालयों में अभिवृद्धि के साथ ही विद्यालयें में छात्र नामांकन में स्वभावतः वृद्धि होती है यह छात्र नामांकन वर्ष पर्यन्त बना रहे इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालयें में पर्याप्त संख्या में अध्यापकों की व्यवस्था हो सर्व शिक्षा अभियान में छात्र नामांकन के अनुपात में अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था की गयी है जिसे निम्न सारणी में दिया गया है।

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:5 की दर से	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
	1	2	3	4	5	7
1	2002–2003	200	26	1130	1000	130
2.	2003–2004	226	30	1280	1130	50
3.	2004–2005	256	35	1455	1280	175
4.	2005–2006	291	20	1555	1455	100
5.	2006–2007	311	0	1555	1555	0

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकन	सृजित अध्यापक	शिक्षा मित्र	योग 3+4	40:1 की दर से	आवश्यकता	अतिरिक्त शिक्षक	अतिरिक्त शिक्षा मित्र
	1	2	3	4	5	6	8	8	
1	2003-04	310909	4807	2361	7168	7773	605	302	303
2	2004-05	317128	5109	2664	7773	7928	155	77	381
3	2005-06	324470	5186	2742	7928	8112	184	92	92
4	2006-07	329939	5278	2834	8112	8248	136	68	68

अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकताः–

भौतिक संसाधनों से युक्त विद्यालयों में अभिवृद्धि के साथ ही विद्यालयें में छात्र नामांकन में स्वभावतः वृद्धि होती है यह छात्र नामांकन वर्ष पर्यन्त बना रहे इसके लिए आवश्यक है, कि विद्यालयें में पर्याप्त संख्या में अध्यापकों की व्यवस्था हो सर्व शिक्षा अभियान में छात्र नामांकन के अनुपात में अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था की गयी है जिसे निम्न सारणी में दिया गया है।

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:5 की दर से	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक
	1	2	3	4	5	7
1	2002–2003	200	26	1130	1000	130
2.	2003–2004	226	30	1280	1130	50
3.	2004–2005	256	35	1455	1280	175
4.	2005–2006	291	20	1555	1455	100
5.	2006–2007	311	0	1555	1555	0

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकन	सृजित अध्यापक	शिक्षा मित्र	योग 3+4	40:1 की दर से	आवश्यकता	अतिरिक्त शिक्षक	अतिरिक्त शिक्षा मित्र
	1	2	3	4	5	6	8	8	
1	2003-04	310909	4807	2361	7168	7773	605	302	३०३ —
2	2004-05	317128	5109	2664	7773	7928	155	77	381
3	2005-06	324470	5186	2742	7928	8112	184	92	92
4	2006-07	329939	5278	2834	8112	8248	136	68	68

प्रशिक्षण प्रदान करना।

8.3.2 उपुर्यक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जनपद में अपनाई जाने वाली कार्यनीति इस प्रकार होगी–

1. विकास खण्ड स्तर पर एक संदर्भ समूह तैयार किया जायेगा, जिन्हें विकलांग बच्चों की शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. इस संदर्भ समूह द्वारा ब्लाक संसाधन केन्द्र पर प्रत्येक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक और अध्यापकों को विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।
3. ग्राम शिक्षा समिति व समुदाय के लोगों में इन बच्चों के प्रति सम्बेदनशीलता जागृत हो सके इसके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें। सभी प्रकार के प्रशिक्षण में विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए एक माड्यूल जोड़ा जायेगा।
4. स्थानीय स्तर पर कार्यरत स्वैक्षिक संस्थाओं और समाज कल्याण संस्थाओं का सहयोग लेकर विकलांग बच्चों का चिन्हीकरण किया जायेगा और निकटस्थ विद्यालयों में भर्ती कराया जायेगा।
5. विकलांग बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके इसके लिए उन्हें आवश्यक उपकरणों जैसे कैलीपर, सुनने की मशीन, चश्में तथा अत्य आवश्यक वस्तुओं को डाक्टर की सलाह के अनुरूप निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

5 विकलांग बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होगा तथा उन्हें स्वास्थता कार्ड

6 दिये जायेंगे।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत जनपद आगरा के परिषदीय प्रा0वि0 में 2308 विकलांग बच्चों का चिन्हीकरण किया गया है जिनका विवरण निम्नवत् है

क्रम0 सं0	अक्षमता	बालक	बालिका	योग
1-	दृष्टि अक्षम	77	60	137
2	श्रवण एव वाणी अक्षम	172	116	288

प्रशिक्षण प्रदान करना।

8.3.2 उपुर्यक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जनपद में अपनाई जाने वाली कार्यनीति इस प्रकार होगी–

1. विकास खण्ड स्तर पर एक संदर्भ समूह तैयार किया जायेगा, जिन्हें विकलांग बच्चों की शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. इस संदर्भ समूह द्वारा ब्लाक संसाधन केन्द्र पर प्रत्येक न्याय पचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक और अध्यापकों को विकलांग बच्चो की शिक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।
3. ग्राम शिक्षा समिति व समुदाय के लोगो में इन बच्चों के प्रति सम्वेदनशीलता जागृत हो सके इसके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे। सभी प्रकार के प्रशिक्षण मे विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए एक माड्यूल जोड़ा जायेगा।
4. स्थानीय स्तर पर कार्यरत स्वैक्षिक संस्थाओं और समाज कल्याण सस्थाओं का सहयोग लेकर विकलाग बच्चों का चिन्हीकरण किया जायेगा और निकटस्थ विद्यालयों में भर्ती कराया जायेगा।
5. विकलाग बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके इसके लिए उन्हें आवश्यक उपकरणों जैसे कैलीपर, सुनने की मशीन, चश्में तथा अत्य आवश्यक वस्तुओं को डाक्टर की सलाह के अनुरूप निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।
5. विकलांग बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होगा तथा उन्हें स्वास्थता कार्ड
6. दिये जायेंगे।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत जनपद आगरा के परिषदीय प्रा0वि0 में 2308 विकलांग बच्चो का चिन्हीकरण किया गया है जिनका विवरण निम्नवत् है

क्रम0 सं0	अक्षमता	बालक	बालिका	योग
1	दृष्टि अक्षम	77	60	137
2	श्रवण एव वाणी अक्षम	172	116	288

8.6 छात्र स्वास्थ्य परीक्षण –

प्रत्येक छात्र का वार्षिक प्रगति के साथ उनकी स्वास्थ्य प्रगति सम्बन्धी जानकारी भी प्राप्त की जायेगी। स्वास्थ्य चेकअप कार्ड प्रत्येक विद्यालय में रखे जायेंगे। स्वास्थ्य परीक्षण कार्य प्रति वर्ष प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सक दल द्वारा न्याय पंचायत स्तर पर कैम्प लगा कर किया जायेगा। तीन–तीन दिन के कैम्प से न्याय पंचायत स्तर के सभी बच्चों का परीक्षण कराने का प्रस्ताव है। इसी तरह नगर क्षेत्र में स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य वार्ड में स्थित विद्यालय में किया जायेगा। विकास खण्डवार छात्र नामांकन को दृष्टिगत रखते हुए कैम्प की अवधि तथा आवृत्ति का निर्धारण किया जायेगा। आवश्यक दवाईयाँ स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त कराई जायेगी।

8.6 सोसल एससमेन्ट स्टडी:

शिक्षा के सार्वभोमिकरण में आने वाली समस्याओं, बाधाओं को अभियान मे रखकर जनपद आगरा में सोसल एससमेन्ट स्टडी में निम्न सुझाव प्राप्त हुए।

8.1 वी.सी.एस. समुदाय के अभिभावक प्राय: निरक्षर हैं अत: इन आपवचित वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराना।

8.2 उपवचित समुदाय के क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष प्रशिक्ष्ज्ञण देकर मोटिवेशन दिया जाए।

8.3 विद्यालय में मानक के अनुसार शिक्षक दिये जाये और उनकी विद्यालय में नियमित तथा क्रियाशील उपस्थित बनी रहे।

8.4 समुदाय तथा शिक्षकों के बीच समस्याओं पर डिस्कशन होता रहे।

8.5 पिछडे तथा गरीब समुदाय के बच्चों की निशुल्क शिक्षण सामग्री और पोशाक दिये जाये।

8.6 छात्र स्वास्थ्य परीक्षण –

प्रत्येक छात्र का वार्षिक प्रगति के साथ उनकी स्वास्थ्य प्रगति सम्बन्धी जानकारी भी प्राप्त की जायेगी। स्वास्थ्य चेकअप कार्ड प्रत्यक विद्यालय में रखे जायेंगे। स्वास्थ्य परीक्षण कार्य प्रति वर्ष प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सक दल द्वारा न्याय पंचायत स्तर पर कैम्प लगा कर किया जायेगा। तीन–तीन दिन के कैम्प से न्याय पंचायत स्तर के सभी बच्चों का परीक्षण कराने का प्रस्ताव है। इसी तरह नगर क्षेत्र में स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य वार्ड में स्थित विद्यालय में किया जायेगा। विकास खण्डवार छात्र नामांकन को दृष्टिगत रखते हुए कैम्प की अवधि तथा आवृत्ति का निर्धारण किया जायेगा। आवश्यक दवाईयाँ स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त कराई जायेगी।

8.6 सोसल एससमेन्ट स्टडी:

शिक्षा के सार्वभोमिकरण में आने वाली समस्याओं, बाधाओं को अभियान में रखकर जनपद आगरा में सोसल एससमेन्ट स्टडी में निम्न सुझाव प्राप्त हुए।

8.1 बी.सी.एस. समुदाय के अभिभावक प्राय: निरक्षर हैं अत: इन आपवचित वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराना।

8.2 उपवंचित समुदाय के क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष प्रशिक्ष्ज्ञण देकर मोटिवेशन दिया जाए।

8.3 विद्यालय में मानक के अनुसार शिक्षक दिये जायें और उनको विद्यालय में नियमित तथा क्रियाशील उपस्थित बनी रहे।

8.4 समुदाय तथा शिक्षकों के बीच समस्याओं पर डिस्कशन होता रहे।

8.5 पिछड़ तथा गरीब समुदाय के बच्चों को निशुल्क शिक्षण सामग्री और पोशाक दिये जाये।

आदि सम्मिलित किया जायेगा शिक्षा प्रणाली में उपयुक्त कार्यक्रम के सम्मिलित हो जाने से निःसन्देह बालिकाओं की विद्यालय के प्रति रुचि बढ़ेगी।

8.6 ग्राम शिक्षा समिति/नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण –

सामुदायिक गतिशीलता को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि ग्राम शिक्षा समिति और नगर शिक्षा समिति के सदस्य अपने दायित्वों को भली भाति समझे और उनका निर्वहन करे। इस हेतु उनका प्रशिक्षण भी किया जाना आवश्यक है। इनका अनुश्रवण विशेष रूप से माइक्रो प्लानिंग, पी.आर.ए. तथा सम्बन्धित सहभागी नियोजन की विधियों में बल दिया जायेगा। प्रशिक्षण का क्रियान्वयन निम्नलिखित चरणों में प्रस्तावित है –

8.1 **मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण** – यह प्रशिक्षण जनपद स्तर में डायट में किया जायेगा। प्रशिक्षण में प्रति विकास खण्ड चार सन्दर्भ दाताओं को प्रशिक्षित किया जायेगा, जिसमें एक बी.आर.सी. समन्वयक और तीन ब्लाक रिसोर्स समूह के सदस्य होगे। डायट में यह प्रशिक्षण चालीस सन्दर्भदाता प्रति चक्र के हिसाब से दो चक्रों मे चलाया जायेगा।

नगर क्षेत्र के प्रति वार्ड 1 सन्दर्भदाता के रूप में 154 सन्दर्भदाताओं का प्रशिक्षण 4 चक्रों में पूर्ण किया जायेगा। नगर क्षेत्र के लिए वार्ड सदस्य को प्रशिक्षित किया जायेगा। इस प्रकार डायट पर चलने वाले इस प्रशिक्षण में 6 चक्र होगें।

8.2 **सन्दर्भदाताओं का प्रशिक्षण** - यह प्रशिक्षण विकास खण्ड में बी.आर.सी. पर मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ग्राम प्रधानों तथा न्याय पंचायत ससाधन केन्द्र के समन्वयको को दिया जायेगा। प्रति ब्लाक 30 प्रतिभागियों के हिसाब से 4 चक्रों मे प्रशिक्षण पूरा किया जायेगा।

3 **ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण** इनका प्रशिक्षण न्याय पचायत स्तर पर

आदि सम्मिलित किया जायेगा। शिक्षा प्रणाली में उपयुक्त कार्यक्रम के सम्मिलित हो जाने से निःसन्देह बालिकाओं की विद्यालय के प्रति रुचि बढ़ेगी।

8.6 ग्राम शिक्षा समिति/नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण –

सामुदायिक गतिशीलता को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि ग्राम शिक्षा समिति और नगर शिक्षा समिति के सदस्य अपने दायित्वों को भली भाति समझें और उनका निर्वहन करें। इस हेतु उनका प्रशिक्षण भी किया जाना आवश्यक है। इनका अनुश्रवण विशेष रूप से माइक्रो प्लानिंग, पी.आर.ए. तथा सम्बन्धित सहभागी नियोजन की विधियों में बल दिया जायेगा। प्रशिक्षण का क्रियान्वयन निम्नलिखित चरणों में प्रस्तावित है

8.1 **मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण** – यह प्रशिक्षण जनपद स्तर मे डायट में किया जायेगा। प्रशिक्षण मे प्रति विकास खण्ड चार सन्दर्भ दाताओं को प्रशिक्षित किया जायेगा, जिसमें एक बी.आर.सी. समन्वयक और तीन ब्लाक रिसोर्स समूह के सदस्य होगें। डायट में यह प्रशिक्षण चालीस सन्दर्भदाता प्रति चक्र के हिसाब से दो चक्रों मे चलाया जायेगा।

नगर क्षेत्र के प्रति वार्ड 1 सन्दर्भदाता के रूप में 154 सन्दर्भदाताओं का प्रशिक्षण 4 चक्रों में पूर्ण किया जायेगा। नगर क्षेत्र के लिए वार्ड सदस्य को प्रशिक्षित किया जायेगा। इस प्रकार डायट पर चलने वाले इस प्रशिक्षण में 6 चक्र होगें।

8.2 सन्दर्भदाताओं का प्रशिक्षण यह प्रशिक्षण विकास खण्ड में बी.आर.सी. पर मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ग्राम प्रधानों तथा न्याय पचायत ससाधन केन्द्र के समन्वयकों को दिया जायेगा। प्रति ब्लाक 30 प्रतिभागियों के हिसाब से 4 चक्रों में प्रशिक्षण पूरा किया जायेगा।

3 ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण इनका प्रशिक्षण न्याय पचायत स्तर पर

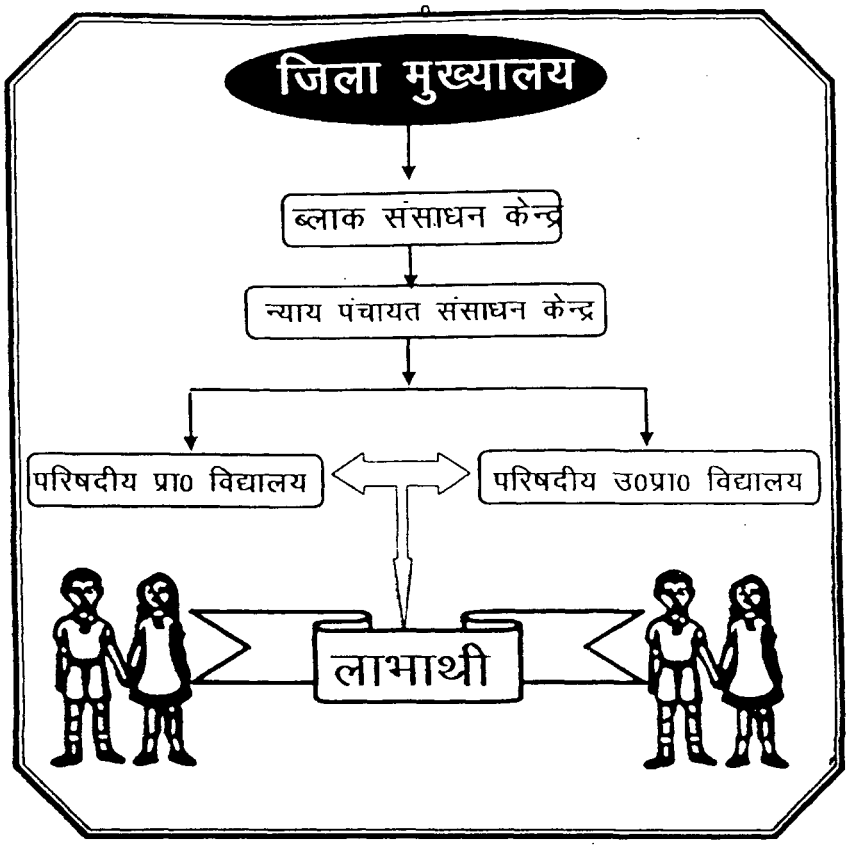

मॉडल क्लस्टर डवलपमेंट एप्रोच –

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–III के अन्तर्गत जनपद के विकास खण्ड फतेहाबाद, अकोला एवं सैया में बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु पॉच–पॉच न्यायपंचायतों में मॉडल क्लस्टर एप्रोच के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के परिणामों से बालिका शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है और ऐसा महसूस किया जा रहा है कि जनपद के सभी विकासखण्डों में ये कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए। अत: सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत मॉडल क्लस्टर डवलपमेंट एप्रोच के कार्यक्रम सभी 15 विकासखण्डों में चलाया जाना प्रस्तावित है जिससे ठहराव एवं नामांकन में वृद्धि हो सके।

वर्ष वार विवरण निम्नवत है

वर्ष	2005-2006	2006–2007
संख्या	15	15

समर कैम्प –

ऐसी बालिकायें जो बीच में ही विभिन्न कारणों से विद्यालय छोडकर घर बैठ जाती है। ऐसी बालिकाओं को समर कैम्प के माध्यम से प्रोत्साहित कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा। इसके लिए 40 बालिकाओं को चिन्हांकित कर विकास खण्ड स्तर पर एक समर कैम्प की व्यवस्था कराई जायेगी। इन शिविरों में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनों प्रकार की बालिकाओं को सम्मिलित किया जायेगा। इन बालिकाओ को दस दिवसीय उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से सभी शालात्यागी बच्चे विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को जो कि शैक्षिक दृष्टि से काभी पिछड गये है, शिक्षित करके उनके स्तर के अनुसार औपचारिक प्राथमिक एव उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश कराया जायेगा। इन शिविरो में उन बच्चों को भी चिन्हांकित कर प्रवेश दिलाया जायेगा जो विद्यालय में प्रवेश नही हुए है और अभिप्रेरणा के अभाव में शिक्षा की मुख्य धारा से वचित है। इस प्रकार के प्रत्येक वर्ष पॉच–पॉच शिविर का आयोजन जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम मे किया जा रहा है जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के बाद सर्वशिक्षा अभियान मे भी जारी रहेंगे।

वर्ष	2005–06	2006–07
संख्या	5	5

लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण –

बालिका शिक्षा के प्रति समाज का नजरिया बदलने के लिए तथा संवेदनशील बनाने हतु शिक्षकों के साथ साथ गठित एम0टी0ए0 व डब्लू एस0 जी0 समूहों को जण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण मुख्य रूप से बालक एव बालिकाओ के

भेद–भाव को दूर करने के साथ–साथ विद्यालय में बालिकाओं के ठहराव को काफी हद तक बढ़ाना सुनिश्चित करेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर अलग–अलग चलाया जायेगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण प्रतिवर्ष कराये जा रहे हैं जो योजना समापन के बाद सर्वशिक्षा अभियान में जारी रहेंगे।

अध्याय – 9

गुणवत्ता सम्वर्द्धन एवं अकादमिक क्षमताओं का विकास

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से पूर्व अध्यापक शिक्षा का कार्य राजकीय दीक्षा विद्यालयों के माध्यम से सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में सम्पन्न हो रहा था। परन्तु मानवीय व अकादमिक संसाधनों के अभाव में ये संस्थायें सेवापूर्ण कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य तत्सम्बन्धित दायित्वों को वहन करने में कठिनाई अनुीाव कर रही थी ।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना प्राथमिक शिक्षा एवं वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में संचालित सभी कार्यक्रमों अर्थात् प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य से संचालित समस्त कार्यकमों की सफलता हेतु अकादमिक एवं संसाधन सम्बन्धी सहयोग प्रदान करने के लिए, उत्कृष्टता के एक केन्द्र के एक रूप में की गयी है।

गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका–

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना –

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत गुणवत्ता विकास हेतु डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। गुणवत्ता विकास के लिए जनपद तथा उप जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजनाएं विकसित की जायेंगी । जनपद, विकास खण्ड, न्यायपंचायत स्तरीय तथा अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन, विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास, शोध एवं मूल्यांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण, सामग्री विकास, ई. एम.आई.एस.आंकडों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्व का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों का समग्र लक्ष्य होगा शिक्षकों का कार्यस्थल पर सहयोग, समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता संवर्द्धन करना। इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत कार्यवाही की जायेगी।

क्षमता विकास करना –

जनपद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने. बी.आर.सी..एन.पी.आर.सी. समन्वकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने. वैकल्पिक शिक्षा. वी0ई0सी0 प्रशिक्षण. ई.सी.सी. प्रशिक्षण समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रमों को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयसंवी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जायेगी । प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम शोध–मूल्यांकनों का उपयोग कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा । डायट द्वारा ए.बी.एस.ए / एस.डी.आई. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधान अध्यापक और बी.आर.सी. के समन्वयक. एन.पी.आर.सी. के सकुल प्रभारी की क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणो के माध्यम से कराया जायेगा । राज्य स्तर के प्रशिक्षण सस्थान में डायट के सदस्य को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी। बाहय सस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों. संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के सकाय सदस्यो हेतु वार्ता व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापको में क्षमता विकास किया जायेगा। उनमे नेतृत्व की क्षमता. प्रबन्ध एवं नियोजन की क्षमत. शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण:

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन. क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यकमों तथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करना. शिक्षको से प्राप्त संसाधन समूह गठित किया गया है जिसमे डायट स्टाफ के अतिरिक्त बाहय विशेषज्ञ। शिक्षा मित्र. योग्य शिक्षक आदि सदस्य है अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के पूर्व इसमे उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज स्तर के शिक्षको को जोडा जायेगा तथा इनकी क्षमता सवर्द्धन हेतु एस0सी0ई0 आर0टी0 के सहयोग से क्षमता विकास कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी । ये कार्यशालाए मुख्यत अकादमिक पर्यवेक्षण. विषय शिक्षण तथा स्कूलों का प्रबन्ध. शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि विन्दुओं पर केन्द्रित होगी तथा प्रत्येक वर्ष 05 दिवसीय कार्यशालाए आयोजित की जायेगी।

गुणवत्ता सुधार में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता :

सर्व शिक्षा अभियान के अनतर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में, प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनो में, जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनका सहयोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता की विकास, अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय बनाने, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड ससाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओ के विकास में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में भी उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जायेगी । इस सम्बन्ध मे जनपद स्तर पर अनुभवी व ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनो से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जायेगा ।

एक्शन रिसर्च :–

जनपद मे विभिन्न स्तरो पर शिक्षको द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी तथा इन कार्यशालाओ के आयोजन में मुख्यत: सीमेन्ट, इलाहाबाद और एस0सी0ई0आर0टी0 लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी.आर.सी. को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्ययोजना बनाएं और समाधान ढूँढने मे कामयाब हो सकें । इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को संकुल स्तर तक तथा अनंतर विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे । क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार है–

1– शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है?

2– विद्यालय में अपरान्ह सत्र में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु उपाय।

3– बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयो का शिक्षण किस प्रकार हो ?

4– बच्चों के सतत व्यापक मूल्यांकन मे कक्षा के बच्चो का सहयोग ।

5 कक्षा की प्रकिया में जनभागीदारी बढाने के तरीके।

6 शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में कियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास।

7 कार्य निष्पादन के आधार पर चिहिनत कमजोर विद्यालयों में पठन के मुद्दे ।

8· विद्यालय विकास योजना के प्रभावी कियान्वयन के उपाय।

9– महिला शिक्षिकाओं का रोल–परसेप्शन परिवर्तित करने के लिए रणनीतियाँ ।

10 कक्षा मे धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक ।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण –

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी अवश्य रखनी है । अतः इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी । संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा । इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है, जैसा कि ऊपर वर्जित है, इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करना –

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर, पर एन.पी.आर.सी. पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापक का सहभागितः से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसी प्रकार कमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा। इस कार्य में बी.ई.पी. के अन्तर्गत पूर्व में की गयी सामग्री विकास की प्रक्रिया के अनुभवों से लाभ उठाया जायेगा।

बी0ई0पी0 के अन्तर्गत शिक्षकों को रू0 500/– अनुदान के रूप में दिया गया था तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे । शिक्षक इससे चार्ट, पोस्टर, अन्य पठन सामग्री सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय कर सकते हैं। विषय आधारित तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका है इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जायेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रतिवष रू0 500/– शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा इस हेतु पूर्व भाँति विभिन्न स्तरों पर मेटेरियल मेले भी आयोजित किये जायेंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी । तत्पश्चात इनकी प्रदर्शनी जिला स्तर पर डायट मे करायी जायगी । जिससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन –

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यशालायें एवं गोष्ठियॉ डायट पर की जायेगी । वर्तमान में बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है । इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय इन गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन.पी.आर.सी. बी.आर.सी की सहायता की जायेगी तथा तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा । यह कार्यक्रम मुख्यतः उपर्युक्तवत शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाईयों के निवारण आदर्श पद के प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगा/ निम्नांकित विषयों पर कार्यशालाएं तथा गोष्ठियॉ आयोजित की जायेगी

1- बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर के आंकडों की शेयरिंग।

2- अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण ।

3- विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।

4- छा–छाओं की अधिगम सम्प्राप्ति का मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटम का निर्माण

5- स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा–कविता का संकलन ।

शोध एवं मूल्यांकन –

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यों का महत्व निर्विवाद है। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यावहारिक कठिनाईयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक प्रशिक्षक निरीक्षक तथा पहुँचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्ग दर्शन प्राप्त करेंगे शिक्षकों, समन्वयकों की एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा । एक्शन रिसर्च के लिए शिक्षकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे । डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन

रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं का सुचारु रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एस.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से जनपद स्तर पर क्लास रूम ऑब्जर्वेशन स्टडी भी की जायेगी ।

ऐक्शन रिसर्च हेतु प्रस्तावित विषय :

1– डंपद ब्नेमे व िकतवच व्नजे

2– जहाँ बच्चों का शैक्षिक स्तर कम है उसके क्या कारण है।

3– विद्यालयों के सन्दर्भ में समुदाय के सहयोग के अभाव के कारण का अध्ययन ।

4– बच्चों की विद्यालय में अनियमित उपस्थिति के कारणों का अध्ययन

5– ब्नेमे व िदमहंजपअम अमतइंस इमीँअपवनत व िजमंबीमतें – `ज्नकमदजे – `जनकमदजे ूतदपदह – बबमचजपदहए उचसपलिपदहए मसमबजपदह – तमेचवदकपदह इमीँअपवनतए बवततमबजपदह इमीँअपवनतए बववसपदह इमीँअपवनतद्व, – प्जे तमउमकलण

6– मध्यान्तर के पश्चात विद्यालय से छात्रों के पलायन के कारणों का विश्लेषणात्मक निरूपण

7– श्यामपट कार्य न कराने का छात्रों की सम्प्राप्ति पर प्रीााव

8– अध्यापकों के पठन पाठन के स्तर में वृद्धि हेतु प्रत्येक 6 माह बाद मूल्यांकन ।

9– शिक्षा में अभ्यास का महत्व ।

10 अध्यापकों द्वारा सहायक शिक्षण सामग्री प्रयोग न करने के कारणों का पता लगाना ।

ऑकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तिा प्रशिक्षण में उपयोग

ई.एम.आई.एस. के द्वारा प्राप्त आकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक प्रत्येक गॉव प्रत्येक विद्यालय की मूलभूत समस्या, आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है, इसके द्वारा ब्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं । किस स्थान पर ड्राप आउट अधिकता हैं । इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं । विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के विषय अध्ययन कर उन्हे विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा ।

ईत्रएस.आई.एस.आंकडे के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिए रेपिटिशन रेट, कम्प्लीशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र को पूरा करने में लगा समय इतयादि ।

डायट द्वारा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकडों का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उनका उपयोग नियाजन तथा क्रियान्वयन में हो सकेगा ।

मूल्यांकन प्रणाली :

छात्रों के मासिक, वार्षिक, मूल्यांकन की प्रणाली की जो व्यवस्था वर्तमान में है, उचित है किन्तु सुधार के लिए आवश्यक है कि कक्षा 5 की परीक्षा एन.पी.आर.सी. स्तर पर किया जायेगा तथा कक्षा 8 की परीक्षा बी.आर.सी. स्तर पर किये जायेगें तथा मूल्यांकन की व्यवस्था डायट पर हो साथ ही प्रश्न पत्र भी डायट पर कुशल अध्यापकों के सहयोग से बनाये जायेगे । छात्रों के उपलब्धि के मूल्याकन और उन्हें फीड बैक प्रदान करने के लिये सतत–व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी।

एस.सी.ई.आर.टी. उ0प्र0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबधी एक प्रणाली का विकास किया गया है। इसका वर्तमान में फील्ड ट्रयल किया जा रहा है इस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को अंतिम स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण जुलाई, 2001 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में आयोजित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सतत् व्यापक मूलयांकन संबंधी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास नही किया जायेगा वरन् इसे सर्वशिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक–प्रशिक्षण मॉड्यूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यतः एतद्–विषयक प्रशिक्षण डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान किया जायेगा जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सके ।

डायट में कार्यरत शिक्षण व शिक्षणेत्तर अभिकर्मी

क्र.सं.	पदनाम	सृजित पद	कार्यरत संख्या
1.	प्राचार्य	01	01
2.	उपप्राचार्य	02	02
3.	वरिष्ठ प्रवक्ता	06	03
4.	प्रवक्ता	17	17
5.	तकनीक सहायक	01	01
6.	कार्यानुभव शिक्षक	01	01
7.	सांख्यकी कार	01	01
8.	कार्यालय अधीक्षक	01	01
9.	आशुलिपक	01	01
10.	पुस्तकालयध्यक्ष	01	01
11.	प्रयोगशाला सहायक	02	01
12.	लेखाकर	01	01
13.	कनिष्ठ लिपिक	09	10
14.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05	05

जनपद में प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता युक्त सम्प्राप्ति हेतु डायट में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापना वर्ष से अद्यतन जारी हैं। शिक्षकों की योग्यता संवर्धन में इन प्रशिक्षणों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

डायट द्वारा सम्पादित कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रति	प्रतिभागी
1.	एस.ओ.पी.टी. प्रशिक्षण	10 दिवसीय	–	जनपद के समस्त प्राथमिक अध्यापक
2.	रूचिपूर्ण शिक्षा प्रशिक्षण	5 दिवसीय	–	02 विकास खयड के प्रधान व सहायक अध्यापक
3.	'प्रवोधिका' शिक्षा संदर्शिका निर्माण कार्यशाला (कक्षा–2)	08दिवसीय	–	डायट सदस्य ए.वी.एस.ए. व शिक्षक
4.	ज्वाइन्ट जी.ओ.आई.यू.एन. सिस्टम कार्यक्रम		–	चयनित 05 विकास खण्ड़
5.	एस.ओ.पी.टी. गणित	10 दिवसीय	–	जू0 हाईस्कूल गणित अध्यापक

1. एस.ओ.पी.टी. प्रशिक्षण :

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा सम्पूर्ण देश में प्राथमिक विद्यालयों की सेवारत शिक्षकों के लिये विशेष अभिविन्यास कार्यक्रम (ए.ओ.पी.टी.) वर्ष 1993–1994 से प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के निम्न उद्देश्य हैं

1. न्यूनतम अधिगम स्तर में उल्लिखित दक्षताओं के विकास पर बल देना।
2. ऑपरेशन ब्लैक बार्ड के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों को दी जाने वाली सामग्री के समुचित उपयोग करने की दक्षता में वृद्धि।
3. अध्यापकों को शिक्षार्थी केन्द्रित उपागम अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना।इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण पैकेज तैयार किया गया, जिसके दो खण्ड हैं। खण्ड–1 के अन्तर्गत बोधात्मक सामग्री तथा खण्ड–2 के अन्तर्गत क्रियाशील सामग्री को रखा गया है तथा भाषा, गणित पर्यावरणीय अध्ययन, कला शिक्षा, कार्य अनुभव तथा स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को रखा गया है। इस प्रशिक्षण कामुख्य लक्ष्य भाषा, गणित व पर्यावरणीय अध्ययन में न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त करने हेतु उल्लिखित दक्षताओं की जानकारी व बालकों में उक्त दक्षताओं से सम्बन्धित कौशलों को विकसित करने पर वल देना है।

जनपद आगरा में वर्ष 1995 से यह प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया तथा इसका प्रशिक्षण जनपद के सभी प्राथमिक अध्यापकों को दिया गया है।

रूचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम :

जनपद आगरा में वर्ष 1996 में बरौली अहीर व 1998 में एत्मादपुर विकास खण्ड का चयन कर उसके सभी विद्यालयों के प्रधान अध्यापक व सम्बन्धित कक्षाओं को पढ़ाने वाले एक अध्यापक को रूचिपूर्ण विधा का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार 5 वर्षों में कक्षा 1 से 5 तक का प्रशिक्षण दियागया। उक्त प्रशिक्षण प्रशिक्षित शिक्षकों, स0बे शि0अ0 व डायट सकाय सदस्यों की 6 सदस्यीय जनपदीय टीम द्वारा प्रदान किया गया।

विद्यालयी परिवेश व कक्षाकक्ष के आकर्षक वातावरण, शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण व प्रयोग द्वारा रूचिपूर्ण विधाओं से परिपूर्ण उक्त कार्यक्रम में कुछ अन्य ऐसे बिन्दु जोड़े गये जो समुदाय व जीवन के लिये उपयोगी हैं–

(1) बालकों में स्वच्छता व स्वास्थ्य सम्बन्धी जीवन उपयोगी कौशल विकसित करना।

(2) बाल अधिकारों के प्रति शिक्षक व अभिभावकों को जागरूक करना।

उपरोक्त सभी कार्यों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तरीय रूचिपूर्ण प्रकोष्ठ एवं डायट द्वारा सतत अनुश्रवण की व्यवस्था की गयी माह अगस्त, 2001 में राज्य स्तरीय रूचिपूर्ण प्रकोष्ठ द्वारा दोनों विकास खण्डों में शैक्षिक गुणवत्ता सम्प्राप्ति की जानकारी हेतु कक्षा 2 व 5 के छात्रों का सर्वेक्षण कराया था।

ज्वाइंट जी.ओ.आई.यू.एन. सिस्टम प्रोग्राम :

यह परियोजना प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं उसे अधिक प्रभावी बनाने हेतु 1998 में संयुक्त राष्ट्र की 5 संस्थाओं यूनीसेफ, यू.एन.डी.पी. यूनेस्को, आई.एल.ओ. तथा यू.एन.एफ.पी.ए. के संयुक्त प्रयास से भारत सरकार द्वारा संचालित की गयी। उ0प्र0 में आगरा मण्डल को चयनित कर उसके दो जनपदों आगरा व [illegible] में कार्यक्रम चलाया गया। आगरा में ऐसे 5 विकासखण्ड जहाँ बालिका शिक्षा, [illegible] वर्ग, अल्पसंख्यक, बालश्रमिक, विकलांगता आदि समस्यायें अधिक थीं चयनित किये [illegible] जैसे शमशाबाद, खेरागढ़, फतेहाबाद, पिनाहट। आगरा में इसके अन्तर्गत बहु [illegible] शिक्षण हेतु माडयूल तैयार किया गया तथा प्रदेश की सभी डायटों में इसका प्रशिक्षण [illegible] गया।

उक्त सभी कार्यक्रम प्रभावी रूप से संचालित किये गये परन्तु सीमित क्षेत्र तथा जनपद की स्थानीय विशेषताओं को ध्यान न देने के कारण इनकी प्रभाविकता सीमित रही।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम :

जनपद आगरा में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में बृहद रूप से अपेक्षित बदलाव लाने के "सभी के लिये शिक्षा" कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना" वर्ष 2000 से तृतीय चरण मे प्रारम्भ की गयी। परियोजना के अन्तर्गत भौतिक सुविधायें तथा संसाधनों का सृजन और संवर्धन करने के अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार हेतु पर्याप्त कार्यक्रमों का समावेश किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा परियेाजना से पूर्व वर्ष 1999 में जनपद आगरा के पांच विकास खण्डो में बच्चो की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर ज्ञात करने हेतु कक्षा 2 व 5 के आधारभूत मूल्याकन सर्वेक्षण किया गया।

शैक्षिक मूल्यांकन के आधार पर बच्चों का सम्प्राप्ति स्तर :

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिए कक्षा- 1 एव कक्षा–5 के बच्चों को भाषा एवं गणित में परीक्षण किया गया। इसके अनुसार जनपद की स्थिति इस प्रकार है।

सारणी 1 : कक्षा 1व 5 में भाषा, गणित के मध्यमान उपलब्धि

कक्षाये	भाषा			गणित		
	स0	मध्यमान	एस0डी0	स0	मध्यमान	एस0डी0
कक्षा 1	781	10.30	5.90	781	10.81	6.35
कक्षा 5	534	31.94	7.76	534	12.73	4.41

स्त्रोत बी ए एस

सारणी संख्या 1 में भाषा और गणित विषयो की कक्षा 1 व कक्षा 5 में मध्यमान

उपलब्धि मानक विचलन दर्शाये गये है। कक्षा–1 भाषा में औसत उपलब्धि 10.30 तथा मानक विचलन 5.90 है। जबकि कक्षा–2 गणित में औसत उपलब्धि 10.81 प्रतिशत एवं मानक विचलन 6.35 प्रतिशत है। सारिणी एक यह भी दर्शाती है कि कक्षा- 5 भाषा में औसत उपलब्धि 31.94 प्रतिशत है जबकि मानक विचलन मात्र 7.76 है। इसी प्रकार कक्षा–5 गणित में 'मध्यमान' 12.73 एवं मानक विचलन 4.41 है कक्षा–5 में दोनों ही विषयों भाषा एवं गणित में मानक विचलन का कम होना यह दर्शाता है कि सभी छात्र लगभग समान स्तर के है।

सारणी – कक्षा–5 भाषा तथा गणित में लिंगवार मध्यमान उपलब्धि :

सारणी–2 : कक्षा 5 में भाषा, गणित के मध्यमान उपलब्धि:

भाषा	बालक			बालिकाऐं		
	स0	मध्यमान	एस0डी0	स0	मध्यमान	एस0डी0
भाषा	328	32.42	8.32	206	31.17	6.73
गणित	328	13.00	4.78	206	12.30	3.71

सारणी 2 प्रदर्शित करती है कि कक्षा–5 भाषा में बालकों की औसत उपलब्धि 32.42 है जबकि गणित में 13.00 है परन्तु बालिकाओं की भाषा, गणित में औसत उपलब्धि बालकों की तुलना में 31.17 (भाषा में) तथा 12.30 (गणित) है इससे यह स्पष्ट होता है कि बालक एवं बालिकाओं की भाषा एवं गणित के उपलब्धि स्तर में अत्यधिक अन्तर है।

सारिणी सं0. 3 कक्षा–1 भाषा तथा गणित में वर्गवार मध्यमान उपलब्धि :

विषय	अनुसूचित वर्ग			पिछड़ा वर्ग			अन्यवर्ग		
	स0	मध्यमान	एस0डी0	स0	मध्यमान	एस0डी0	स0	मध्यमान	एस0डी0
गणित	352	9.36	6.43	206	12.13	5.75	223	11.29	6.31

भाषा	352	8.95	5.92	206	11.20	5.50	223	11.64	5.80

सारणी संख्या–3 दर्शाती है कि कक्षा–1 भाषा में अनुसूचित जाति / जनजाति की औसत उपलब्धि 8.95 है जबकि अन्य वर्ग में यह 11.64 है इसी प्रकार कक्षा–1 गणित में अनुसूचित जाति / जनजाति बालकों की औसत उपलब्धि 9.36 है एवं मानक विचलन 6.43 है और अन्य वर्ग के बालकों की औसत उपलब्धि 11.89 है और मानक विचलन 6.31 है।

सारणी सं.4 – कक्षा–5 – भाषा तथा गणित में वर्गवार मध्यमान उपलब्धि

विषय	अनुसूचित वर्ग			पिछड़ा वर्ग			अन्यवर्ग		
	स0	मध्यमान	एस0डी0	स0	मध्यमान	एस0डी0	स0	मध्यमान	एस0डी0
गणित	191	12.12	3.79	130	12.06	4.21	213	13.69	4.87
भाषा	191	31.68	7.53	130	30.89	6.89	213	32.81	8.38

स्त्रोत बी.एस.ए.

सारणी संख्या–4 दर्शाती है कि कक्षा–5 भाषा में अनुसूचित जाति / जनजाति की औसत उपलब्धि 31.68 है जबकि अन्य वर्ग में यह 32.81 है। इसी प्रकार कक्षा–5 गणित में अनुसूचित जाति / जनजाति बालकों की औसत उपलबधि 12.12 है तथा अन्य वर्ग के बालकों की औसत उपलब्धा 13.69 है जो कि लगभग समान है।

कक्षा 1 भाषा

कक्षा 1 के छात्र / छात्राओं की भाषा में अधिगम सम्प्राप्ति का मध्यमान 10.30 तथा मानक विचलन 5.90 रहा, जबकि अधिगम सम्प्राप्ति का अधिकतम प्राप्तांक 20 रहा। अधिगम सप्राप्ति का गुणात्मक विश्लेषण यह दर्शाता है कि 24.7 प्रतिशत छात्र तथा 21.6 प्रतिशत छात्रायें न्यू अ. स्तर "पारंगततता" स्तर तकपहुँचे तथा 1[illegible] प्रतिशत छात्र व 9.7 प्रतिशत छात्रायें न्यूअ. स्तर पारगतता सतर के समीप पहुँचे, जब[illegible] 47.11 प्रतिशत छात्र तथा 50.6 प्रतिशत छात्रायें न्यूअ. स्तर तक नही पहुँचे अर्थात वे उपलब्धि परीक्षण में 39 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने में असफल रहे। गुणवत्ता की दृष्टि से छात्र छात्राओं

का उपलब्धि स्तर अति न्यून रहा 48.7 प्रतिशत छात्र छात्रायें जिनकी सम्प्राप्ति न्यू.अ. स्तर पर निर्धारित स्तर से न्यून रही है, उन्हें गुणवत्ता की समानता की ओर ले जाने के लिए गम्भीरता से कैसे प्रयास सम्भव किये गये? यह शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यो में से एक है। जातिवार विश्लेषण में 57.4 प्रतिशत एस.सी./एस.टी., 42.2 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 40.8 प्रतिशत अन्य श्रेणी के छात्र छात्राओं की उपलब्धि न्यू.अ स्तर के नीचे रही।

कक्षा--1 गणित

कक्षा–2 के छात्र छात्राओं का गणित विषय में सम्प्राप्ति का मध्यमान 10.81 तथा मानक विचलन 6.35 रहा जबकि अधिकम का सम्प्राप्ति का अधिकतम प्राप्तांक 20 रहा। उच्च मानक विचलन छात्रों की अधिगम सम्प्राप्ति में अत्यधिक विभिन्नता दर्शाता है। अधिगम सम्प्राप्ति कर गुणात्मक विश्लेषण यह दर्शाता है कि 28.9 प्रतिशत छात्र तथा 22.2 प्रतिशत छात्रायें न्यू.अ.स्तर के "पारगतता" स्तर तक पहुंचे तथा 15.4 प्रतिशत छात्र तथा 11.1 प्रतिशत छात्रायें न्यू. अ. स्तर के "पारंगतता" स्तर के समीप पहुंचे जबकि 34.9 प्रतिशत छात्र तथा 43.2 प्रतिशत छात्रायें न्यू अधि स्तर प्राप्त नही कर सके अर्थात वे उपलब्धि परीक्षण मे 39 प्रतिशत से अधिक अक प्राप्त करने में असफल रहे। गुणवत्ता की दृष्टि से छात्र छात्राओं उपलब्धि स्तर अत्यधिक न्यून रहा। 38.9 प्रतिशत छात्र छात्रायें जो न्यू.अ. स्तर प्राप्त नही कर सके, उन्हें गुणवत्ता की समानता की ओर ले जाने के लिये गम्भीरता से प्रयास करने की आवश्यकता है। जातिवार विश्लेषण में 48.3 प्रतिशत एस.सी./एस.टी. 31.5 प्रतिशत ओ.बी.सी तथा 30.9 प्रतिशत अन्य के छात्र छात्राओं की उपलब्धि न्यू.अ. स्तर के नीचे रही।

कक्षा--4 भाषा

कक्षा 5 के विद्यार्थियों की भाषा उपलब्धि परीक्षण मे दो खण्ड थे 1 शब्दार्थ 2 पठन बोध। उपलब्धि परीक्षण कक्षा 4 के पाठ्यक्रम पर आधारित था। परीक्षण जनवरी - फरवरी 1999 मे किया गया तब तक कि विद्यार्थियो के पाठ्यक्रम का 87 प्रतिशत अश पूर्ण कर लिया जाना था और छात्रों की सम्प्राप्ति उच्च आनी चाहिए थी किन्तु विद्यार्थियों की उपलब्धि का मध्यमान शब्दार्थ और पठन बोध में क्रमश 19.78 तथा 12.15

तथा मानक विचलन क्रमशः 4.36 तथा 5.08 रहा जबकि दोनों में अधिकतम प्राप्तांक 35 रहा।

लिंगवार विश्लेषण यह दर्शाता है कि छात्रों की सम्प्राप्ति का मध्यमान शब्दार्थ और पठन बोध में क्रमश 19.94 प्रतिशत तथा 12.48 व छात्राओं का 19.54 तथा 11.63 था। न्यू. अ. स्तर पैमाने पर अधिगन सम्प्रपित का गुणात्मक विश्लेषण यह दर्शाता है कि 2.4 प्रतिशत छात्र ही पारंगतता स्तर तक पहुंच सके और कोई छात्रा पारंगतता स्तर तक नहीं पहुंच सकी। 7.9 प्रतिशत छात्र तथा छात्रायें ही "पारंगतता" स्तर को समीप पहुंच सके लेकिन 36.0 प्रतिशत छात्र तथा 38.8 प्रतिशत छात्रायें न्यू. अ. स्तर के नीचे रहे। सम्पूर्ण रूप से विद्यार्थियों की उपलब्धि अत्यधिक न्यू. अ. स्तर तक पहुंचाने के लिये गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है जिससे सभी विद्यार्थियों को 39 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त हो सकें।

कक्षा–4 गणित :

कक्षा–5 के विद्यार्थियों के गणित विषय की उपलब्धि परीक्षण में कक्षा–4 के पाठ्यक्रम को ही आधार बनाया गया। विद्यार्थियों की उपलब्धि परीक्षण का अधिकतम प्राप्तांक 40 रहा। छात्रों की सम्प्राप्ति का मध्यमान 11.33 प्रतिशत तथा छात्राओं का 10.18 प्रतिशत रहा और मानक विचलन क्रम 6.44 व 6.20 रहा, गुणात्मक विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि छात्र–छात्राओं में कोई भी पारंगतता स्तर प्राप्त नहीं कर सका केवल 4.3 प्रतिशत छात्र तथा छात्राओं ही पारंगतता स्तर के समीप पहुँचे जबकि 81.4 प्रतिशत छात्र और 90.3 प्रतिशत छात्राओं की सम्प्राप्ति न्यू.अ.स्तर से नीचे रही। गणित विषय में विद्यार्थियों की उपलब्धि का अत्यधिक न्यून स्तर चिन्ता का विषय है। गणित विषय में विद्यार्थियों की अधिगम सम्प्राप्ति में सुधार हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता है।

स्कूल विजनिंग कार्यशाला :

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिक के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आदर्श विद्यालय के सन्दर्भ में हमारा क्या "विजन" है – आदर्श विद्यालय कैसा हो, उसका परिवेश कैसा हो, बच्चे विद्यालय में कौन–कौन से क्रियाकलाप में व्यस्त दिखायी दे, और

विद्यालय किस तरह पूर्णरूपेण क्रियाशील हो कर प्राथमिक शिक्षा के स्तरानुकूल लक्ष्यों को प्राप्त कर सके आदि पर एक सामान्य दृष्टिकोण विकसित करने हेतु जनपद स्तर पर विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन डायट में किया गया।

ई.सी.सी.ई. (स्कूल पूर्व शिक्षा)

प्राय: देखा जाता है कि अधिकांश बालिकायें अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल के कारण विद्यालय नहीं आ पाती हैं या कक्षा में प्रवेश पाने पर बालक स्वयं को विद्यालयी वातावरण के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाता है अत: प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व ही विद्यालय छोड़ देता है। अथवा प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण तथा शालात्यागी दर कम करने में स्कूल पूर्व शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। इस हेतु जनपद आगरा में शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग उ0प्र0 द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आंगनबाडी केन्द्रों की कार्यकात्रियों तथा मुख्य सेविकाओं को 7 दिवसीय प्रशिक्षण डॉयट स्तर पर दिया गया तथा इन केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु सम्बन्धित बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों मुख्य सेविकाओं को भी प्रशिक्षित किया गया। इन केन्द्रों तथा समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय की समय सारणी में अनुरूपता लाई गयी। उक्त प्रशिक्षण 'राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद' द्वारा तैयार किये गये मॉडयूल 'आधार शिला' तथा 'किलकारी' पर आधारित था।

डी0पी0ई0पी0 द्वारा केन्द्रों की कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के अतिरिक्त मानदेय, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु खेल सामग्री उपकरण, शिक्षण सामग्री हेतु रू0 5000/- तथा आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रू0 1500 भी प्रदान किये गये हैं।

वर्ष 2001 के लिए विकास खण्ड अछनेरा तथा फतेहपुर सीकरी के 75 केन्द्र शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित करने हेतु प्रस्तावित है।

यूनीसेफ द्वारा संचालित ई0सी0सी0 कार्यक्रम :

यूनीसेफ के सहयोग से डायट स्तर पर अछनेरा विकास खण्ड में वर्ष 2000 में 30

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को तथा 30 कक्षा एक की पढ़ाने वाले अध्यापकों को ई0सी0सी0ई0 का प्रशिक्षण दिया गया।

ग्राम शिक्षा समिति

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा सभी के लिऐ गुणात्मक शिक्षा प्राप्त कराने के सन्दर्भ म प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित ग्रा0शि0स0 (जो मूल रूप से उस गाव के प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों पर पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों एवं अन्य जागरूक शिक्षण म अभिरूचि रखने वाले स्थानीय व्यक्तियो का समूह है. को सक्रिय बनाने में उद्देश्य से एव ग्राम शिक्षा व्यवस्था मे आमूल चूल सुधार लाने तथा विद्यालय के सम्पूर्ण वातावरण को भौतिक रूप से आकर्षक एवं बच्चों के अनुरूप रूचिकर एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला आगरा की समस्त वी0ई0सी0 हेतु एक त्रिदिवसीय सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम शिक्षा समितियो को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ब्लाक स्तर पर वी0आर0सी0 (वी0ई0सी0) का गठन किया गया। बी0आर0सी0 प्रत्येक ब्लाक में सम्मिलित न्याय पचायतों की संख्या के आधार (प्रत्येक एन0पी0आर0सी0 के लिये 2 सदस्य) सदस्यों को नामित किया गया और इस प्रकार जिला आगरा के प्रत्येक विकास खण्ड हेतु 40 सदस्यों को वी0आर0सी0 के रूप मे नामित किया गया। बी0आर0सी0 के सदस्यो में प्राथमिक विद्यालयों के सेवारत शिक्षकों के अतिरिक्त स्थानीय शिक्षाविद एन0वाई0के0 सदस्यगण महिला मण्डल दल की सदस्या एवं अन्य स्वयसेवी संगठन के सदस्यों के (एन0जी0ओ0) तथा शिक्षा में रूचि रखने वाले नवयुवकों. युवतियों को भी सम्मिलित किया गया है। बालिका शिक्षा को वांछित गति प्रदान करने हेतु महिलाओं का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व. कराने का प्रयास किया गया है। बी0आर0जी0 (वी0ई0सी0) यह प्रशिक्षण पूर्ण स्वतत्र एव सक्रिय सहभागिता पर आधारित था जिसमें प्रत्येक प्रतिभागी की स्वतत्र एव सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की गई तथा सभी सदस्यों के पारस्परिक सक्रिय विचार विमर्श द्वारा ग्राम शिक्षण स्तरोन्नयन हेतु ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका तथा उनके अधिकार एवं कर्त्तव्यों के प्रति आम राय बनायी गयी। इस प्रशिक्षण को सम्पादित करने हेतु राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के द्वारा तैयार किये गये प्रयास

एवं संकल्प मॉडयूल का प्रयोग किया गया।

एजूकेशन गारण्टी स्कीम (ई0जी0एस0)

शिक्षा सारणी योजना के अन्तर्गत जनपद में आचार्य जी तथा शिक्षा मित्रों का 30 दिवसीय प्रशिक्षण के 4 फेरे डायट स्तर पर आयोजित किये गये है –

कम सं0	प्रतिभागी	लक्ष्य	प्रशिक्षित
1	आचार्यजी	71	68
2	शिक्षामित्र	96	86

प्रशिक्षण के संचालन की व्यवस्था एवं अनुश्रवण :

'जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत डायट के अनुरूप विकासखण्ड स्तर पर 'ब्लाक संसाधन केन्द्र' बौद्धिक प्रकोष्ठ के रूप में विकसित किया गया है। इसमे एक समन्वयक तथा दो सह समन्वयक का पद सृजित किया गया है इसके लिये एक स्वतन्त्र भवन परियोजना द्वारा उपलब्ध कराया गया है। यह केन्द्र विकास खण्ड स्तर पर विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, शैक्षिक नवाचार तथा पाठ्येत्तर क्रियाकलापों को आयोजित करेगा। बी0आर0सी0 विभिन्न शैक्षिक व शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों का केन्द्र होने के साथ ही विकास खण्ड में स्थित सभी न्याय–पंचायत संसाधन केन्द्रों व सभी विद्यालयों को शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इस प्रकार वह संपूर्ण विकास खण्ड को शैक्षिक, प्रशासनिक व शिक्षणेत्तर नेतृत्व प्रदान करने वाली संस्था के रूप में विकसित किया गया है।

विकास खण्ड में शैक्षिक क्रियाकलापों को अधिकाधिक गति प्रदान करने के उद्देश्य से न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों की स्थापना कर उनमें एक एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का पद सृजित किया गया है।

1. बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 के कार्य व दायित्वों सम्बन्धी आधारभूत सात

दिवसीय प्रशिक्षण जो 'समर्थन' मॉडयूल पर आधारित था दिया गया।

यह प्रशिक्षण डायट स्तर आयोजित किए गये। समन्वयको द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एन0पी0आर0सी0 तथा बी0आर0सी0 का उनके भौतिक अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन0पी0आर0सी0 स्तर की मासिक बैठकों में शिक्षकों की शैक्षिक समस्याओं के समाधान शिक्षण सामग्री कार्यशालाओं, प्रदशर्नियों व मेलो का आयोजन, शैक्षिक समाचार पत्र का प्रकाशन आदि के द्वारा गुणवत्ता संवर्धन हेतु अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया गया।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण

जिला प्राथमिक शिक्षा योजना में शिक्षकों को पांच चक्रों में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है। जनपद में प्रथम चक्र का सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जो नगर क्षेत्र के शिक्षणेत्तर का डायट में व ग्रामीण क्षेत्र का ब्लाकों में सम्पादित किया गया। विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था ब्लाक समन्वयकों द्वारा की गयी। प्रशिक्षण देने के लए प्राथमिक व उच्च प्राथमिक के शिक्षकों का चयन कर उन्हें टी0ओ0टी0 का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण राज्य स्तरीय संदर्भदाताओं द्वारा डायट स्तर पर दिया गयाजो दस दिवसीय तथा ब्लाक स्तर पर सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आठ दिवसीय दिया गया। कुछ विकास खण्डों में बी0आर0सी0 भवन पूर्ण व हस्तान्तरित न होने के कारण प्रशिक्षण अन्यत्र स्थान पर कराये गये जिसमें स्थानाभाव के कारण कठिनाई अनुभव हुई। किन्तु ब्लाक पर प्रशिक्षण होने के कारण शिक्षकों को सुविधा रही।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु :–

प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षण अधिगम की नवीनतम प्रविधियों की जानकारी देना।

शिक्षकों का सशक्तीकरण कराना ताकि वे कक्षा शिक्षण को प्रभावी बना सकें।

शिक्षण प्रक्रिया को गतिविधि आधारित बनाना जिसमें बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न हो सके।

- शिक्षण में बच्चो की सक्रियता व सहभागिता बढ़ाना।
- सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग करना।
- वंचित वर्ग विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा में कठिनाइयों के प्रति संवेदीकरण व स्थानीय समुदाय से सहयोग प्राप्त करना।
- नवीन पाठ्य पुस्तकों व शिक्षण संदर्शिकाओं की जानकारी

प्रथम चक्र के सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के अध्ययन से शिक्षको को विद्यालय परिवेश को आकर्षक बनाना व कक्षा–शिक्षण को सरल, सरस व रूचिकर बनाना तथा बालकों में निर्धारित क्षमताओं का विकास करने संबंधी जानकारी दी गयी। पाठ्यपुस्तकों का अच्छी प्रकार अध्ययन कराया गया तथा स्थानीय वस्तुओं का सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयोग करने सम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण मे बतायी गयी विविधों के अनुसार कक्षा–शिक्षण अध्यापक कर रहे है अथवा नही, इसका मूल्यांकन शैक्षिक पर्यवेक्षण व अनुश्रवण निरन्तर एन0पी0आर0सी0 व बी0आर0सी0 समन्वयक व डायट द्वारा किया जा रहा है

डी0पी0ई0पी0 अन्तर्गत सम्पादित कार्यक्रम तालिका

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	फेरे	अवधि	प्रतिभागी सं0
1	विजनिंग कार्यशाला	02	04 दिवसीय	101
2	डी0आर0जी0	01	04 दिवसीय	19
3	ई0सी0सी0ई0	03	07 दिवसीय	116
4	टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण	04	08 दिवसीय	109
5	बी0आर0डी0 प्रशिक्षण	15	04 दिवसीय	380
6	शैक्षिक सर्वोत्तम अनुश्रवण कार्यशाला (राज्य स्तरीय)	01	03 दिवसीय	93
7	बी0आर0सी0 एन0पी0सी0 का	05	07 दिवसीय	153

	आधारभूत प्रशिक्षण			
8	आचार्य जी शिक्षामित्र	04	30 दिवसीय	68
	प्रशिक्षण			86
9	ब्लाक स्तरीय सेवारत शिक्षण			
	प्रशिक्षण के पूर्व बी0आर0सी0			
	प्रशिक्षण	01	10 दिवसीय	29
10	ब्लाक स्तरीय सेवारत शिक्षण	15 ब्लाक	08 दिवसीय	4127
	प्रशिक्षण	नगर क्षेत्र		
11	शैक्षिक सपोर्ट एवं	05	03 दिवसीय	192
	अनुश्रवण कार्यशाला			
12	वैकल्पिक शिक्षा प्रशिक्षण	04	02 दिवसीय	160

शिक्षकों को सहयोग एवं समर्थन की व्यवस्था

प्राथमिक स्तर पर सतत शैक्षिक गुणवत्ता प्राप्त करने हेतु कक्षा कक्ष शिक्षण को अधिक रूचिपूर्ण प्रभावी बनाने में जिला ब्लाक न्याय पंचायत तथा विद्यालय स्तर पर अकादमिक सहयोग दिया जाता है। ताकि शिक्षण अधिगम प्रकिया के मार्ग में आने वाली सभी समस्याओं का निराकरण तत्काल किया जा सके।शिक्षकों का शैक्षिक सपोर्ट के लिए जिला स्तर पर डायट विकासखण्ड स्तर पर ब्लाक ससाधन केन्द्र न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत ससाधन केन्द्रों की व्यवस्था की गयी है।

शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालायें–

शैक्षिक सपोर्ट देने के लिए डायट संकाय सदस्यों निरीक्षक वर्ग बी0आर0सी0 व एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को 06 अगस्त 2001 से 01 सितम्बर 2001 तक 03 दिवसीय शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से डायट स्तर पर प्रशिक्षित किया

गया है। तथा राज्य स्तर पर तैयार किये गये पैरामीटर इन्डीकेटर्स के द्वारा विद्यालयों बी0आर0सी0 व एन0पी0आर0सी0को प्रति माह श्रेणीबद्ध किया जाता है।

ग्रेडिंग विद्यालय के भौतिक एवं शैक्षिक परिवेश के आधार पर प्रदान की गई है ग्रेडिंग को देखने से स्पष्ट होता है कि अधिकांश विद्यालय (सी) श्रेणी के है। अतः शैक्षिक क्षेत्र में विशेष रूप से सुधार अपेक्षित है ताकि अधिक से अधिक विद्यालय ए ग्रेड में आ सकें इसके लिए प्रभावी अनुश्रवण व सपोर्ट आवश्यक है।

शैक्षिक सपोर्ट व अनुश्रवण की व्यवस्था :

जिला प्राथमिक शिक्षा परियेाजना के अन्तर्गत शैक्षिक सपोर्ट व अनुश्रवण के लिये जनपद आगरा में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गयी।

1. विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक समन्वयक व सह समन्वयक।
2. न्याय पंचायत स्तर पर समन्वयक द्वारा।
3. डायट स्तर मेण्टर

शैक्षिक सपोर्ट व अनुश्रवण में ब्लाक समन्वयकों की भूमिका :

जनपद आगरा के प्रत्येक विकास खण्ड में बी0आर0सी0 समन्वयकों द्वारा प्रमुख रूप से निम्नाकिंत कार्य किये जा रहे है –

बी0आर0सी0 समन्वयकों की भूमिका :

- विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन, आयोजन व फालोअप।
- विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयेाजन, कक्षा कक्ष का अवलोकन शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करना।
- शिक्षा केन्द्रों व वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण।
- एन0पी0आर0सी0 स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण।
- डायट के मार्गदर्शन में विकास खण्ड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, गोष्ठियों, कार्यशाला, सूक्ष्मनियोजन व शाला मानचित्र व वातावरण सृजन आदि कार्यों का संचालन करना।
- एन0पी0आर0सी0 व विद्यालयों को उनकी भौतिक व शैक्षिक स्थिति के आधार पर श्रेणी प्रदान करना।

एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की भूमिका :

न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलपों के केन्द्र बिन्दु एन0पी0आर0सी0 समन्वयक है। इनके मुख्य काय्र स्थानीय समुदायों को अभिप्रेरत करना, सूक्ष्म नियेाजन व स्कूल मानचित्रण अभ्यास से ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना। शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना आदि है, इनके अतिरिक्त समन्वयकों द्वारा कृत कार्य कुछ इस प्रकार है –

- शिक्षकों की मासिक बैठकें व कार्यशालाओं का आयेाजन।
- भ्रमण के दौरान अनुभव किये गये कठिन स्थलों से सम्वन्धित आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करना।
- शिशु केन्द्रों व वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण व अनुश्रवण।
- बाल गणना, स्कूल चलो अभियान तथा ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों का संकलन व टैस्ट चैकिंग।

ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना विकसित करना।

- बी0आर0सी0 को सहयोग करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग करना तथा सूचनाओं का आदान–प्रदान करना।
- कार्यों तथा कार्यक्रमों की आख्या तैयार कर बी0आर0सी0 व डायट को भेजना।
- विद्यालयों को शैक्षिक एवं भौतिक स्थिति के आधार पर श्रेणी प्रदान करना।

डायट मेन्टर की भूमिका –:

जिला स्तर पर शैक्षिक सपोर्ट व अनुश्रवण हेतु डायट मुख्य संस्था है। जिसके सुपरवीजन में बी0आर0सी0 व एन0पी0आर0सी0 समन्वयक शैक्षिक सपोर्ट व अनुश्रवण का कार्य करते हैं। इस कार्य के लिये डायट के प्रवक्ताओं को ब्लाक का मेन्टर बनाया गया है। जिसका का है बी0आर0सी0 से विद्यालय तक शैक्षिक यहयोग व अनुश्रवण करना तथा आपकी समन्वय बनाना है। जनपद आगरा म 15 विकास खण्डों में 15 मेन्टर नियुक्त किये गये हैं जो बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 तथा विद्यालय भ्रमण करके शैक्षिक सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं।

मेन्टर के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं -

- न्याय पंचायत केन्द्र व बी0आर0सी0 पर आयोजित बैठकों में प्रतिभाग करना।
- बैठकों मे उठे शैक्षिक मुद्दो का समापन कराना।
- कठिन अनुभव की जाने वाली विषय वस्तु से संबधित आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण।
- विद्यालय एन0पी0आर0सी0 व बी0आर0सी0 स्तर पर भ्रमण करना व शिक्षकों व समन्वयकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करना।
- वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो व ई0सी0सी0 केन्द्रों का अनुश्रवण व परामर्श प्रदान करना।
- बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 व विद्यालयों को ग्रेडिंग देना
- ब्लाक से संबधित समस्त शैक्षिक गतिविधियों व क्रियाकलापों की आख्या डायट को

प्रस्तुत करना।

- जनपद आगरा के सभी विकास खण्डों के मेन्टर द्वारा भ्रमण कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है।

मासिक बैठकें –:

डी0पी0ई0पी0 के अंतर्गत एन0पी0आर0सी0 . बी0आर0सी0 व डायट स्तर पर मासिक बैठकें आयोजित करने की व्यवस्था की गई है। जनपद आगरा में प्रत्येक माह के चतुर्थ शनिवार को एन0पी0आर0सी0 पर एस0पी0ओ0 प्राप्त एजेन्डा तथा भ्रमण के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर बैठक की जाती है जिसमें उप न्याय पंचायत के सभी विद्यालयों के प्रधान अध्यापक व सहायक अध्यापक क्रम से प्रतिभाग करते हैं. शैक्षिक मुद्दों के समाधान हेतु प्रयास किये जाते हैं। एन0पी0आर0सी0 व बी0आर0सी0 बैठक दो दिन पश्चात सभी न्याय पंचायत समन्वयकों को बी0आर0सी0 पर बैठक आयोजित की जाती है। जिसमें एन0पी0आर0सी0 बैठकों की आख्या प्रस्तुत की जाती है तथा ऐसे शैक्षिक मुद्दे जिनका समाधान एन0पी0आर0सी0 बैठकों मे नहीं हो पाता उन पर विचार विमर्श कर समाधान किया जाता है. समाधान न होने पर डायट बैठक के लिये उनाकें संकलित कर लिया जाता है। माह के शैक्षिक कार्यों की समीक्षा की जाती है तथा विकास खण्ड में होने वाले अन्य शैक्षिक क्रिया कलापों की योजना बनायी जाती है।

डायट स्तरीय मासिक बैठक –:

प्रत्येक माह की 5 तारीख को सभी बी0आर0सी0 समन्वयकों की बैठक डायट पर आयोजित की जाती है। जिसमें प्रत्येक विकासखण्ड में होने वाली शैक्षिक क्रिया कलापों की समीक्षा व अन्य शैक्षिक गोष्ठियों, प्रदर्शनी व क्रियाकलापों की योजना बनाई जाती है। प्रत्येक बी0आर0सी0 पर उठने वाले शैक्षिक मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा के साथ ऐसे मुद्दे जिनका समाधान बी0आर0सी0 पर नहीं हो पाता है. विचार विमर्श कर समाधान किया जाता है। किन्तु अभी डायट स्तर पर आने वाले शैक्षिक मुद्दों की संख्या बहुत कम है प्रत्येक बैठक मे बी0आर0सी0 को इस कार्य के लिये प्रेरित किया जा रहा है तथा मेन्टर भी भ्रमण के दौरान एन0पी0आर0सी0 व बी0आर0सी0 समन्वयकों को शैक्षिक क्रियाकलापों

पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिये प्रेरित करने का प्रयास कर रहे है। बैठक में आवश्यक सूचनाओं का आदान–प्रदान भी किया जाता है।

प्रशिक्षण का कक्षा में प्रभाव –:

डायट मेन्टर्स, पर्यवेक्षकों व शिक्षकों के वार्ता द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई है कि सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण से कक्षा कक्ष की प्रक्रिया व विद्यालय के वातावरण में परिवर्तन हुआ, शिक्षकों में जनसंख्या व आत्मविश्वास की वृद्धि हुई वे अपने दायित्वों के प्रति सचेत हुये हैं। कक्षा शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है। जिससे बच्चों की भागीदारी में वृद्धि हुई है। गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा विशेषकर कक्षा 1 व 2 में बालकों में शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ी है। विद्यालय व कक्षा कक्ष में बदलते वातावरणसं जन समुदाय में एक उत्साह दिखाई देता है।

शैक्षिक स्थिति में प्रभावी सुधार के लिये योग्य व उत्साही व नवाचारों का प्रयोग करने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत करने की आवश्यसकता है ताकि उनका' मनोबल बढ़े, कक्षा कक्ष का शैक्षिक वातावरण प्रभावपूण्र बनाने के लिये शिक्षकों द्वारा दीवारों पर वर्णमाला, अंकज्ञान व पर्यावरण जानकारी संबंधी चार्ट व कहानी चित्रण बनाये जा रहे हैं। डायट प्रवक्ताओं के द्वारा प्रत्येक माह अपने आबंटित विकासखण्ड में निरीक्षण तथा अनुश्रवण से शिक्षकों की अनेक समस्याये ज्ञात हुई जैसे –

- पुराने शिक्षक नवीन विधाओं के अपनाने के लिये मानसिक रूप से तैयार नहीं होते।
- शिक्षक परंपरागत विधियों पर ही विस्वास रखते हैं।
- नवीन पाठयपुस्तकों की विषयवस्तु का ज्ञान न होने के कारण व शैक्षिक योग्यता कम होने के कारण सही शिक्षण नहीं कर पाते।
- उच्च प्राथमिक के अध्यापकों का विस्वास है कि प्राथमिक विद्यालयों से प्रवेश लेने वाले बालक सभी विषयों में न्यूनतम अधिगत स्तर के मानक को पूरा नहीं कर पाते।

कुछ विद्यालयों में स्थान की कमी के कारण गतिविधियों के संचालन में कठिनाई होती है तथा दूसरी कक्षाओं के शिक्षण में वाधा होती है। एकल विद्यालयों में सभी कक्षाओं के संचालन में कठिनाई होती है।

टी0एल0एम0 तथा अनुपूरक सामग्री विकास –:

जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण व समुचित प्रयोग पर केन्द्रित कर आयोजित किया गया। शिक्षण सामग्री के निर्माझा व उपयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से प्रति शिक्षक रू0 500/– की धनराशि शिक्षक अनुदान के रूप में उपलब्ध करा दी गई है। इस धनराशि के समुचित उपयेाग हेतु शिक्षकों में पाठ्यवस्तु आधारित शिक्षण सामग्री के विकास के लिये एन0बी0आर0सी0, बी0आर0सी0 व डायट स्तर पर मैटीरियल मेलों को आयेाजित करना प्रस्तावित है।

एक्शन रिसर्च –:

एक्शन रिसर्च के क्षेत्र में जनपद, विकासखण्ड, न्यापंचायत तथा स्कूल स्तर पर क्षमता विकास हेतु सीमेट, इलाहाबाद द्वारा शिक्षकों व बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों व डायट संकाय सदस्यों के लिये प्रशिक्षण 3 दिसंबर 2001 से 5 दिसंबर 2001 तक दिया जा चुका है जिससे शिक्षकों की स्थानीय शैक्षिक समस्याओं का तत्कालीन हल निकाला जा सकेगा तथा प्राप्त परिणामों का उपयोग कक्षा कक्ष की प्रक्रिया, स्कूल स्तरीय समस्याओं के समाधान तथा विद्यालयों को अधिक आकर्षक बनाने में किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर पर गुणवत्ता सम्बर्द्धन हेतु किये गये प्रयास –

जनपद आगरा में वर्ष 2000–2001 में उच्च प्राथमिक स्तर के गणित के शिक्षकों के लिये एस0ओ0पी0टी0 प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये। गणित विषय को सरल व सरस बनाकर छात्रों में गणित के प्रति रूचि उत्पपन हो सके एवं छात्र दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों का निवारण कर सके। इस आशय से उच्च प्राथमिक शिक्षकों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण के उद्देश्य –

1. छात्रों में तार्किक एवं रचनात्मक शक्ति का विकास
2. गणित के नियमों से परिचित कराना।
3. छात्रों में खोज प्रवृत्तियों का विकास करना।
4. छात्रों में शुद्धता व शीघ्रता से कार्य करने का अभ्यास डालना।

उच्च प्राथमिक स्तर की नवीन पाठ्यपुस्तकों का क्षेत्र परीक्षण –

राज्य विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद के द्वारा डायट सं0 सदस्यों को प्रशिक्षण देकर जनपद में उच्च प्राथमिक स्तरीय विज्ञान व गणित की नवीन पाठ्य पुस्तकों का 10 विद्यालयों में एक माह तक क्षेत्र परीक्षण कराया गया। इसी प्रकार राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद द्वारा सामाजिक अध्ययन व राज्य हिन्दी संस्थान वनारस द्वारा हिन्दी भाषा व संस्कृत की नवीन पुस्तकों का क्षेत्र परीक्षण कराया गया है जिसका उद्देश्य वास्तविक कक्षा शिक्षण में नवीन पाठयपुस्तकों की उपयोगिता व सार्थकता को देखना था।

डी0पी0ई0पी0 योजना उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण की कोइ व्यवस्था नहीं है। इस दृष्टि से इन शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण की आवश्यसका है।

जनपद में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता का विवरण –

सरिणी – 1

क्र सं0	शैक्षिक योग्यता	प्राथमिक स्तर के शिक्षक	उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक
1	हाईस्कूल से कम योग्यता	20	–
2	केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण	8	–
3	केवल इंटर उत्तीर्ण	32	–
4	स्नातक अप्रशिक्षित	46	–
5	हाइस्कूल प्रशिक्षित	1016	28
6	इंटर प्रशिक्षित	1310	290
7	स्नातक प्रशिक्षित	895	273
8	परास्नातक प्रशिक्षित	705	156
	कुल शिक्षक	4032	745

स्त्रोत कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी . आगरा।

प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के लिये न्यूनतम योग्यता स्नातक प्रशिक्षित (बी0टी0सी0 अथवा समकक्ष) होना आवश्यक है. उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट होता है कि जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों मे कार्यरत शिक्षकों में से 60.3 प्रतिशत शिक्षक निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं रखते हैं।

जबकि इंटर प्रशिक्षित 38.9 प्रतिशत स्नातक प्रशिक्षित 36.3 प्रतिशत एवं परास्नातक प्रशिक्षित 20.9 प्रतिशत कार्यरत हैं। वर्तमान में बी0टी0सी09 प्रशिक्षण की निधारित योग्यता स्नातक कर दी गई है. किन्तु ऑकड़ो से ज्ञात होता है कि 42.6 प्रतिशत अध्यापक इंटरमीडिएट या उससे भी कम योग्यता वाले हैं। अतः इस प्रकार के अध्यापको के लिये उच्च प्राथमिक स्तर के सभी विषयों का प्रशिक्षण देना आवश्यक है।

शिक्षकों का शिक्षण अनुभव संबंधी विवरण –

जनपद मे शिक्षण अनुभवों के आधार पर शिक्षकों की सिथति निम्न प्रकार है –

सारिणी – 2

क्रम सं0	शिक्षण अनुभव	प्राथमिक विद्यालय में	उच्च प्राथमिक विद्यालय में
1	5 वर्ष से कम	1411	186
2	5 वर्ष से 10 वर्ष तक	604	178
3	10 वर्ष से 15 वर्ष तक	121	193
4	15 वर्ष से 20 वर्ष तक	362	156
5	20 वर्ष से 25 वर्ष तक	403	32
6	25 वर्ष से 30 वर्ष तक	443	
7	30 वर्ष से अधिक	688	
	योग	4032	745

स्त्रोत कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी।

शिक्षा में प्रोत्साहन योजनायें –

प्राथमिक विद्यालयों मे नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करने के लिये अने क. प्रोत्साहन योजनायें सरकार द्वारा चलायी जा रही हैं –

- अनुचित तथा पिछड़ी जाति के बच्चों के लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था।
- निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये प्राथमिक विद्यालयो में अध्ययनरत सभी बालक बालिकाओं के लिये निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना।
- बालकों के लिये पोषाहार की व्यवस्था।

उपर्युक्त योजनाओं से अभिभवकों को सहायता मिलती है जिससे बच्चों का नामांकन विद्यालय में बढ़ा है तथा ठहराव में भी अपेक्षाकृत अंतर आया है। छात्रवृत्ति का लाभ, अनुसूचित जाति, अनु जनजाति के सभी बालक, बालिकाओं तथा अल्प संख्यक व पिछड़ी जाति के बालाकों को दिया जाता है। पोषाहर योजना का लाभ विद्यालय के सभी बालक बालिकाओं को प्रतिमाह प्राप्त होता है निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था डी0पी0ई0पी0 के अंतर्गत प्रतिवर्ष अनु0जाति के बालक व सभी जाति की बालिकाओं के लिये की गई है। किन्तु विभाग द्वारा इस वर्ष प्राथमिक विद्यालय से सभी बालकों के लिये निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को बुक बैंक हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के 10 सेट उपलब्ध कराये गये हैं। निःशुल्क पुस्तकों के प्राप्त होने से प्रत्येक बालक के पास पाठ्यपुसतकों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। शिक्षण प्रक्रिया में सुधार होने से शैक्षिक संप्रति स्तर में अंतर आने की संभावनाओं में वृद्धि हुई है। आगामी वर्ष में जनपद आगरा में 6–11 वय वर्ग के सभी छात्र छात्राये इससे लाभान्वित होंगे।

जनपद में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में –

आगरा जनपद के मुख्य रूप से चमड़े व संगमरमर के व्यवसाय के क्षत्र मे बाल श्रमिक हैं। इसके अतिरिक्त मलिन बस्तियों में गरीबी की रेखा से नीचे के बाल श्रमिक हैं। जो दुकानों व होटलों में कार्य करते हैं, पालीथीन की थैलियॉ बीनते व बेचते हैं, इसके अतिरिक्त दरी व कालीन बुननके क र्य में भी बाल श्रमिकों की काफी संख्या है। इन

बालको की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। गरीबी के कारण माता-पिता विद्यालय नहीं भेज पाते।

ऐसे बच्चों को औपचारिक शिक्षा दिलाना कठिन कार्य है। अतः इनके लिये वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो की आवश्यकता है। साथ ही इन्हे जीवनोपयोगी कौशल व कार्यानुभव की शिक्षा देने की आवश्यकता है।

ए स्टडी ऑफ क्लासरूम प्रोसेस सीमेट 1998 – 1999 तथा क्लासरूम आब्जर्वेशन स्टडी एस0सी0ई0आर0टी0 2000 के अध्ययन के निम्नांकित निस्कर्ष प्राप्त हुये हैं –

- सेवापूर्व तथा सेवारत दोनों प्रशिक्षणों में कक्षा कक्ष प्रक्रिया की जानकारी स्पष्ट होनी चाहिये।
- शिक्षकों की शैक्षिक तकनीकों से अवगत कराया जाये।
- सतत् एव व्यापक मूल्यांकन हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण बनाने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाये। परीक्षणों को विश्वसनीय बनाने के लिय भी निर्धारित विधियों की जानकारी दी जानी चाहिये।
- एक्शन रिसर्च की जानकारी शिक्षकों को दी गई जाये ताकि वे अपनी समस्याओं का तत्कालीन हल निकल सके।
- शिक्षकों व बच्चों को सक्रियता प्रदान करने के लिये डायट व शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक शिक्षण सामग्री एवं अनुकूलन साहित्य का विकास किया जाये।
- शैक्षिक रूप से पिछडे बच्चों व सामाजिक दृष्टि से अपवंचित बच्चों के लिये विशेष प्रकोष्ठ बनाया जाये।
- बच्चो व शिक्षकों की शत प्रतिशत उपस्थिति के लिये अधिकाधिक पथसहगामी क्रियाये विद्यालय स्तर पर करायी जाये।
- अच्छी सप्रति के विद्यालयों को पुरस्कार व प्रोत्साहन दिया जाये। इसके लिये डायट स्तर पर योजना बनाई जाये।
- शिक्षण में सुधार करने वाले शिक्षकों की पहचान करके उन्हें प्रोत्साहन दिया जाये।

जनपद आगरा में सर्वशिक्षा अभियान –

सर्वशिक्षा अभियान 6–14 वय वर्ग के बालकों की शिक्षा के सार्वभौमीकरण का एक महत्वाकाक्षी कार्यक्रम है। जनपद आगरा मे 6 - 14 वय वर्ग के सभी बालक बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनपयोगी तथा गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करके का लक्षय रखा गया है।?. जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान विद्यालयी व्यवस्था के सामुदायिक स्वाभित्व एवं प्रबंधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु एक प्रयास है

- यह निश्चित अवधि समयावधि मे प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का कार्यक्रम है।
- यह बेसिक शिक्षा के द्वारा सामाजिकता को बढाने का सुअवसर है ।
- यह पंचायत राज संसथाओं, विद्यालयों, प्रबधन समितियों, ग्रामीण तथा शहरी शिक्षा समितियो मलिन बस्तियों, शिक्षक अभिभावक संघों, जन जातीय स्वायत्तशासी निकायों और अन्य आधार भूत संस्थाओं को प्राथमिक (प्रारंभिक) विद्यालयों के सक्रिय प्रबधन से जोडने काप्रयास है।
- यह पूरे देश में सर्वव्यापक प्ररंभिक शिक्षा को प्राप्त की राजनैतिक इच्छा का पाकट्य है।
- सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वय वर्ग के सभी बच्चों के लिये सन् 2010 तक उपयोगी और उपर्युक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का अभियान है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य लिंग, सामाजिक, क्षेत्रीय खाई को समुदाय को सक्रिय सहभागिता तथा उचित विद्यालय प्रबधन द्वारा पाटना है।
- इसका उद्देश्य बच्चों को अपने प्राकृतिक और भौतिक पर्यावरण से इस तरह सयोजित करना है कि वे अपनी मानवीय भावनाओं का उपयोग कर सकें।

सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य इस प्रकार हैं –

1 6 14 वय वर्ग सभी बच्चों को स्कूल इ0जी0सी0 केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों म

जाना।

2. सभी बच्चे 5 वर्ष को प्राथमिक शिक्षा पूरी करें – यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. सभी बच्चे 8 वर्ष की शिक्षा पूरी करें यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्रापत करना है।
4. सभी बालको को जीवनोपयोगी कौशलों पर आधारित गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करना।
5. प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं समुदायों और समूहों के अंतर को 2007 तक तथा समग्र पारंभिक स्तर पर 2010 तक समाप्त करना।
6. 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित करना।

सर्व शिक्षा अभियान की रणनीति –

- संस्थागत सुधार – जनपद की कार्यरत प्रारंभिक शिक्षा संस्थाओं का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करके अपेक्षित वांछित सुधार करना।
- सामुदायिक स्वामित्व – वास्तविक एवं प्रभावकारी विकेन्द्रित व्यवस्था जिसमें महिला समूह, ग्राम शिक्षा समितियों अन्य पंचायत राज्य संस्थाओं की अधिकाधिक क्रियाशीलता हो।
- संस्थागत क्षमता संबर्द्धन – जनपद आगरा में बस्ती, मजरा, ग्राम ग्राम पंचायत न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लाक बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 डायट एवं अन्य समूहों का प्रशिक्षण एवं विभिन्न अंतक्रिया कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी क्षमता में अभिवृद्धि करना। जिससे वे पूर्ण निस्पक्षता और पारदर्शिता के साथ प्रारंभिक शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण / पर्यवेक्षण कर सकें।
- सूचना व्यवस्था (ई0एम0आई0एस0) जनपद आगरा में बालश्रम समस्या का पादुभाव होने के कारण गली, मोहल्ले वार्ड एवं अर्द्धशहरी क्षेत्र में सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु व्यापक सूचना तंत्र की व्यवस्था। जिससे 6–14 वय वर्ग के सभी बाल श्रमिकों को प्रारंभिक शिक्षा से जोडा जा सके।
- किसी भी छोटी–छोटी बस्ती/आबादी को नियोजन की इकाई मानते हुये व्यापक

सर्वेक्षणोपरान्त जिला योजना तैयार करना।

- समुदाय को सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करन हेतु पर्याप्त रूप से आत्मनिर्भर जिम्मेदार बनाना।
- लडकियों की (विशेष रूप एस0सी0.एस0टी0 तथा अल्पसंख्यक समूह) विशेष रूप से शिक्षा व्यवस्थसा करना।
- सर्व शिक्षा अभियान के पूर्व परियोजनाचरण मे सभी लक्ष्य समूहोंका डोर टू डोर सर्वेक्षण कर समुदाय आधारित सूक्ष्म नियोजन तथा मानचित्रण किया जाना है।
- समुदाय को सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु पर्याप्त रूप से आत्मनिर्भर जिम्मेदार बनाना।
- लडकियों की (विशेष रूप से शिक्षा व्यवस्था करना।
- सर्व शिक्षा अभियान के पूर्व परियोजना चरण में सभी लक्ष्य समूह का डोर टू डोर सर्वेक्षण कर समूदाय आधारित सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालयी मानचित्रण किया जाना है। साथ ही साथ समुदाय विशेष के प्रतिनिधियों को सीधेरूप से इस ,कार्य हेतु उततरदायी बनाने हेतु सघन रूप से प्रशिक्षित किया जाना है।
- गुणवत्ता पर विशिष्ट बल – सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर पाठ्यक्रम की पुनः समीक्षा कर विशिष्ट समस्या समूहो को उनके वय वर्ग के आधार पर क्रिया आधारित एवं बाल केन्द्रित बनाना तथ इसी तरह की अन्य प्रभावकारी शिक्षण अधिगम नीतियो का निर्धारण करना।
- शिक्षकों की भूमिका – सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षकों की केन्द्रीय एव विशिष्ट भूमिका है अतः उनकी क्षमता अभिवृद्धि एवं सवर्द्धन हेतु निरतर प्रभावकारी प्रयास प्रशिक्षण के माध्यम से सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यकता आधारित क्षेत्र विशेष की विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर किये जायेंगे।
- जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना जनपद आगरा की प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था के पुनर्गठन हेतु एक समेकित योजना तैयार की गई है। जिसमे स्थानीय स्तर पर आबादी की सबसे छोटी इकाइ बस्ती को जिला योजना हेतु पर्याप्त महत्व दिया गया है। शिक्षण प्रशिक्षण आवश्यकता आधारित वृहद योजना डायट द्वारा इसकी क्षेत्रीय इकाइयों

बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 स्तर पर प्रत्यक्ष विद्यालय शिक्षण अनुभव के माध्यम से आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण पैकेज का निर्माण शिक्षकों द्वारा स्वअनुभूत विशिष्ट कठिनाइयों के आधार पर किया जायेगा।

शोध मूल्यांकन पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण –

जैसा कि गुणवत्ता सवर्द्धन सर्व शिक्षा अभियान की प्रमुख विशेषता है। सतत एवं व्यापक मूल्संकन सदैव इसकी प्राथमिकता होगी।

गुणवत्ता के स्तर को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक होगा कि इस अभियान की क्रिया विधि तथा उद्देश्यों से सभी भली भॉति परिचत हो जायें। तथा विद्यालय प्रबधकारिणी समितियों एवं अन्य सस्थाओं के साथ पूर्ण साझेदारी और समन्वय स्थापित रहे। उपर्युक्त निरीक्षण प्रपपत्रों का विकास विधि अभिमुखीकरण कार्यक्रमों से किया जायेगा। और इसमें उत्तरोत्तर सुधार अपेक्षित होगा ताकि गुणवत्ता को स्थिर रखने हेतु सतत प्रयास जारी है। राज्य शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली (एन0सी0ई0आर0टी0) के सहयोग से जनपद आगरा में कक्ष 6 से 8, तक का शैक्षिक उपलिब्धि के संदर्भ में आधारभूत अध्ययन सर्वेक्षण बी0ए0एस0 कराया जायेगा।

सभी मूल्याकन निरीक्षण एक निश्चित समयावधि बाद किये जायेगें और इनके प्रपत्रों मे वांछित परिवर्तन और परिवर्द्धन गुणवत्ता के स्थायी बनाये रखने के लिये किया जायेगा।

राज्य, जिला, क्रमांक न्याय पचायत संदर्भ समूह, एस0ई0आर0टी0 डायट बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 के साथ कधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे।

सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रस्तावति सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण –

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संसथान जनपद मे अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने तथा शिक्षको की शिक्षण विद्या को निरतर उत्कृष्ट बनाने हेतु समय २ पर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण आयोजित करेगा। जिसके लिये प्रशिक्षण आयोजित करने से पूर्व उन्मुखत प्रशिक्षण

पैकेज तथा संदर्भ व्यक्तियों / प्रशिक्षकों का चयन निर्धारित उद्देश्यो के संदर्भ में करना अभीष्ठ होगा। शिक्षकों द्वारा अनुभूत सामान्य कठिनाइयों एवं विषयगत कठिनाई सीलों को दृष्टिगत रखते हुये उनका श्रेणीकरण किया जायेगा। और निम्नानुसार प्रशिक्षण प्रथम वर्ष से 5 वर्ष तक आयोजित किये जायेंगे। जिनमें परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के आधार पर परिवर्तन संभव है।

प्राथमिक स्तर पर प्रोत्साहित प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रथम वर्ष – 2002-03

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जिसके लिये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगे। सर्वप्रथम इसमें जनपद - विकासखण्ड , न्यायपचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी से गुणात्मक परिवर्तन हेतु एक विजन विकसित किया जायेगा। जिसके लिये 4 दिवसीय विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। मुख्यतया सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यो तथा लक्ष्यों , बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यो, शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा कक्ष की प्रक्रिया की वर्तमान सिथति तथा उसमे बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुये सहभागिता आधारित निस्कर्ष व सहमतियों तय की जायेगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य परियोजना के अंतर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यो के प्रति समान व अन्य धारणायें बन सकें। शिक्षकों के लिये भी विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता व उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि तथा विषय संबंधी ज्ञान को बढ़ाने के लिये शिक्षण प्रशिक्षक आयोजित किये जायेंगे न कि वर्ष में 1 बार किये जायेंगे। इन शिक्षक प्रशिक्षणो का इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा।

जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं शिक्षण बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जानकारी वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के संदर्भ में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

द्वितीय वर्ष – (2003 - 04)

1. सेवारत प्राथमिक शिक्षकों को अंग्रेजी व संस्कृत का विषय वस्तु आधारित व शिक्षण सामग्री निर्माण प्रशिक्षण दिया जायेगा। जो टी0ओ0टी0 व बी0आर0सी0 को डायट स्तर पर 7 दिवसीय व बी0आर0सी0 स्तर पर प्रधानाध्यापक तथा 1 सह अध्यापक को दिया जायेगा जो 5 दिवसीय होगा। संबंधित प्रशिक्षण माडल रा0 प0 कार्यालय द्वारा तैयार किया जायेगा।

2. बहु कक्षा शिक्षण एवं बहुस्तरीय शिक्षण पर बी0आर0सी0 स्तर पर 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित किये जायेंगे। जिसके प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रशिक्षित किये जायेंगे।

3 पूर्व वर्षों में दिये गये प्रशिक्षण के फालोअप के लिये न्याय पंचायत स्तर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

4 एन0व0आर0सी0 स्तर पर आदर्श पाठ प्रसतुतीकरण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा।

तृतीय वर्ष – (2004 - 05)

1. सेवारत शिखकों को विभाग व सामाजिक अध्ययन की विशय वस्तु व सहायक शिक्षण सामग्री आधारित 8 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। जो टी0आ0टी0 व बी0आर0सी0 को डायट स्तर पर व एन0पी0आर0सी0 समन्वयक तथा शिक्षकों को बी0आर0सी0 स्तर पर दिया जायेगा। सबंधित माडल एस0पी0ओ0 व सेमेट से तैयार किया जायेगा।

2. भाषा गणित शिक्षण के रूचिकर बनाने सामग्री निम्राण व पाठ योजना निर्माण के लिये समस्त एन0पी0आर0सी0 समन्वय प्रधानाध्यापक तथा एक सहयोक अध्यापक की 2 दिवसीय कार्यशाला ब्लाक स्तर पर आयोजित की जायेगी। इसमें सोपान माडल प्रपत्र दिया जायेगा ।

3 कक्षा 3, 4, 5, मे अंग्रेजी संस्कृत को रूचिकर बनाने हेतु सामग्री निर्माण व निर्माण 2 दिवसीय कार्यशाला बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी।

4 बे0आर0सी0 स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु परीक्षण आयोजित की जायेंगी। जिनके लिये संकाय सदस्यों को एस0पी0ओ0 द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा।

5. न्याय पंचायत विकासखण्ड एवं डायट स्तर पर प्रशिक्षण के फालोअप हेतु कार्यशालायें कार्यान्वित की जायेंगी। इनमें सभी विकल्पों के प्रधानाध्यापक व एक सहायक अध्यापक प्रतिभाग करेंगे।

चतुर्थ वर्ष – ( )

1. समस्त शिक्षकों व शिक्षामित्रों को कक्षा 1 से 5 तक की पाठ्यपुस्तकों तथा शिक्षक संदर्शिकाओं पर आधारित पुरर्बोधन प्रशिक्षण दिया जायेगा। जो 8 दिवसीय होगा। यह प्रशिक्षण बी0आर0सी0 स्तर पर शिक्षकों का शिक्षा मित्रों का तथा डायट स्तर पर समस्त टी0ओ0टी0 व बी0आर0सी0 को प्रदान किया जायेगा। इनमें पूर्व प्रशिक्षण मॉडल साधन का प्रयोग किया जायेगा।

2. बी0आर0सी0 स्तर पर प्रत्येक विद्यालय के प्रधान अध्यापक व एक सह अध्यापक को दृश्य श्रव्य उपकरणों के उपयोग हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

3. विभाग के शिक्षण को रूचिकर बनाने हेतु सामग्री निर्माण एवं पाठ्योजना निर्माण विषयक 2 दिवसीय कार्यशाला बी0आर0सी0 पर आयोजित की जायेगी।

4. कक्षा 3. 4. 5 में सामाजिक विषय शिक्षण के आदर्श पाठ प्रस्तुततीकरण संबधी 2 दिवसीय कार्यशाला बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी। इसमें ब्लाक के समस्त एन0पी0आर0सी0 प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक भाग लेंगे।

5 प्रशिक्षणो के फालोअप के लिये एक दिवसीय मासिक बठकें न्याया पचायत विकासखण्ड व डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी।

पंचम वर्ष – ( )

1 संचारत प्राथमिक शिक्षक व शिक्षा मित्रों का 8 दिवसीय पूर्व प्रशिक्षण के आधार पर कठिन स्तिो का आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण बी0आर0सी0 स्तर पर कराया

जायेगा।

2. ब्लाक व नगर क्षेत्र के समस्त उर्दू अध्यापकों को डायट स्तर पर 5 दिवसीय उर्दू शिक्षण विधाओं से संबंधित प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके लिए चयनित टी0ओ0टी0 व डायट सदस्यों को एस0बी0ओ0 द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा तथा प्रशिक्षण माडल एस0पी0ओ0 द्वारा विकसित किया जायेगा।

3. नव नियुक्त सहायक अध्यापको के लिये साधन पर आपत्ति 10 दिवसीय सेवारत प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

4. प्रधानाध्यापक पद पर नवीन पदोन्नति अध्यापकों को 5 दिवसीय नेतृत्व, समय बंधन, विद्यालयी अभिलेख, रख–रखाव, विद्यालय पर्यवेक्षण आदि डायट स्तरीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसमें जनपद आगरा के समस्त प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेंगे।

5 विकासखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप के लिये न्यायपंचायत स्तर मासिक बैठकों का आयोजन किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम–

प्रथम वर्ष में ( )

1 सर्वप्रथम डायट संकाय सदस्य, डी0पी0ओ0 अभिकर्मी ए0वी0एस0ए0 तथा बी0आर0बी0 व एन0पी0आर0सी0 समन्वयों की डायट स्तर पर 4 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी, तत्पश्चात न0वी0आर0सी0 स्तर पर 3 दिवसीय कार्यशालाऐं समस्त शिक्षकों के लिए आयोजित की जायेगी ताकि एस0एस0ए0 कार्यक्रम के प्रति दृष्टिकोण बन सके।

2 समस्त सेवारत शिक्षकों का 8 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण कराया जायेगा। जो शिक्षण विधियों, पाठ्यपुस्तकों व शिक्षण सामग्री पर आधारित होगा यह

प्रशिक्षण टी0ओ0टी0 का डापर स्तर पर तथा शिक्षण का बी0आर0सी0 सीमेट के सहयोग से विकसित किया जायेगा।

3. विज्ञान विषय के कठिन स्थलों की पहचान एवं उनको सरल व रूचिकर बनाने हेतु प्रत्येक विद्यालय के 01 शिक्षक व प्रधानाचार्य को 03 दिसीय कार्यक्रम ब्लाक स्तर पर आयोजित की जाऐगी. इसके लिएपहले टी0ओ0टी0 को डापर पर प्रशिक्षित किया जायेगा।

4. विज्ञान के चिन्हित कठिन स्थलों पर पाठ्यों का निर्माण सहायक सामग्री निर्माण हेतु समस्त बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों, विज्ञान अध्यापकों व प्रधान आयोजकों की बी0आर0सी0 पर 05 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

5 प्रशिक्षण की प्रगति के मूल्यांकन हेतु एन0पी0आर0सी वी0आर0सी0 व डापर स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन किया जायेगा।

6 न्याय पचायत स्तर पर विज्ञान विषयों से सम्बन्धित 01 दिवसीय मैटीरियल मेलो आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष में – ( )

1. गणित विषय के शिक्षण हेतु कठिन स्थलों की पहचान हेतु 03 दिवसीय प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर आयोजित किया जायेगा। जिसमें ब्लाक के सभी विद्यालय के 01 गणित शिक्षक व प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेंगे। टी0ओ0टी0 का प्रशिक्षण डापर स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

2 गणित में चिन्हित कठिन स्थलों के शिक्षण हेतु पाठयोजना निर्माण एवं सहायक सामग्री निर्माण सम्बन्धित 05 दिवसीय कार्यशाला ब्लाक स्तर पर आयोजित की जायेगी जिसमे गणित शिक्षक, प्रधानाचार्य, बी0आर0सी0 व एन0पी0आर0सी0 समन्वयक प्रतिभाग करेंगे।

3 न्याय पचायत स्तर पर 01 दिवसीय गणित विषय से सम्बन्धित मैटीरियल मेला

आयोजित किया जायेगा. जिसमें एन0पी0आर0सी0 के स0 अध्यापक व प्रधान अध्यापक प्रतिभाग करेंगे।

4. प्रशिक्षण की प्रगति के मूल्याकन हेतु न्याय पचायत स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन किया जायेगा।

तृतीय वर्ष में –

1. इस वर्ष भाषा शिक्षण हेतु विकास खण्ड स्तर पर 03 दिवसीय कार्यशाला कठिन स्थलों की पहचान हेतु तथा 05 दिवसीय कार्यशाला स्तरानुकूल पाठ योजना निर्माण व सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु करायी जायेगी. जिसमें हिन्दी शिक्षक प्रधान अध्यापक. बी0आर0सी0 व एन0पी0आर0सी0 समन्वयक प्रतिभाग करेंगे। प्रशिक्षण मॉड्यूल एस0पी0ओ0 द्वारा विकसित किया जायेगा।

2. निर्मित पाठयोजनाओं व सहायक शिक्षण सामग्री के कक्षा में अनुप्रयोग हेतु 05 दिवसीय कार्यशाला न्यायपचायत स्तर पर आयोजित की जायेगी। जिसमें हिन्दी विषय हेतु पूर्व प्रशिक्षित प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे।

3. प्रशिक्षण प्रगति के मूल्यांकन हेतु मासिक बैठक एन0पी0आर0सी0 पर आयोजित की जायेगी।

चतुर्थ वर्ष में–

1. हिन्दी व संस्कृत से सम्बन्धित शिक्षण सम्बन्धी समानता एवं कठिन स्थलों की पहचान विषयक 05 दिवसीय कार्यशाला ब्लाक स्तर पर आयोजित की जायेगी जिसमें पूर्व की भांति विषय शिक्षक. प्रधान अध्यापक. बी0आर0सी0 व एन0पी0आर0सी0 समन्वयक प्रतिभाग करेंगे। मॉड्यूल एन0पी0ओ0 के सहयोग से तैयार किया जायेगा।

2 सामाजिक अध्ययन की पाठ योजना व सहायक सामग्री निर्माण 05 दिवसीय कार्यशाला बी0आर0सी0 पर आयोजित की जायेगी जिसमें विषय अध्यापक प्रधान अध्यापक व समन्वयक प्रतिभाग करेंगे। उक्त सभी प्रशिक्षणों हेतु साहित्य एम0वी0ओ0 के द्वारा विकसित कराया जायेगा।

3. उपर्युक्त सभी विषयों में निर्मित पाठयोजनाओं व सहायक शिक्षण सामग्री का कक्षा में अनुपयोग सम्बन्धी 05 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

4. प्रशिक्षण प्रगति के मूल्यांकन हेतु न्याय पंचायत स्तर पर मासिक बैठकें आयोजित की जायेगी।

पंचम वर्ष में –

1. पांचवे वर्ष में समस्त प्रशिक्षणो के मूल्यांकन हेतु 02 दिवसीय कार्यशाला विकास खण्ड स्तर पर आयोजित की जायेगी। इसमें पूर्व डापर पर चयनित टी0ओ0टी0 शिक्षकों व समन्वयकों की 02 दिवसीय कार्यशाला की जायगी मूल्यांकन हेतु बिन्दु एस0पी0ओ0 द्वारा निर्धारित दिये जायंगे।

2. भाषा, गणित व विज्ञान शिक्षण का 06 दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इसके लिए प्रशिक्षण डापर में तैयार किये जायेंगे।

3. शिक्षण सम्बन्धी नवीन आवश्यकता की पहचान हेतु 02 दिवसीय कार्यशाला बी0आर0सी0 पर की जायेगी।

4. चिन्हित आवश्यकताओं हेतु प्रशिक्षण योजना निर्माण इसके लिये 03 दिवसीय कार्यशाला ब्लाक स्तर पर आयोजित की जायेगी।

उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सारिणी

प्रथम वर्ष--

क्र0स	कार्यक्रम का नाम	शीर्षक	अवधि	प्रतिभागी
01	प्रशिक्षण	सेवारत पू0मा0शिक्षकों का सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण	8 दिवसीय	सेवारत प0अ0 / स0अ0
02	कार्यशाला	ब्लाक स्तर पर विज्ञान विषय के शिक्षण हेतु कठिन स्थलों की पहचान	3 दिवसीय	समस्त सम्बन्धित बी0आर0सी0 न्याय पंचायत समन्वयक व

		हेतु कार्यशाला			विज्ञान विषय के स0अ0प्र0अ0
03.	कार्यशाला	चिन्हित उपरोक्त कठिन स्थलों पर छात्रों के स्तरानुकूल पाठ योजना सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण विष्ज्ञयक कार्यशाला	05	दिवसीय	समस्त सम्बन्धित बी0आर0सी0 न्याय पंचायत समन्वयक व विज्ञान विषय के स0अ0 एवं प्र0अ0
04	मासिक बैठक कार्यशाला	न्याय पचायत स्तर पर प्रशिक्षण प्रगति का मूल्याकन विषयक मासिक बैठक / कार्यशाला	01	दिवसीय	न्याय पयायत क्षेत्र के प्र0अ0+स0अ0
05		न्याय पचायत स्तर पर मैटीरियल मेला विज्ञान विषय से सम्बन्धित	01	दिवसीय	न्याय पंचायत समन्वयक के साथ समस्त सम्बन्धित प्र0अ0+स0अ0

द्वितीय वर्ष–

क्र0स0	कार्यक्रम का नाम	शीर्षक	अवधि	प्रतिभागी
01	प्रशिक्षण	ब्लाक स्तर गणित विषय के शिक्षण हेतु कठिन स्थलो की पहचान हेतु प्रशिक्षण / कार्यशाला	दिवसीय	प्रतिभागी ब्लाक समन्वयक न्याय पंचायत समन्यक व गणित विषय के स0अ0 व प0अ0
02	कार्यशाला	चिन्हित उपरोक्त कठिन स्थलो पर छात्रों के स्तरानुकूल पाठयोजना सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण विषयक कार्यशाला	दिवसीय	समस्त सम्बन्धित बी0आर0सी0 न्याय पंचायत समन्वयक व विज्ञान विषय के स0अ0 एवं प0अ0

03	मैटीरियल मेला प्रदर्शनी	न्याय पचायत स्तर पर एक दिवसीय मैटीरियल मेला गणित विषय से सम्बन्धित	2 दिवसीय	न्याय पंचायत समन्वयक के साथ समस्त सम्बन्धित प्र0अ0 व स0अ0
04	मासिक बैठक कार्यशाला	न्याय पचायत स्तर पर प्रशिक्षण प्रगति का मूल्यांकन विषयक मासिक बैठक / कार्यशाला	1 दिवसीय	न्याय पचायत क्षेत्र के प्र0अ0 +स0अ0

तृतीय वर्ष –

क्र0स0	कार्यक्रम का नाम	शीर्षक	अवधि	प्रतिभागी
01	कार्यशाला	ब्लाक स्तर पर हिन्दी विषय के शिक्षण हेतु कठिन स्थलो की तीन दिवसीय कार्यशाला	3 दिवसीय	न्याय पचायत क्षेत्र के प्र0अ0 + स0अ0
02	प्रशिक्षण / कार्यशाला	ब्लाक स्तर पर चिहिन्त कठिन स्थलो पर छात्रो के स्तरानुकूल पाठ योजना, सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण विषयक कार्यशाला	5 दिवसीय	समस्त सम्बन्धित बी0आर0सी0 समन्वय न्याय पचायत समन्वयक व हिन्दी विषय के स0अ0+प्र0अ0

03	प्रशिक्षण	बनाई गई पाठ योजनाओं एवं सहायक शिक्षण सामग्री का कक्षा में अनुप्रयोग विषयक प्रशिक्षण	5 दिवसीय	समस्त सम्बन्धित बी0आर0सी0 सम0 न्याय पंचायत समन्वयक व हिन्दी विषय के स0अ0+प्र0अ0
04	मासिक बैठक / कार्यशाला	न्याय पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण प्रगति का मूल्यांकन विषयक बैठक / कार्यशाला	1 दिवसीय	न्याय पंचायत क्षेत्र के प्र0अ0+स0अ0

चतुर्थ वर्ष -

क्र0स0	कार्यक्रम का नाम	शीर्षक	अवधि	प्रतिभागी
01	कार्यशाला	हिन्दी एवं संस्कृत विषय से सम्बन्धित शिक्षण सम्बन्धी समानता एवं कठिन स्थलों की पहचान विषयक कार्यशाला	5 दिवसीय	ब्लाक समन्वयक न्याय पंचायत प्रभारी व प्र0अ0+स0अ0
02	कार्यशाला	सामाजिक अध्ययन विषय में निर्धारित कठिन स्थलों पर आधारित पाठ्योजना सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण विषयक कार्यशाला	5 दिवसीय	ब्लाक समन्वयक न्याय पंचायत प्रभारी व प्र0अ0+स0अ0

03	प्रशिक्षण	बनाई गई पाठयोजनाओं / सहायक शिक्षण सामग्री का कक्षा कक्ष में छात्रों के मध्य प्रयोग पर आधारित 5 दिवसीय प्रशिक्षण	5 दिवसीय	ब्लाक समन्वयक, सहसमन्वयक, न्याय पचायत समन्वयक व सम्बन्धित प्र0अ0+स0अ0
04	मासिक बैठक कार्यशाला	न्याय पचायत स्तर पर प्रशिक्षण प्रगति का मूल्यांकन विषयक मासिक बैठक / कार्यशाला	1 दिवसीय	न्याय पचायत क्षेत्र के प्र0अ0+स0अ0

पंचम वर्ष –

क्र0स0	कार्यक्रम का नाम	शीर्षक	अवधि	प्रतिभागी
01	कार्यशाला	उपर्युक्त प्रशिक्षणों के मूल्यांकनों विषयक दो दिवसीय ब्लाक स्तरीय कार्यशाला	2 दिवसीय	ब्लाक समन्वयक, सह समन्वयक, न्याय पचायत प्रभारी
02	प्रशिक्षण	विज्ञान गणित एवं भाषा पर आधारित पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	6 दिवसीय	ब्लाक समन्वयक सह समन्वयक, विज्ञान व गणित विषय के प्र0अ0 · स0अ0

03	कार्यशाला	शिक्षण विषयक नवीन आवश्यकता की पहचान विषयक कार्यशाला	2 दिवसीय	ब्लाक समन्वयक, सह समन्वयक व सम्बन्धित प्र0अ0+स0अ0
04	कार्यशाला	चिन्हित आवश्यकताओं पर आधारित प्रशिक्षण योजना निर्माण विषयक कार्यशाला	3 दिवसीय	ब्लाक समन्वयक सह समन्वयक व सम्बन्धित प्र0अ0+स0अ0

उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए लिए कम्प्यूटर सामान्य उपयोग एवं जानकारी विषयक तीन दिवसीय बी0आर0सी0 स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

अन्य प्रशिक्षण –

उपरोक्त शिक्षक प्रशिक्षण के अतिरिक्त सामुदायिक सहभागिता और विद्यालय प्रबन्धन मे जन सामान्य में सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ मे विद्यालय प्रबन्धक के उत्कृष्ट स्वरूप को प्राप्त करने हेतु अन्य प्रशिक्षणों को भी न्याय पंचायत ब्लाक, डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। और ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक होगा कि बालक शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ मे समय समय पर किये जा रहे एकाधिक प्रयासो से पूर्णत: अवगत रहें। फिर चाहे वे ग्राम–शिक्षा समिति के सदस्यों, क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के अनुदेशकों या अभिभावक हों, सभी को यह भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि पाथमिक शिक्षा मे गुणवत्ता सवर्द्धन हेतु तथा प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के एकमेव उद्देश्य तो प्राप्त करने की दिशा में उनका क्या योगदान है। इस हेतु निम्नांकित प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे

1 शिक्षा मित्र / आचार्यजी प्रशिक्षण

जनपद के चयनित शिक्षा मित्रो तथा इ0जी0एस0 केन्द्रो के आचार्य जी के लिये

तीस दिवीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र, आचार्य जी के लिए 15 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी पतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।

2– वैकल्पिक शिक्षा–

जनपद में प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या 05 है। वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशको के लिये 15 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण का आयोजन डायट स्तर पर किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष दस दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास डायट द्वारा एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यावेक्षण एन0पी0आर0सी0, बी0आर0सी0 के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। तथा पर्यवेक्षण हेतु क्षमता विकास के लिये समन्वयको का 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक 2 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित किया जायेगा।

3– **ई0सी0सी0ई0ई0 केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण** –

पूर्व प्राथमिक शिक्षा के 100 शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा इनकी कार्यकृतियो तथा सहायिकाओं के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का उपयोग किया जायेगा।

4– बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान में अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल इण्टर कालेज में संचालित 6 से 8 के शिक्षकों में भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है इसके लिए बी0आर0सी0 व एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को उनके कर्तव्य व दायित्व सम्बन्धी अकादमिक पर्यवेक्षण सम्बन्धी 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। उक्त समन्वयन सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे

इसके अतिरिक्त समय समय पर शिक्षामित्र, वैकल्पिक शिक्षा, गारंटी योजना, ई0सी0सी0ई0 तथा अकादिमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण ई0एम0आई0एस0 माइक्रोप्लानिंग, सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग करेंगे।

5- ए0वी0एस0ए0 व एस0डी0आई0 का प्रशिक्षण –

जननद में विकास खण्ड स्तर पर स0बे0शि0 अधिकारी की शैक्षिक गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका है, इस दृष्टि से 5 दिवसीय ओरियंटेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास सीमेट द्वारा डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत किया गया है। उक्त प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा।

1. कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण–

प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड के 5 विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षण हेतु शिक्षकों को डायट स्तरपर एक माह का प्रशिक्षण कराया जायगा। इससे पूर्व डायट सदस्यों को एक माह का आधारभूत प्रशिक्षण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। मॉड्यूल सीमेट व एस0सी0आर0ई0 को छात्र छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी शिक्षण प्रदान करेंगे जिसका अनुश्रवण डायट द्वारा दिया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर आगामी वर्ष में दिस्तर की कार्यवाही की जायेगी।

2. जेण्डर सेंसिटाइजेशन–

कक्षा में बालक बालिकाओं के भेदभाव को दूर करने हेतु बी0आर0सी0 स्तर पर दो दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी जिसमें प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय से एक शिक्षक प्रतिभाग करेगा।

6 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण–

एस0एस0ए0 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों व नागरिक अभिभावकों के लिए न्याय पंचायत स्तर पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किए जायेंगे ताकि विद्यालय

की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी, पर्यवेक्षण की कारण व्यवस्था लागू करने, बच्चों व विशेषकर बालिकाओं का नामांकन शतप्रतिशत करने तथा ग्राम शिक्षा योजनाओं का प्रभावी रूप क्रियान्वयन किया जा सके। ये प्रशिक्षण प्रत्येक 2 वर्ष के अन्तराल में दिये जायेंगे। डी0पी0ई0पी0 में निर्मित मॉड्यूल का प्रशिक्षण में प्रयोग किया जायेगा किन्तु उसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार जनपद स्तरपर संशोधित व परिवर्द्धित किया जायेगा। ऐसे क्षेत्र में जिनमें सामुदायिक सहभागिता के प्रयासों को बढ़ाने की अधिक आवश्यकता है उनमे डब्लू0एम0जी0, एम0टी0ए0, पी0टी0ए0 युवक मंगलदल के सदस्यों को भी प्रशिक्षण में प्रतिभाग कराया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग व स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आकड़ों से स्कूल विकास योजनाएं बनती है। जिनसे स्कूल सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है, नामांकित बच्चो की स्थिति ज्ञात करके उनके ठहराव के प्रयास किये जा सकेंगे, स्कूल के कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ेगी इन सबसे शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चत होता है तथा बच्चों की सांप्राप्ति का स्तर बढ़ेगा।

7. एस0एस0ए0 परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण –

सर्व शिक्षा अभियान में जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ काप्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम पांच वर्षो में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम मे सर्वांगीण अभियान के दिशा निर्देशों व कार्ययोजना की रणनीतियों का सम्बन्ध जनपदीय टीम का प्रशिक्षण किया जायगा। आगामी वर्षों में आवश्यकतानुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायंगे।

8. विकासखण्ड स्तर पर किया गया अध्ययन –

प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की सम्प्राप्ति मे अन्तर के कारण को जानने के लिए अध्ययन किया । इसके लिए फतेहाबाद व शमशाबाद ब्लाक के चार विद्यालयों का चयन किया गया।

अध्ययन हेतु जनपद के दो विकास खण्ड शमशाबाद तथा फतेहाबाद का चयन किया गया।

विकास खण्ड फतेहाबाद के "पेंतीखेड़ा" न्याय पंचायत के दो विद्यालयों प्रा0वि0 रावर तथा प्रा0वि0 गढ़ी परसु राम में विद्यालय के कार्य दिवसों की संख्या तथा कार्य दिवसों में छात्रों की उपस्थिति को ज्ञात किया। इसी प्रकार विकास खण्ड शमशाबाद के नगला पाटक न्याय पंचायत प्रा0वि0 थापखरगा तथा प्रा0वि0 बीकापुर में उक्त अध्ययन किया गया।

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार थे।

विद्यालय मे कुल कार्य दिवसों की संख्या – 219

विद्यालय	विद्यालय में कुल कार्य दिवसों की संख्या	कार्य दिवसों में छात्रों की उपस्थिति	शैक्षिक सम्प्राप्ति
प्रा0वि0 रावर	219	195	55
प्रा0वि0गढी परसुराम	219	187	50
प्रा0वि0 थापखरगा	219	119	38
प्रा0वि0 बीकापुर	219	147	40

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति का अधिकतम सम्प्राप्ति पर प्रभाव पडता तथा जिन छात्रों की उपस्थिति संख्या अधिक थी उनकी अधिगम सम्प्राप्ति कम उपस्थिति की तुलना मे अधिक रही है।

जनपद में एक अन्य अध्ययन विद्यालय की स्थिति का छात्रो की सम्प्राप्ति पर प्रभाव किया गया अध्ययन के अनुसार विद्यालय कीउच्च एव निम्न स्थिति का भी छात्रो की सम्प्राप्ति पर प्रभाव स्पष्ट होता है।

प्रा0वि0 पीतापुरा तथा प्रा0वि0 इनायतपुर में समुदाय अभिभावक, शिक्षकों में सामंजस्य है विद्यालय में अनुशासन है विद्यालय की भौतिक व्यवस्था अच्छी है तथा छात्रों में विषय का ज्ञान प्रा0वि0 कान्हरपुर तथा प्रा0 वि0 गढ़ी गजेन्द्रा की तुलना में अच्छा है जहां उक्त व्यवस्था निम्न श्रेणी की है।

एस0स0ए0 के अन्तर्गत उपलब्धियों हेतु डायट का योगदान

शिक्षण गोष्ठियों व कार्यशालाओं का आयोजन–

जनपद स्तर पर होने वाले प्रशिक्षणों का आयोजन डायट द्वारा किया जायेगा। उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषयवस्तु एवं शिक्षण विद्या आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षण किये जायंगे। प्रभावी अनुश्रवण व पर्यवेक्षण हेतु डायट संकाय सदस्यों, स0बेसिक शिक्षा अधिकारी आदि की अनुश्रवण सम्बन्धी कार्यशालायें आयोजित की जाएगी। सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का अयोजन डायट के निर्देशन मे किया जायेगा। डी0पी0ई0पी0 अन्तर्गतएन0पी0आर0सी0, बी0आर0सी0 व डायट स्तर पर मासिक बैठकें आयोजित की जाती है जिसमें शिक्षण अधिगम क्रियाओं के सम्बन्ध में विचार विमर्श व अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण व शिक्षण सामग्री निर्माण कार्य होता है। इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान में मासिक गोष्ठियां प्रत्येक स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्य योजना में गोष्ठियों व कार्यशालाओं का प्रस्ताव रखा जायेगा और उसी के अनुसार उनका आयोजन किया जायेगा। सर्वशिक्षा अभियान में निम्न विषयों पर कार्यशालाएं व गोष्ठियां आयोजित की जायंगी।

1. शिक्षण अधिगम सामग्री व अनुपूरक अध्ययन सामग्री का निर्माण।
2. विज्ञान व गणित शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास
3. बच्चा की सप्राप्ति स्तर के आकड़ों की शेयरिंग।

4. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा व कविता का सकलन।

शिक्षण सामग्री का विकास करना–

डायट स्तर पर एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों के लिए शिक्षण सामग्री व अनुपूरक अध्ययन सामग्री का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसी क्रम में एन0पी0आर0सी0 स्तर पर कुशल व दस अध्यापकों द्वारा शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा। डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत प्रति अध्यापक रू0 500/– की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है शिक्षक इसका प्रयोग कक्षा मे आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री बनाने के लिए करेगे। सर्वशिक्षा अभियान में भी शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जायेगा तथा सभी शिक्षकों को 500 रू0 प्रति वर्ष उपलब्ध कराये जायंगे। आप्रेशन ब्लैक बोर्ड योजना मे प्रदत्त विज्ञान किट का प्रयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा।

न्याय पचायत,विकास खण्ड तथा डायट स्तर पर क्रमश प्रदर्शनी लगायी जायेगी जिसमें अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमताओं का विकास होगा।

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना–

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद में शैक्षिक गुणवत्ता विकास हेतु डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। गुणवत्ता संवर्धन हेतु जनपद व विकास खण्ड स्तर पर वार्षिक कार्ययोजनायें विकसित की जायेगी जनपद विकास खण्ड स्तर व न्याय पचायत स्तर के अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षण का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादिमिक पर्यवेक्षण व अनुश्रवण तथा श्रेणीकरण का कार्य डायट द्वारा किया जायेगा। विभिन्न स्तरों के अभिकर्मियों का संचालन, ई0एम0आई0एस0 आंकडों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का निर्वाह जनपद स्तर पर डायट द्वारा किया जायेगा।

गुणवत्ता सवर्धन हेतु शिक्षकों का उनम कार्यस्थल पर सहयोग व समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता सवर्द्धन करना होगा जिसके लिए डायट द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी।

1— क्षमता विकास करना —

डायट द्वारा ए0बी0एस0ए0, एस0डी0आई0 उच्च व प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान व सहायक अध्यापक बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी की क्षमता का विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के द्वारा कराया जायेगा। प्रशिक्षण सम्बन्धी दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास के लिए "संस्थागत विक्षमता विकास कार्यक्रम" को लागू किया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट संकाय के सदस्यों को प्रशिक्षित करके उनकी क्षमताओं में वृद्धि की जायेगी। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट व अनुभवी व्यक्तियों के अनुभवों से लाभ उठाने के लिए डायट में उनके व्याख्यानव वार्ता का आयोजन करके अध्यापकों की क्षमता का विकास किया जायेगा। बी0आर0सी0 व एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों में नेतृत्व की क्षमता, प्रबन्ध एवं नियोजन व शैक्षिक सपोर्ट का विकास किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण :—

जनपद स्तर पर शैक्षिक गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन का अनुश्रवण करने गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे प्रशिक्षण आदि के प्राप्त फीड बैक का विश्लेषण कर उनका समाधान करने हेतु अकादमिक संसाधन समूह गठित किया गया हैं। जिसमें डायट प्राचार्य अध्यक्ष होता है डायट के सदस्यों के अतिरिक्त वाह्य शिक्षा विद, विशेषण व शिक्षक, बी0आर0सी0 व एन0पी0आर0सी0 सदस्य होते है। अकादमिक सन्दर्भ समूह के द्वारा डायट प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाई स्कूल व इंटरकालेज के शिक्षकों को भी जोड़ा जायेगा। तथा इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से "क्षमता विकास कार्यशाला 8" डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी ये कार्यशालाये जाच दिवसीय होगी तथा इनमे चर्चा बिन्दु विषय--शिक्षण, शिक्षको की शैक्षिक समस्याओं का निवारण शिक्षण विधाए।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण —

डायट सकाय सदस्यों को कम्प्यूटर की जानकारी होना अनिवार्य है अत एस0ए0एस0ए0 में इनमें प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। सस्थान स्तर पर नियोजन तथा

अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा। एस0एस0ए0 में अन्य प्राथमिक स्तर के बच्चों को भी कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है इसलिए शिक्षकों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण/कार्यशाला एक दृष्टि में

क्र0 सं0	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विजनिंग कार्यशाला	डायट के सकाय सदस्य ही डी0पी0ओ0 स्टाफ ए0बी0एस0ए0, एस0डी0आई0, वी0आर0सी0 समन्वयक	04 दिन
2	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3.	शिक्षा मित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण	शिक्षा मित्र, आचार्य जी	30 दिन
	1. आधारभूत प्रशिक्षण 2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		
4.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	अनुदेशक	25 दिन
	1 आधारभूत प्रशिक्षण 2 रिफ्रेशर प्रशिक्षण		
5	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	03 दिन

6.	ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की कार्यकत्रियों तथा सहायिकाए	07 दिन
7.	बी0आर0सी0एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी समन्वयक	05 दिन
8.	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. का प्रशिक्षण	ए0वी0एस0ए0, एस0डी0आई0	05 दिन
9.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु वी0आरजी0 प्रशिक्षण	बी0आर0जी0 के सदस्य	03 दिन
10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, उच्च प्रा0 विद्यालय के चयनित शिक्षक	01 माह
11.	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण	05 दिन
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	05 दिन
13.	सेवा पूर्वागय प्रशिक्षण	नवनियुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	10 दिन
14.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक	05 दिन
15.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक	05 दिन
16	मैटीरियल मेला	चुने हुए शिक्षक	03 दिन
17.	सतत व्यापक मूल्याकन हेतु	वी0आर0सी0. एन0पी0आर0सी0	03 दिन

18.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	03 दिन
19.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी0आर0सी0एन0पी0आर0सी0 के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित उ0प्राथ0वि0 के शिक्षक	05 दिन
20.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला	चिन्हित शिक्षक, शिक्षिकाए	03 दिन
21.	प्राथमिक / उच्च प्रा0 कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल इंटरकालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
22.	गणित शिक्षण हेतु सामग्री, विकास कार्यशाला	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक हाई स्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
23.	अकादमिक सन्दर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्रू	05 दिन
24.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य माध्यम से उपयोग संबंधी कार्यशाला	बी0आर0सी0 सम0 के चुने हुए विद्यालय के शिक्षक	02 दिन
25.	बहुश्रेणी शिक्षण हेतु सेल्फ लर्निंग मैटीरियल	चुने हुए शिक्षक	05 दिन
26.	वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	02 दिन
27	संस्थान सक्षम विकास कार्यशाला	डायट सकाय के सदस्य	03 दिन
28	बाल श्रमिकों के लिए वैकल्पिक / पूरक सामग्री निर्माण कार्यशाला	डायट सकाय के सदस्य	05 दिन

अकादमिक शिक्षा सपोर्ट में डायट बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 की समेकित भमिका – जनपद में जिला स्तर ब्लाक स्तर तथा न्यायपंचायत स्तर पर क्रमशः डायट बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 शैक्षिक सपोर्ट तथा अनुश्रवण प्रदान करने वाली संख्यायें है। शैक्षिक सपोर्ट तथा अनुश्रवण का प्रगह क्रमशः डायट – बी0आर0सी0, – एन0पी0आर0सी0 विद्यालय तथा विद्यालय बी0आर0सी0, – एन0पी0आर0सी0 डायट तथा डायट से सीधे – एन0पी0आर0सी0 व विद्यालय तक चलेगा।

शोध एवं मूल्यांकन –

जनपद की स्थानीय शैक्षिक आवश्यकताओं व परिस्थितियों के अनुरूप कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिये शोध एवं मूल्यांकन कार्यों का महत्वपूर्ण सथान है। अतः जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों के लिये 5 दिवसीय कार्यशालायें आयाजित की जायेंगी। इन कार्यशालाओं के आयोजन में सीमेट इलाहाबाद व एस0सी0ई0 आर0टी0 का सहयोग प्राप्त किया जायेंगा। इनके द्वारा बी0आर0सी0 व एनपी0आर0सी0 का इतना सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिये स्वयं अपनी 'कार्यशालाये बनायें और उनका समाधान ढढने में सफल हो सकें। इस प्रकार विद्यालय शोध की प्रक्रिया को जनपद स्तर से न्याय पंचायत स्तर तथा विद्यालय स्तर तक ले जाया जायेगा।

क्रियात्मक शोध हेतु कुछ प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार हो सकते हैं –

- शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है।
- विद्यालय के द्वितीय सत्र में छात्रों की उपस्थिति किस प्रकार सुनिश्चित की जा सकती है।
- कक्षा में बहुकक्षा व बहुस्तीय शिक्षण प्रणाली किस प्रकार अपनायी जाये कि सभी विषयों का शिक्षण कराया जा सके तथा सभी सतर के बालकों की सपति सुनिश्चित की जा सके।
- कक्षा कक्ष मे बालको की भागीदारी किस प्रकार अधिकाधिक हो सकती है।

- शिक्षकों में अध्ययन करने की आदत का विकास किस प्रकार हो सकता है।
- शिक्षण प्रशिक्षण को कक्षा शिक्षण में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास।
- विद्यालयों के संदर्भ मे समुदाय के सहयोग के अभाव के कारणों का अध्ययन।
- कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिये कारगर शिक्षण ।
- कम तकनीकी सप्रति के कारणों की पहचान।

निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार डायट विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण निरीक्षण, विद्यालय प्रबध मूल्यांकन आदि क्षेत्रो मे वास्तविक सिथित का आकलन कर व्यवहारिक कठिनाइयो के निवारण क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निस्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं – शिक्षक प्रशिक्षक व निरीक्षक तक पहुँचा कर समस्याओं का समाधान करने में मदद करेंगे। एक्शन रिसर्च संबंधी प्रशिक्षण सीमेट के द्वारा प्रदान किया जाना प्रारंभ हो गया है। इसके शिक्षकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी तथा शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च योजना का निर्माण कर उसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की भूमिका शिक्षकों की क्षमता विकास करने तथा शोध परियोजनाओं के क्रियान्वयन कराने की होगी।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन व मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बालकों की विभिन्न विषयों में शैक्षिक सप्रति का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से जनपद स्तर पर क्लासरूम आब्जरवेशन स्टडी भी की जायेगी।

आंकड़ों का विश्लेषण नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग –

ई0एम0आई0एस0 के द्वारा प्राप्त आंकडों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक /प्रत्येक गॉव /प्रत्येक विद्यालय की मूल समस्याओं व आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है। अतः विकासखण्ड वार ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार व श्रेणीवार छात्रों की

जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के विषयमें जानकारी प्रापत कर उन्हें विद्यालय लाने के लिये प्रेरित किया जा सकेगा।

ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों के विश्लेष। से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चें की स्थिति का विश्लेषण किया जायेगा।

डायट द्वारा से प्राप्त आंकड़ों का विलेषण किया जायेगा ताकि उनका उपयोग नियोजन व क्रियान्वयन में हो सके।

मूल्यांकन प्रणाली –

वर्तमान में छात्रों के मूल्यांकन की मासिक, अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन प्रणाली उचित है किन्तु कक्षा 5 व 8 की परीक्षा न्याय पंचायत स्तर पर कराई जाये तथा उसके मूल्याकन की व्यवस्था बी0आर0सी0 स्तर पर करायी जायेगी। प्रश्नपत्र डायट स्तर पर तैयार किये जायें। छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन प्रणाली एवं उन्हें फीडबैक प्रदान करने के लिये सतत व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी। एस0सी0ई0आर0टी0 उ0प्र0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों में शैक्षिक सप्रति के मूल्यांकन हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी एक प्रणाली का विकास किया गया है। वर्तमान में इसका फील्ड ट्रायल किया जा रहा हैं। इसकाप्रयोग सर्व शिक्षा अभियान में किया जायेगा।इसके लिये प्रशिक्षण की व्वयस्था की जायेगी। किनतु इसके प्रशिक्षण के लिये कोई मॉडयूल तैयार न कराके बल्कि सर्व शिक्षा अीियान में नियमित शिक्षण प्रशिक्षण मॉडयूल में एक अश के रूप में ही रखा जायेगा। तथा उसमें सबंधित प्रशिक्षण डायट बी0आर0सी0 व एन0पी0आर0सी0।

एस0एस0ए0 में बालिकाओं हेतु नवाचार –

बालिकाओं के लिये कार्यानुभव शिक्षण को जनपद मे नवाचार कार्यक्रम के रूप में सचालित किया जायेगा। इस हेतु सर्वप्रथम जनपद के विकासखण्डों मे सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों/कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा। इसमे सिलाई कढाइ, फल संरक्षण तथा हिन्दी टकण का प्रशिक्षण पदान किया जायेगा। जो इस कार्यक्रम के विद्यालय स्तर पर प्रभावी होगे।

विद्यालयवार विभिन्न कौशलों के अनुसार स्थानीय विशेषज्ञों का चयन किया जायेगा और सामग्री उपकरण क्रय की व्यवस्था की जायेगी। इन शिल्पों / कौशलों के लिये सप्ताह में तीन दिन शिक्षण समय के उपरान्त अंतिम दो दिन बादनों में लडकियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगका ।इस कार्यक्रम का पर्यवेक्षण डायट द्वारा किया जायेगा तथा सामग्री क्रय विद्यालय स्तर पर किया जायेगा। कायक्रम का वार्षिक मूल्यांकन भी किया जायेगा। इस कार्यक्रम हेतु प्रसताव निम्नवत् है –

बालिकाओं के लिये कार्यानुभव शिक्षण – प्रशिक्षण

ट्रेड का नाम	ब्लाक कीस0	केन्द्रोकी स0	अनुमानित आवश्यक सामग्री	योग लाख
सिलाई कढाई	5	20	सिलाइ मशीन कपडा	
फल संरक्षण	5	20	मिट्टी का साचा, रद्दी कागज कपडा उपकरण ,	
हिन्दी टाइपिंग	5	20	टाइप मशीन पेपर	
अनुमानित कुल व्यय				14 लाख

डायट का सुदृढीकरण –

डायट स्तर पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणो, कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इन कार्यक्रमों को सुगम बनाने के लिये कुछ सामग्री तथा उपकरण की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान के अतगंत उच्च प्राथमिक कक्षाओं 6 8 के लिये खास कर विज्ञान शिक्षण में सुधार कर विशेष महत्व दिया गया है। इसलिये विज्ञान उपकरणसामग्री की व्यवस्था की जायेगी। उच्च प्राथमिक स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा प्रस्तावित है अत: कंप्यूटर प्रिंटर तथा फोटो कापियर क्रय किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त संस्थान में फर्नीचर की भी आवश्यकता है, विशेषकर हास्टल में तख्त व बिस्तर

की भी आवश्यकता है। जिसकी व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के अतर्गत की जायेगा।

डायट सुदृढ़ीकरण हेतु सामान की सूची

क्रम सं0	वस्तु का नाम	वस्तु की संख्या
1	कप्यूटर प्रिटर, यू0पी0एस0 सहित	4
2	कप्यूटर कक्ष ए0सी0 सहित	01
3	फोटो कापियर	01
4	कुर्सी	200
5	मेज	200
6	तखत	100
7	गद्दे	100
8	कबल	100
9	तकिये	100
10	बेडसीट	100
11	आलमारी स्टील	10
12	वाटर कूलर	02
13	बड़ी दरी	05
14	पुस्तकालय हेतु पुस्तकें रैक, कुर्सी मेज	
15	एक अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्ष	

डायट संकाय सदस्यों के कौशल विकास संबंधी विवरण –

सकाय के सदस्यों को कुछ क्षेत्रों मे प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है। ताकि प्रशिक्षणों के आयोजन व शैक्षिक गुणवत्ता सवर्धन सबंधी कार्यों के सपादन मे

सुविधा हो सके। –

1. संशोधित शिक्षा हेतु डायट संकाय सदस्यो को प्रशिक्षित किया जाये।

2. कम्प्युटर प्रक्षिक्षण दिया जाये।

3. शैक्षिक तकनीकी उपकरणों को सचालित करने का प्रशिक्षण दिया जाये।

4. मनोविज्ञान प्रयोगशाला के उपकरणों व टेस्ट में प्रयोग हेतु प्रशिक्षण दिलाया जाये।

5. विद्यालय शोध संबंधी प्रशिक्षण दिलाया जाये।

उत्कृष्ट कार्यों हेतु बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 तथा शिक्षकों को प्रोत्साहन व पुरस्कार की व्यवस्था की जायेगी।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता – वर्ष में दो छमाही व वार्षिक परीक्षा के बाद विद्यालय समारोह आयोजित किया जायेगा। जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य व अभिभावक प्रतिभाग करेंगे। इसमें बच्चों को उनके द्वारा रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जायेंगे तथा शैक्षिक सप्राप्ति पर चर्चा की जायेगी।

एस0एस0ए0 में डायट की दक्षता संवर्धन हेतु निम्नानुसार प्राविधान किये जायेगे--

1. **फर्नीचर**– डायट के सुदृणीकरण हेतु रू050,000–00 का फर्नीचर कय किया जायेगा।

2. **दृश्य श्रव्य एवं अन्य उपकरण**– सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत डायट में रू0दो लाख के उपकरण (कम्पयूटर,प्रिन्टर,फोटोकॉपियरतथा ओवर हैड प्रोजेक्टर)कय किये जायेंगे।

3. **कम्प्यूटर सेन्टर**–कम्प्यूटर सेन्टर हेतु रू0 छैः लाख व्यय किये जायेंगे जिसमें कम्प्यूटर यू0पी0एस0,प्रिन्टर व मोनीटर कय किया जायेगा।

4. वाहन– संस्थान मे वाहन डी0पी0ई0पी0 से कय किया जा चुका है।

5. हायरिंग– आवश्यकतानुसार रूपया दस हजार प्रति वर्ष किराये पर वाहन लेने हेतु व्यय किया जायेगा।

6. **वाहन ईंधन**– प्रतिवर्ष वाहन में ईंधन हेतु रू050,000–00 व्यय किये जायेंगे।

7. **सेमीनार /कार्यशाला**– एस0एस0ए0 के अर्न्तगत डायट में होने वाले सेमीनार / कार्यशालाओं पर प्रतिवर्ष रू02,00,000–00 व्यय किये जायेंगे।

8. **शोध**– डायट द्वारा शैक्षिक कार्यो में विभिन्न प्रकार के शोध व कियात्मक शोध रू02,00,000–00 व्यय किये जायेंगे।

9. डायट फेकल्टी **विकास**–एस0एस0ए0 में डायट की विभिन्न फेक्टीलटीज के क्षमता संबर्धन हेतु प्रतिवर्ष रू050,000–00 दिये जायेंगे।

10. **शैक्षिक भ्रमण**–प्रतिवर्ष शैक्षिक भ्रमणों हेतु रू050,000–00 डायट द्वारा व्यय किये जायेंगे।

11. **लाइब्रेरी**–डायट पुस्तकालय के रखरखाव हेतु प्रतिवर्ष रू025,000–00 व्यय किये जायेंगे।

12. **कम्प्यूटर ऑपरेटर का वेतन** –कम्प्यूटर ऑपरेटर के वेतन हेतु डायट को प्रतिवर्ष रू084,000–00 उपलब्ध कराये जायेंगे।

13. **ड्राइवर वेतन**– डाइवर के वेतन हेतु डायट को प्रतिवर्ष रू048,000–00 उपलब्ध कराये जायेंगे।

14. **कम्प्यूटर स्टेशनरी**–उक्त मद में प्रतिवर्ष रू020,000–00 डायट को उपलब्ध कराये जायेंगे।

15. कन्टेन्जेन्सी– इस मद में डायट को प्रतिवर्ष रू01,00,000-00 उपलब्ध कराया जायेगा।

अध्याय – 10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्वशिक्षा अभियान के परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2002 से वर्ष 2007 तक की होगी। इस अवधि में 6–14 आयु के सभी बालक/बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एवं उनका प्रबंधन उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का प्रस्ताव है।

प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। प्रबन्धन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय–समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होंगे। इससे सबसे निचले स्तर पर जबावदेही, दिन–प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबंधन तन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणाली

सर्व शिक्षा अभियान को समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रित शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली का विकास कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक लक्ष्य

की प्राप्ति के लिये प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रक्रिया विकसित करना वित्तीय निवेशों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करने और नवाचारी विधियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य उ0प्र0 सर्व शिक्षा अभियान में एक प्रबन्ध तन्त्र विकसित किया गया है, जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है।

ढांचा – नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समितिः

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा समबन्धी समस्त कृत्या को सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संसोधित 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना की गयी है। जिसमें निम्नलिखित सदस्य है।

ग्राम शिक्षा समिति का स्वरूप निम्नवत हैः–

अध्यक्ष– ग्राम पंचायत का प्रधान

सचिव– ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहा 1 से अधिक स्कूल हों तो उनके अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य सचिव ग्राम शिक्षा समिति होगा।

सदस्य– स्कूलों के छात्रों क तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायगे।

कार्य एवं दायित्व :

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी–

ग्राम पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों का सम्पादन, उनका प्रशासन नियन्त्रण और प्रबंधन करना बेसिक स्कूलों के विकास, पसार और सुधार के लिये योजनाएं तैयार करना।

पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना। बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना। समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय वेतन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझें जायें।

पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें। डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ–साथ मुख्य कार्यदायी रूप में कार्य करती रही है जिसमें विद्यालय भवनों, अतिरिक्त कक्षा कक्षों, शौचालय आदि का निर्माण तथा पुनर्निर्माण एवं मरम्मत, विद्यालय परिसर का उन्नयन, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि है ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा समबन्धी कार्यों में जनता की

सहभागिता हासिल करने में सहायक है तथा विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन में इन समितियों ने आशातीत वृद्धि प्राप्त की है। डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत सभी ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण ग्राम शिक्षा समिति ने सभी ग्राम सभाओं में माइक्रो प्लानिंग के पश्चात ग्राम शिक्षा योजनायें तेयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा गाँव स्तर पर विद्यालय एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। जून 2000 में पंचायत चुनाव माध्यम से ग्राम पंचायत का गठन हुआ है तथा फलस्वरूप नवीन ग्राम शिक्षा समितियां गठित हो गयी हैं उसे अधिक प्रभावी बनाने एवं सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ–साथ बस्ती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयारा करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों, विशेष रूप से जो जून 2000 के पंचायत चुनावों में नवनिर्वाचित हुये है।, को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा कि बुनियादी स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके। कार्यक्रम म सक्रिय समुदायिक सहभागिता बढ़ाने तथा उसे प्रणालीगत स्वरूप प्रदान करने के लिए पी0टी0ए0, एम0टी0ए0 महिला अभेप्रेरण समूह भी स्थापित किये जायेंग, जो स्थानीय स्तर पर प्रभावी योगदान देंगे।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र, विद्या केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के नये परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, की नियुक्ति तथा इनके और आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्टाफ वेतन/मानदेय का

भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण, पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य हर बच्चा हो स्कूल में, हर स्कूल हो सुन्दर व हर बच्चा सीख रहा हो के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कार्य करेंगे।

ग्राम पंचायत संसाधन केन्द्र एन0पी0आर0सी0):

जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत कराया जा रहा है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ–साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाना है इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार–विमार्श एवं उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों मे गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भाँति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड–स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी। क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है–

1.	ब्लाक प्रमुख	–	अध्यक्ष
2.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	–	सदस्य सचिव
3.	विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	–	सदस्य
4.	विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक	–	सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यो में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना जे0आर0वाई0 / एस0आर0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिक शिक्षा के लिये प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति को प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन – ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण का अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र न्याय पंचायत, संाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये इन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे।

1. सर्व शिक्षा अभियान की नितियों एवं कार्यक्रमों का कियान्वयन।
2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।
3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।
4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक ऑकडे एकत्रित कर सकलित कराना।

6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।

7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।

8. विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी बालक/बलिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित करना।

9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक–छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्र की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई0जी0एस0 तथा ए0आई0ई0 के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेंगे तथा ई0जी0एस0 तथा ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का विवरण एवं कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

सहायक बेसिक अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियेजनाके अन्तर्गत पूर्व से ही निर्मित ब्लाक ससाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था

की गयी हैं वे सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड तथा अधिकारी की हैसियत से समस्त दायित्वों का निर्वाह करेंगे। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा आवश्यक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख रखाव हेतु नियत मानदेय (मानक रू0 18000 प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हें ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0 योजनाके कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उनके शासकीय कार्यों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0 आर0 सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक ससाधन केन्द्र (बी0 आर0 सी0)

जनपद के सभी विकास खण्डों में ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यों के सम्पादन के लिए सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के क्रियान्वयन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायता करेगा।

~~शैक्षिक, गुणवत्ता सम्वर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0~~ समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण में व्यय होता है अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 का एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर

के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 में एक लाख रूपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का पालन कराया जायेगा।

कर्त्तव्य एवं दायित्व :

1– अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।

2– विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।

3– विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षिणक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।

4– एकडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

5– ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण क बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।

6– शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं अन्य विभागों के अधिकारियों से समन्वयक स्थापित करना एवं शिक्षा के हित का समायोजन करना।

7– विकासखण्ड के अन्तर्गत स्कूल से बाहर बच्चों के संबंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवर विवरण तैयार करना।

8– विद्यालय सांख्यिकी का समय–समय पर एक एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण

जिला स्तरीय समिति :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवं रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला परियोजना समिति डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं।

समिति का गठन निम्नवत है–

जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	–	उपाध्यक्ष
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य सचिव
प्राचार्य डायट	–	सदस्य
जिला श्रम अधिकारी	–	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	–	सदस्य
वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	–	सदस्य
अधिशासी अभियंता (आर0ई0एस0)	–	सदस्य
अधिशासी अभियंता (पी0डब्ल्यू0डी0)	–	सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक	–	सदस्य
जिला शिक्षाविद् (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय से)		सदस्य

गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण आंकड़ों का संचालन एवं विश्लेषण किया जायगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलत कर एक अध्यावधिक एवं उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजैक्ट मानिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संचालित करने हेतु दो कंप्यूटर आपरेटर्स की नियुक्ति संविदा प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जायेगी।

प्रशिक्षण :

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर प्रधानाध्यापक, सकुल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हें ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हें भरने, संकलन विश्लेक्षण आदि की जानकारी दी जायेगी। इयके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आकड़ों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ का प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आकड़ों की शुद्धता की जांच हो सके।

1. **ई0 एम0 आई0 एस0 का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर):** यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी तथा उसका स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ भाग लेगा।

2. **ई0 एम0 आई0 एस0 का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर):** यह प्रशिक्षण भी दो दिवसीय होगा और इसमें सहा0 वे0 शि0अ0/उप विद्या0 निरिक्षण बी0आर0सी0 समन्वयक सह समन्वयक प्रतिभागी होंगे।

3. **ई0 एम0 आई0 एस0 का प्रशिक्षण:** यह दो दिवसीय प्रशिक्षण होगा इसमें (न्याय पंचायत स्तर पर) न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक भाग लेंगे।

4. **ई0 एम0 आई0 एस0 तथा प्रोजैक्ट मैनेजमैन्ट का प्रशिक्षण:** एस0 पी0 ओ0 / सीमेन्ट द्वारा यह प्रशिक्षण दो सप्ताह का होगा इसमें डी0 पी0 ओ0 तथा बी0 आर0 सी0 के कम्प्यूटर आपरेटरर्स भाग लेंगे। प्रथम सप्ताह में ई0एम0 आई0 एस0 प्रबन्धन तथा दूसरे सप्ताह मे प्रोजेक्ट मैनेजमैन्ट इन्डीकेटर्स तथा सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांच :–

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार आंकड़ों को एकत्रित किया जायेगा एवं कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरे हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट–आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। ड्राप आउट जानने के लिए समय–समय पर कोहार्ट स्टडी करायी जायेगी।

आंकड़ों का उपयोग :–

ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों के विश्लेक्षण से महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स जैसे– जी0ई0आर0, एन0ई0आर0, ड्राप आउट दर, छात्र–अध्यापक अनुपात, कक्षा–कक्ष अनुपात, एकल अध्यापिकीय आदि विद्यालय प्रतिवर्ष प्राप्त होंगे। इन इन्डीकेटर्स का उपयोग प्रोजैक्ट मैनेजमैन्ट डिसीजन्स तथा वार्षिक प्लानिंग एन्ड बजटिंग में किया जायेगा ताकि बार–बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदानुसार कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन किया जा सके।

डायस, के अन्तर्गत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ो से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नहीं हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नहीं हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि ग्राम शिक्षा समिति द्वारा की गई माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकड़ों का एकत्रीकरण व विश्लेषण कम्प्यूटराइज्ड किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन अभीष्ठ होगा। ई0एम0आई0एस0 द माईक्रोप्लानिंग आंकड़ों का उपयोग निम्न कार्यों हेतु भी किया जा सकेगा।

1. नवीन विद्यालयों हेतु असंदित बस्तियां की पहचान।
2. शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।

3. छात्र संख्या में वृ0 के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।

4. एकल अध्यापिकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।

5. छात्र अध्यापक अनुपात केआधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।

6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों न्याय पंचायतों निकायों का चिन्हीकरण।

7. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।

8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।

9. शिक्षकों का विवरण।

10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।

11. विकलांगतावार आंकडों के अनुसार उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों केआयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

प्रोजैक्ट मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम्स :–

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनको और जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति को बढ़ानें की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एक कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोग में लाया जायेगा। इसके लिए भी एम0आई0एस0 इकाई प्रयोग में लायी जायेगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :–

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसके और अधिक सुदृढ किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका का पूर्ण विवरण अध्याय–6 में उल्लिखित है। परियोजना के अन्तर्गत इसके निम्नलिखित मुख्य कार्य होगे।

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/सन्दर्भ व्यक्तियों

को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।

2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा संस्थान से सम्पर्क में रहना तथा शिक्षा के अभिनव प्रवृत्तियों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यों के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना। जिससे जिले स्तर पर उसका क्रियान्वयन किया जा सके।

3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों, और लक्ष्यों से अवगत कराना है।

4. जिले स्तर के शिक्षा की समस्याओं के निदान एवं उपचार क लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों का क्रियान्वयन करना।

5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षित क्रिया–कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

7. जिला स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यो का नियोजन करना।

8 जिला स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे कराना।

10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11 शैक्षिक आकड़ों (ई0एम0आई0एस0) के माध्यम से संकलित कर विश्लेशण

करना तथा नियोजन में उनका उपयोग करना।

12. शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका का विस्तृत विवरण अध्याय–9 में दिया गया है।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो आफ फण्ड) :–

प्रतिवर्ष फरवरी में जनपद अपनी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तावित करेगा। सीमेट के एप्रेजल के पश्चात तथा उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परिषदउ के अनुमोदन के उपरानत जिले की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय तथा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, अकादमे, पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे – ग्राम शिक्षा समिति स्वयसेवी सस्थाओं, अध्यापकों आदि को सीधे खाते के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता रहेगा जो प्रि प्रोजैक्ट एक्टिविटीज की धनराशि के लिये खोला जा चुका है। यह खाता बेसिक शिक्षा

अधिकारी तथा लेखा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय संदर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिला अधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिर्धारित हैं। अतः रू. 5000/– मूल्य से अधिक सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू हैं डायट का बैंक खाता भी डायट प्राचार्य तथा उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र पंचायत संसाधन केन्द्रों के स्तर पर भी परियोजना सम्बन्धी खाता खुला है। जिसका परिचालन उ0प्र0 के लिये शिक्षा परिषद के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने में नियम स्पष्टतः निर्धारित है। परचेज तथा प्रोक्योरमैन्ट के नियम भी इसी संदर्शिका में निर्धारित किये गये जो इस परियोजना में भी अपनाये जायेंगे। तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि कोई की आवश्यकता होगी तो उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। परियोजना से सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबन्ध प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायगा तथा समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेंगे। परियोजना कार्यक्रमों में अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है। जिनके बैंक में खाते पूर्व से ही संचालित हैं जिला परियोजना कार्यालय तथा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को आय व व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम से (एक वर्ष के लिये)

दो शिक्षक (राष्ट्रीय / राज्य पुरस्कार प्राप्त)

स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व :–

जिला शिक्षा समिति जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर डी0पी0ई0पी0 के निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुये इसे सभी निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन कर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने के संबंध म इसके निर्णय सभी प्रशासनिक एवं शैक्षिक अंगों को मानने होंगे। प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संवर्धन, निर्माण के लिये तकनीकी निरीक्षण के लिये संस्थाओं का निर्धारण एवं प्रचार–प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित जायेंगे। यह समिति जिले के अनर्तगत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एवं निर्देश के लिए पद स्तर की सर्वोच्च समिति हागी। जनपद में ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का मोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :

निम्नवत जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है

जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

मुख्य विकास अधिकारी	पदेन सदस्य
जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
जिला ,विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) यदि कोई हो और उनकी उपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों मे से राज्य सरकार द्वारा नाम निदष्टि किये जायेंगें।	सदस्य
विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा	सदस्य

जिला शिक्षा समिति, परिषद अधीक्षण और निर्देशों के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

असेवित क्षेत्रों में स्कूल स्थापित करना।

बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार–सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना। अत: उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालयों के स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। 0

प्रशासनिक तन्त्र – जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य योजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की क्षमता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ0प्र0 के लिये शिक्षा परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे :–

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजना अधिकारी
उप बेसिक शिक्षा अधिकारी	1(प्रतिनियुक्ति पद)
ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0)	

समन्वयक (बालिका शिक्षा, सामुदायिक, प्रशिक्षण, 5 (प्रतिनियुक्ति पर अथवा नियत मानदेय के आधार पर) वैकल्पिक शिक्षा, समेकित शिक्षा)

सलाहकार	2	रू. 10,000 / – नियत वेतन प्रति पद
कम्प्यूटर आपरेटर	1	रू. 7,000 / – नियत वेतन प्रति पद
सहायक लेखाधिकारी	1	(प्रतिनियुक्ति पर)
लिपिक	1	नियत मानदेय के आधार पर

परिचारक 1. नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के सस्टेनेविलिटी प्लान के अन्तर्गत कोई भी पद सृजित के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी) अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह अधिकारिक दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्त्तव्य की तरह ही करेंगे। परियोजना क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायगा।

एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्टम :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यक्रम में एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। जनपद मे पूर्व से ही एम0आई0एस0 डाटा कैप्चर प्रणाली व प्राइमरी स्तर का सापट वेयर (डायस) स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये सापटवेयर डाटावेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद मे अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उसको शिक्षा

जनपद आगरा का फन्ड फ्लो डाइग्राम

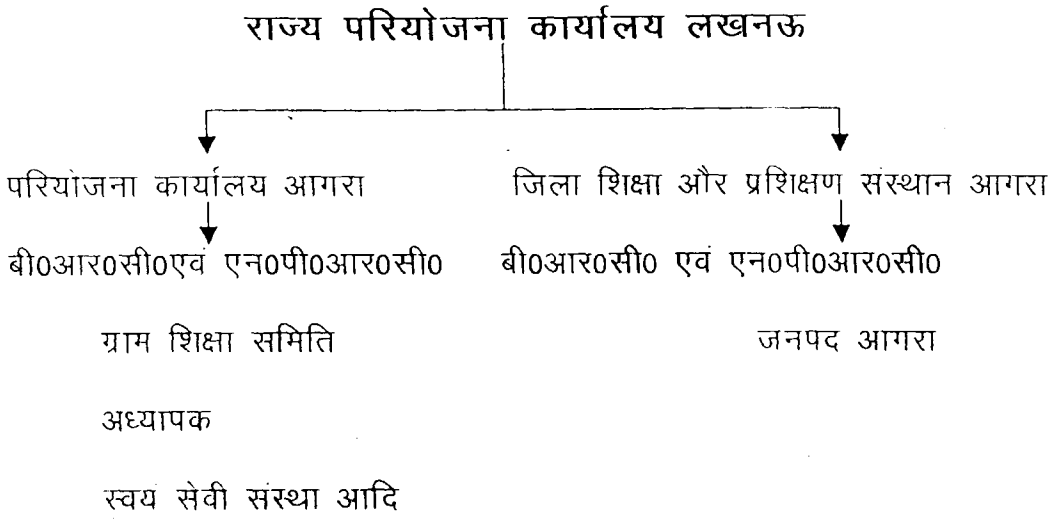

वर्ण व्यवस्था –उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डैपैन्डैन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट के माध्यम से किया जायेगा। यह वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायगा। चार्टर्ड एकाऊन्टैन्ट का चयन व टर्म्स रिफरैन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा।

सरकार/भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियन के समस्त जनपदों के लेखे जोखे सम्प्रेक्षण (आडिट महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रति वर्ष किया जायगा।

अन्य परियोजना कार्यालय लखनऊ द्वारा भी समय समय पर आतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समावार पत्रों क माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के ।। रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

SARVA SHIKSHA ABH

Agra

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	17	4403	0	0	5	1280	0	0	22	5683
A2	New Upper Primary Schools	451	22	9922	58	16240	0	0	5	1400	0	0	85	27562
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	66	7380	66	7920	66	7920	66	7920	66	7920	330	39060
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	17	229.5	17	420.75	22	544.5	22	544.5	78	1739.25
A6	Salary of Assistant Teachers(F S) 2003-04/05-06	9	0	0	17	918	17	1836	22	2376	22	2376	78	7506
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	174	10440	174	20880	189	22680	189	22680	726	76680
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	17	170	0	0	5	50	0	0	22	220
A8.2	UPS	50	41	2050	58	2900	0	0	5	250	0	0	104	5200
A9	TLE UPS not covered OBB	50	44	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	44	2200
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total		0	**21552**	0	**43220.5**	0	**31056.75**	0	**36500.5**	0	**33520.5**		**165850.25**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	0	0	5	105.625	122	2577.25	122	2577.25	249	5260.125
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost AIE Primary(including all models of DPEP(per child)- Shiksha	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	Ghar	0.85	0	0	0	0	0	0	118	2492.75	118	2492.75	236	4985.5
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	30	1080	78	2808	78	2808	78	2808	264	9504
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	48	2880	32	1920	16	960	96	5760
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	1	180	0	0	0	0	0	0	1	180
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	115	3887	115	3887	115	3887	115	3887	460	15548
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	25	383.75	50	767.5	50	767.5	125	1918.75
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ACCESS Subtotal		0	**21552.00**	0	**48367.50**	0	**41121.13**	0	**50953.00**	0	**47013.00**	**0**	**209006.63**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0	24	4584	20	3820	0	0	44	8404
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	5	1915	21	8043	0	0	0	0	26	9958
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0	262	18340	530	37100	270	18900	1062	74340
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	13	910	75	5250	38	2660	40	2800	0	0	166	11620
R4.1	Toilets Upper Primary	10	18	180	50	500	34	340	0	0	0	0	102	1020
R4.2	Toilets Primary	10	0	0	0	0	117	1170	100	1000	0	0	217	2170
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	17	306	0	0	0	0	17	306
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	20	300	20	360	0	0	0	0	40	660
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	1511	7555	1511	7555	1511	7555	1516	7580	6049	30245
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	200	1000	200	1000	200	1000	200	1000	205	1025	1005	5025
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]	[illegible]	2.25	0	0	0	0	1050	25987.5	1431	35417.25	1522	37664.25	4004	[illegible]
[illegible]	[illegible] Teacher (PS)	8	0	0	0	0	379	36384	471	45216	539	51744	1389	133344
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	1050	14175	381	9429.75	92	2277	68	1683	1591	27564.75
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	26	52	3782	7564	3787	7574	3787	7574	11382	22764
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	200	400	372	744	1451	2902	1456	2912	1456	2912	4935	9870
R12	**Promoting Girls Education**		0	937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	5	22.5	5	22.5	5	22.5	15	67.5
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	0	0	300	1200	200	800	500	2000
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	100	2500	100	2500	100	2500	300	7500
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	2	2.8	2	2.8	2	2.8	6	8.4
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	0	0	175	875	175	875	350	1750
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	0	0	175	656.25	175	656.25	350	1312.5
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	0	0	175	262.5	175	262.5	350	525
R13.5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	0	0	175	12.25	175	12.25	350	24.5
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	0	0	115	575	115	575	230	1150
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	0	0	0	0	318	152.64	319	153.12	637	305.76
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	2	10	2	10	2	10	6	30
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	2212	0	0	0	0	115	7670.5	115	7670.5	230	17553
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	0	0	0	5000	25	1500	50	3000	75	4500	160	14000
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	256	640	1887	4717.5	1887	4717.5	4030	10075
	RETENTION Sub Total		0	**5639**	0	**36491**	0	**131350.6**	0	**168378.19**	0	**151919.67**	0	**493778.41**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	17	35.7	1431	3005.1	97	203.7	68	142.8	1613	3387.3
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	123	258.3	0	0	379	795.9	112	235.2	68	142.8	682	1432.2
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	0	0	0	0	4807	6729.8	5114	7159.6	5191	7267.4	15112	21156.8
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	1015	1421	1204	1264.2	1204	1264.2	1219	1279.95	1219	1279.95	5861	6509.3
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	1157	1619.8	2669	3736.6	2747	3845.8	6573	9202.2
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	35	73.5	48	100.8	0	0	83	174.3
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	162	226.8	0	0	0	0	0	0	162	226.8
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	15	21	15	21	15	21	45	63
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	30	10.5	30	10.5	30	10.5	90	31.5
Q2	IED Provision for disable children	1.2	0	0	2057	2468.4	2508	3009.6	2508	3009.6	2508	3009.6	9581	11497.2
Q2.1	**IED**-Medical Assessement	2.3	836	334.4	0	0	0	0	0	0	0	0	836	334.4
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	196	98	2284	1142	542	271	156	78	3178	1589
Q5.2	*Teacher Grant (UPS)*	0.5	1138	589	2504	1252	2504	1252	2519	1259.5	2519	1259.5	11184	5592
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	7753	387.65	508499	25424.95	516252	25812.6	526577	26328.85	1559081	77954.05
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	19707	2956.05	68315	10247.25	213261	31989.15	228974	34346.1	233557	35033.55	763814	114572.1
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	1887	283.05	1887	283.05	1887	283.05	5661	849.15
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS *Trg. Modules*	0.05	0	0	0	0	5	0.25	0	0	0	0	5	0.25
Q5.7	*Children Learning* Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	17	255	1576	23640	1576	23640	3169	47535
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	305	2287.5	305	2287.5	305	2287.5	915	6862.5
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	QUALITY Sub Total		0	**5538.75**	**0**	**15980**	0	**79188.3**	0	**103681.7**	0	**104655.3**		**309044.05**
C	***CAPACITY BUILDING***		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.3	Maintenance *of Computer Room*	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	*Civil Construction*	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	15	2160	15	2160	15	2160	45	6480
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	30	1980	30	1980	30	1980	90	5940
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	15	540	15	540	15	540	45	1620
C2.5	*Equipment/Furniture Fixture*	10	0	0	0	0	15	150	15	150	15	150	45	450
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	15	90	15	90	15	90	15	90	60	360
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	15	30	15	30	15	30	45	90
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	15	150	15	150	15	150	45	450
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	15	75	15	75	15	75	15	75	60	300
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	15	75	15	75	15	75	45	225
C2.11	Contigency	12.5	0	0	15	187.5	15	187.5	15	187.5	15	187.5	60	750
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	15	54	15	54	15	54	45	162
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	15	75	15	75	15	75	45	225
C3	*School Complex (NPRC)*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

					0	0	0	0	115	16560	115	16560	230	33120	
		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	115	115	115	115	155	155	115	115	500	500	
C3.4	Contingency	2.5	0	0	115	287.5	115	287.5	115	287.5	115	287.5	460	1150	
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	115	276	115	276	115	276	115	276	460	1104	
C4	District Project Office/Management		2	510	1	2500	0	0	0	0	0	0	3	3010	
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	0	0	7	1260	7	1260	14	2520	
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	1	180	1	180	1	180	3	540	
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0	0	0	1	30	1	30	2	60	
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	0	0	0	0	1	30	1	30	2	60	
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	0	0	0	0	1	10	1	10	2	20	
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	0	0	15	270	15	270	30	540	
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	0	0	0	0	1	10	1	10	2	20	
C4.9	Consumaables	40	0	0	0	0	0	0	1	40	1	40	2	80	
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	0	0	0	0	1	30	1	30	2	60	
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	2	200	
C4.12	Pay to JE	10	0	0	0	0	0	0	1	120	1	120	2	240	
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0	0	0	1	10	1	10	2	20	
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	0	0	0	0	1576	2206.4	1576	2206.4	3152	4412.8	
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	241	337.4	222	310.8	305	427	305	427	305	427	1378	1929.2	
C4.16	Contingency	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C4.17	AWP & B	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30	
	Total		0	847.4	0	3841.8	0	6862	0	27578.4	0	27538.4		66668	
C5	MIS		0	0	0		0		0		0				
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	1	244	0	0	0	0	0	0	1	244	
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	1	144	0	0	0	0	1	144	
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	1	90	2	180	2	180	5	450	
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120	
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60	
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	0	0	1	25	1	25	2	50	
	CAPACITY Sub Total		0	847.4	0	4085.8	0	7156	0	27843.4	0	27803.4	0	67736	
	GRAND TOTAL		0	33577.2	0	104924.30	0	258815.98	0	350856.29	0	331391.37	0	1079565.09	

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention

		2002-03		2003-04		20004-05		2005-06		2006-07		Agra Total
Civil		11012.0		28608.0		35803.0		47400.0		18900.0		141723.0
Management		337.4		310.8		911.0		4998.4		4998.4		11300.0
Programme		22227.8		76005.5		222102.0		298457.9		307493.0		926042.1
Total		33577.2		104924.3		258816.0		350856.3		331391.4		1079565.1
Percentage - Civil		32.8		27.3		13.8		13.5		5.7		13.1
Percentage - Management		1.0		0.3		0.4		1.4		1.5		1.1
Percentage - Programme		66.2		72.4		85.8		85.1		92.8		85.8
Percentage - Total		100		100		100		100		100		100